प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन

A study of the Impact of some Socio-Economic Factors on the Universalization of Elementary Education

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की

पीएच० डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2006

मार्गदर्शक :

प्रो० डी०एस० श्रीवास्तव

डीन (शिक्षा विभाग)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी,

जिला-झाँसी (उत्तर प्रदेश)

शोधार्थी

मृदुला तिवारी

एम.एससी., एम.एड.

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी,

जिला-झाँसी (उत्तर प्रदेश)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

जिला-झाँसी (उत्तर प्रदेश)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्रीमती मृदुला तिवारी,** जो कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश), में **पीएच.डी.** की छात्रा है, ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से शिक्षा में पीएच.डी उपाधि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत शोध कार्य **''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन''** मेरे मार्गदर्शन में पूर्ण किया है ।

यह शोध कार्य इनकी निष्ठा एवं लगन से किया गया मौलिक प्रयास है, जो पूर्व में इस आशय से विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
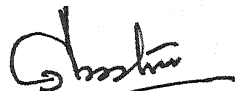
प्रस्तुत शोध प्रबंध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उत्तर प्रदेश) की शिक्षा में पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत किये जाने योग्य है ।

मै इस शोध प्रबंध को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उत्तर प्रदेश) की शिक्षा में पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत करने की अनुशंसा करता हूॅ । इन्होंने 200 दिन उपस्थित रहकर अपना शोधकार्य पूर्ण किया।

स्थान - झाँसी

दिनांक - 8/10/06

मार्गदर्शक

प्रो. डी.एस.श्रीवास्तव
निदेशक (शिक्षा विभाग)
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश)

कृतज्ञता-ज्ञापन

प्रस्तुत शोध कार्य की पूर्णता के लिये मैं अपने मार्गदर्शक प्रो. डी. एस. श्रीवास्तव, निदेशक (शिक्षा विभाग), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश) की कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने समय-समय पर उचित मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर मेरे इस शोध कार्य को पूर्ण कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

मैं विश्वविद्यालय के विद्वान एवं सुयोग्य कुलपति एवं कुशल रजिस्ट्रार महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अनुकूल वातावरण, सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान कर मेरा शोध कार्य सुगम बनाया ।

मैं शिक्षा संकाय के समस्त गुरुजनों के शैक्षिक परामर्श के लिए आभारी हूँ, जिनसे मुझे परामर्श एवं अनुग्रह प्राप्त हुआ ।

मैं आदरणीय श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, निदेशक सीमैट एवं डॉ. खेमराज शर्मा, प्रवाचक(शिक्षा), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल (म.प्र.) की हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मेरे इस शोध कार्य को सुगम बनाया ।

मैं अपने समस्त सहपाठियों व उन समस्त सहयोगियों, मित्रों एवं रिश्तेदार, की हृदय से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूर्ण कराने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया ।

अंत में मैं अपने पति डॉ. अश्वनी कुमार गर्ग, बच्ची कुमारी अर्पिता गर्ग, पिता-माता, नाना-नानी, ससुरजी एवं समस्त परिवारजनों की सदैव ऋणी रहूंगी जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूर्ण कराने में प्रेरणा स्रोत का कार्य किया ।

स्थान : झाँसी
दिनांक : 8/10/06

शोधार्थी
Mradula Tiwari
मृदुला तिवारी
एम.एससी.(जन्तुशास्त्र), एम.एड.
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश)

घोषणा-पत्र

मैं **मृदुला तिवारी** घोषणा करती हूँ, कि प्रस्तुत शोध प्रबंध **''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन''** मेरी निजी कृति है ।

प्रस्तुत अध्ययन मैंने अपने विवेक एवं प्रो. डी. एस. श्रीवास्तव, निदेशक (शिक्षा विभाग), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उत्तर प्रदेश) के मार्ग दर्शन में पूर्ण किया है ।

स्थान : झाँसी

दिनांक : 8/10/06

शोधार्थी

Mradula Tiwari

मृदुला तिवारी
एम.एससी.(जन्तुशास्त्र), एम.एड.
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
जिला झाँसी (उत्तर प्रदेश)

अनुक्रमणिका

अध्याय तृतीय 188-201

शोध समस्या, प्रविधि एवं प्रक्रिया

अध्याय चार 202-283

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

अध्याय-प्रथम

शोध-परिचय

1.01.0 प्रस्तावना

मानव इतिहास के आदिकाल से ही शिक्षा का विविध भांति विकास होता रहा है । शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए अनिवार्य है । शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सही पथ-प्रदर्शन करती है । देश तथा समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य, संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । आज मनुष्य जो सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर सुशोभित हो रहा है उसका मूल कारण शिक्षा ही है । शिक्षा विकास का मूल आधार है, शिक्षा के ही माध्यम से संसार की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नति संभव हुई है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार और विस्तार पर विशेष रुप से ध्यान दिया गया । समग्र शिक्षा व्यवस्था में प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है । शिक्षा के तीनों स्तरों (प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा) में प्रारम्भिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधार शिला है और प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रथम सोपान है । यह पहली सीढ़ी है, जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता है । राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ट संबंध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का नहीं है । राष्ट्रीय विचार धारा एवं चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनैतिक या शैक्षणिक गतिविधियों का नहीं है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सब व्यक्तियो कि शिक्षा अथवा जनसाधारण कि शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है ।

विश्व के सभी देशों के चतुर्दिक विकास, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सामाजिक सौहार्द एवं विश्व-बन्धुत्व की भावना के संवर्द्धन में शिक्षा के योगदान को विश्व स्तरीय शिक्षा

सम्मेलनों में भी सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है । भूमंडलीकरण के इस युग में हो रहे तेजी से विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है । शिक्षा और समाज दोनों अविच्छिन्न रूप से एक-दूसरे से गुंथे हुए है । एक की प्रगति अथवा अवनति दूसरे की प्रगति अथवा अवनति पर निर्भर है । शिक्षा के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है । शिक्षा वह साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारती, निखारती तथा प्रखर बनाती है । अतः इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की हो जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें । शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रकाश से जहाँ हमारे संशयों का उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है वहीं जीवन के वास्तविक महत्व को समझने की शक्ति भी उत्पन्न होती है । शिक्षा से ऐसा दृष्टिकोण विकसित होता हैं जो बुद्धि, विवेक तथा निपुणता की अभिवृद्धि करता । इस प्रकार हम कह सकते है कि शिक्षा नैसर्गिक जीवन को पूर्णता प्रदान करती है ।

शिक्षा मनुष्य के ज्ञान को समृद्ध करने और ज्ञान के सशक्तीकरण की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बेहतर एवं उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है । शिक्षा की सुदृढ़ एवं प्रभावी प्रणाली से सीखने वालों की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास होता है, उनकी क्षमताओं, अभिरुचियों का समुचित विकास होता है जो उन्हे भावी जीवन को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायक होती है । मानव इतिहास की व्यक्तिगत और सामूहिक उल्लेखनीय उपलब्धियों को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता । शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है । आधुनिक राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा एक प्रमुख कारक है । राजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा ही सशक्त माध्यम है । हमारे सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण भी शैक्षिक पिछड़ापन है । देश के स्वतंत्र होने के इतने वर्षों बाद भी हम विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चों को प्रारम्भिक विद्यालयों में नहीं ला पाये है । निर्धनता, रुढ़िवादिता, अन्धविश्वास कतिपय विकृत परम्पराएं एवं भेदभाव मूलक विरासत में प्राप्त आदतें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने में बाधक तत्वों के रूप में सामने आती है । इनका उन्मूलन शिक्षा के प्रसार के लिए जरूरी है । बच्चे में स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं

है वरन् पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता उत्पन्न करना भी हमारा उद्‌देश्य है । अतः हमें समाज के सभी वर्गों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था देने की आवश्यकता है जो सैद्धान्तिक के साथ-साथ व्यावहारिक भी हो जिससे बच्चे अपनी आवश्यकतानुसार भावी जीवन में उपयोग कर सकें ।

शिक्षा द्वारा सामाजिक विकास के हर युग में समाज को दिशा और स्वरूप प्राप्त हुआ है । शिक्षा हमारे बेहतर जीवन की अनिवार्य शर्त है । ज्ञान के क्षितिज शिक्षा ही खोलती है । यह हमारे वर्तमान को सँवारती है और भविष्य के स्वप्न को साकार करती है । शिक्षा हमें कल, आज और आने वाले कल से जोड़ती है । हम अतीत के अनुभवों से भी सीखते हैं । शिक्षा द्वारा मनुष्य की जन्मजाति शक्तियों, ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर उसके व्यवहार में परिवर्तन कर उसे योग्य नागरिक बनाया जाता है । हमारे आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करना ही 'भविष्य के लिए शिक्षा' है । हमें भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें आज की पीढ़ी को तैयार करना होगा । इसके लिए शिक्षा के स्वरूप में बदलाव कर ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो बच्चों को ज्ञान प्रदान कर उसके ज्ञान को सशक्त करके उसकी क्षमताओं का विकास करे और उसे भावी जीवन के लिए तैयार करे ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता की शोचनीय स्थिति का अवलोकन करते हुए यह संवैधानिक प्रतिबद्धता दर्शायी गई कि 1960 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी परन्तु हम अभी तक इस लक्ष्य का आंशिक भाग ही प्राप्त कर पाए । सभी के लिये शिक्षा या प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से प्रदेशों द्वारा विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं का संचालन कर इन लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है । लेकिन उसके बाद भी हम विभिन्न कारणों के चलते हम प्रारम्भिक शिक्षा के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं । शत प्रतिशत लक्ष्य के प्राप्त न हो पाने के कारणों को जानना वर्तमान की आवश्यकता है । इसलिये प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारक कौन से है ।

1.02.0 प्रारम्भिक शिक्षा : विश्व स्तरीय प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्य

विश्व स्तर पर मानव विकास में शिक्षा के महत्व और अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए इसे एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया तथा मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र (1948) की धारा-26 में इसे व्यक्त किया गया । वर्ष (1989) में बाल अधिकारों पर हुए सम्मेलन और उसके बाद न्यूयार्क (1990) में आयोजित विश्व बाल शिखर सम्मेलन में शिक्षा को एक मुख्य बुनियादी अधिकार माना गया तथा वर्ष (2000) तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया । इसके लिये विश्व के सभी राष्ट्रों का ध्यान सभी बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की ओर केन्द्रित हुआ । सम्पूर्ण विश्व से निरक्षरता, अशिक्षा उन्मूलन एवं असमानता की खाई कम करने एवं शिक्षा की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पहली बार 5-9 मार्च, 1990 में जोमेतियन, थाइलैण्ड में अंतराष्ट्रीय चार एंजेसियों- विश्व बैंक, यूनेस्को, यू. एन.डी.पी. और यूनीसेफ के साथ विश्व के 155 राष्ट्रों के लगभग 1500 सदस्य एक साथ एक मंच पर आये थे और सभी के लिए शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिये विश्व के देशों को साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प लिया गया कि वर्ष 2000 तक सभी को शिक्षा सुलभ करा दी जायेगी । इसके लिये सम्मेलन में ''सभी के लिए शिक्षा' और 'बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य की रूपरेखा'' सर्वसम्मति से अंगीकृत की गयी । इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा से संबधित नीतियों में प्रगति की व्यापक समीक्षा हेतु इसके दस वर्षीय आंकलन की आवश्यकता का पूर्वानुमान आंकलन किया गया । विश्वव्यापी घोषणा पत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विद्यालय आयु के बच्चों के लिए अच्छी कोटि की प्राथमिक शिक्षा जिसमें विद्यालय की अवधि पूरा करने के बदले शिक्षा उपलब्धियों पर बल दिया गया । जिसमे प्राथमिक शिक्षा के लिये कहा गया कि '' प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करेगा कि 14 वर्ष की आयु तक के कम से कम 80 प्रतिशत बच्चे वर्ष 2000 तक संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा उपलब्धि का समान स्तर प्राप्त कर लेते हैं'' ।

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, सभी को समान अवसर प्रदान करने, साधनों और कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने, सीखने पर बल देने, शैक्षिक परिवेश में संवर्द्धन करने, संसाधन जुटाने, सहयोग/सहकार्य/समन्वयन की नीति को विकसित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने आदि विषयक कार्यपरक बिन्दु निर्धारित किए गए । इसके आलोक में राष्ट्रीय स्तर पर वॉछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई । इस कार्ययोजना में बालिका-शिक्षा और सुविधा वंचित वर्गो के बच्चेां की शिक्षा को प्राथमिकता, शिक्षा के स्तर में सुधार, सामुदायिक सहभागिता तथा शैक्षिक संगठनों के सहयोग पर विशेष बल दिया गया ।

1.02.1 डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन में प्रारम्भिक शिक्षा

जॉमिटियन विश्व शिक्षा सम्मेलन वर्ष 1990 के घोषणा पत्र के अनुश्रवण के सन्दर्भ में स्नेगल (दक्षिण अफ्रीका) की राजधानी, डकार में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर (2000) विश्व शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ । इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने सार्वभाम, निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्ष 2015 तक उपलब्ध करा देने का संकल्प लिया । यहॉ विशेष रूप से उल्लेख करना है कि इन निर्धारित लक्ष्यों में भारत के प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय लक्ष्य स्पष्टतः परिलक्षित होते है । डकार सम्मेलन के घोषणा पत्र में उल्लिखित छः लक्ष्य इस प्रकार हैं -

- व्यापक शिशु देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम का, विशेषतः सबसे अधिक निर्बल तथा सुविधावंचित वर्गो के बच्चों के लिए प्रसार करना तथा उसमें सुधार लाना ।
- वर्ष 2015 तक सभी बच्चों, विशेषतः बालिकाऑ, विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क, पूर्ण तथा उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करना ।
- उपयुक्त अधिगम तथा जीवन कौशल सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा समान रूप से पहुँच के माध्यम से सभी बालक-बालिकाओं तथा वयस्कों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चत करना ।

- सन् 2005 तक प्रौढ़ साक्षरता के स्तरों में, विशेषतः महिलाओं के लिए और सामान्यतः सभी वयस्कों की बुनियादी तथा सतत शिक्षा तक समुचित पहुँच के माध्यम से, 50 प्रतिशत सुधार लाना ।
- वर्ष 2015 तक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों में लिंग असमानता को समाप्त करना और श्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त बेसिक शिक्षा में सम्प्राप्ति तथा बालिकाओं की पूर्ण तथा समान पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें केन्द्र में रखकर 2015 तक शिक्षा में लिंग समानता प्राप्त करना ।
- शिक्षा की गुणवत्ता के प्रत्येक पक्ष में सुधार लाना और उनकी उत्कृष्टता को सुनिश्चत करना जिससे सभी शिक्षार्थी, विशेषतः साक्षरता, अंकज्ञान तथा अनिवार्य जीवन कौशलों में, मान्य और मापनीय अधिगम प्रतिफल अर्जित कर सकें ।

विश्वव्यापी बुनियादी शिक्षा प्राप्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नांकित घोषणा की गई -

अनुच्छेद-1 - बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति : प्रत्येक व्यक्ति-बच्चा, युवक और प्रौढ़ की बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिससे वे अपना अस्तित्व बनाये रखने, अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से विकास करने, सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाहन करने और कार्य करने, विकास का पूर्ण सहभाग बनने, अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने, और निरंतर शिक्षा प्राप्त करते रहने में सक्षम हो सके ।

अनुच्छेद-2 - दृष्टिकोण को साकार बनाना : बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बुनियादी शिक्षा के प्रति इस समय विद्यमान प्रतिबद्धता से अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है । ऐसी प्रतिबद्धता के लिये व्यापक दृष्टि बनाते समय वर्तमान संसाधन स्तरों, संस्थागत, संरचनाओं, पाठ्य-सामग्री और परम्परागत शिक्षण प्रणालियों की उपयोगिता का आंकलन करते हुए दृष्टिकोण को साकार बनाने के लिये शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और समानता की अभिवृद्धि करना, सीखने पर बल देना, बुनियादी शिक्षा के साधनों और क्षेत्र को व्यापक बनाना, शिक्षा के लिए परिवेश को व्यापक बनाना और साझेदारी को सुदृढ़ करना शामिल है ।

अनुच्छेद-3 - बुनियादी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और समानता की अभिवृद्धि करना :

बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को उपलब्ध होनी चाहिए । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छे स्तर की बुनियादी शिक्षाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और असमानताओं को कम करने के लिए निरंतर उपाय किये जाने चाहिए । सभी बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ो को सम्मत स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के अवसर समान रूप से दिए जाने चाहिए । बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा की कोटि सुधारने और शिक्षा उन तक पहुँचाने तथा उनकी सक्रिय भागीदारी के रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए । लिंग के आधार पर शिक्षा देने की परम्परा समाप्त की जानी चाहिए । शिक्षा में व्याप्त सभी असमानताएं दूर करने के लिए सक्रिय वचनबद्धता होनी चाहिए । अक्षम वर्गों, गरीब, गलियों में भटकने वाले और काम-काजी बच्चों और दूर-दराज के निवासियों, खानाबदोशों, प्रवासी कामगारों, आदिवासियों, सजातीय प्रजाति और भाषाई अल्पसंख्यकों, युद्ध से विस्थापित लोगों, विदेशी अधिपत्य वाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए शिक्षा के अवसर जुटाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए । विकलांगों की शिक्षा की जरुरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यता है । प्रत्येक किस्म के विकलांगों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है । यह शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग होना चाहिए ।

अनुच्छेद 4 - सीखने पर बल : किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा समाज के लिए व्यापक शिक्षा के अवसर उसके सार्थक विकास में सहायक होते है । इसलिए बुनियादी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य वास्तव में शिक्षा अर्जन, दक्षता प्राप्त करना और परिणाम हासिल करना होना चाहिए न कि केवल विद्यालय में भर्ती होना, कार्यक्रमों में भाग लेना और प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ।

अनुच्छेद 5 - बुनियादी शिक्षा के साधनों और कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना : बच्चों, युवाओ और प्रौढ़ों की शिक्षा की जरुरतें विविधतापूर्ण, जटिल और परिवर्तनशील स्वरूप की हैं । इसलिए शिक्षा उनकी उम्र की आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिए ।

अनुच्छेद 6 - शिक्षा के परिवेश में वृद्धि करना : शिक्षा एकाकीपन में नहीं होती है । इसलिए समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षार्थी यथावश्यक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामान्य शारीरिक और भावात्मक सहायता प्रदान करें ताकि वे शिक्षा में सक्रियता से भाग ले सके और उससे लाभान्वित हो सकें । बच्चों और उनके माता-पिताओं या संरक्षकों की शिक्षा एक दूसरे की पूरक होती है । अतः इस अंतःक्रिया का उपयोग "सबके लिए शिक्षा" का सजीव और सहृदय परिवेश बनाने के लिए होना चाहिए ।

अनुच्छेद 7 - साझेदारी को सुदृढ़ बनाना : बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन, प्रबंधन और मूल्यांकन में सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र स्थानीय समुदायों, धार्मिक वर्गों और परिवारों की साझेदारी लेकर कार्य करना ।

अनुच्छेद 8 - सहयोग की नीति विकसित करना : सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग कि नीति अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति और समाज में सुधार लाने के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना ।

अनुच्छेद 9 - संसाधन जुटाना : पर्याप्त मात्रा में वित्तीय एवं मानवीय संसाधन सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्र से जुटाकर बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

अनुच्छेद 10 - अंतराष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करना : मौजूदा आर्थिक असमानताओं को मिटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एकता और न्यायसंगत तथा उचित आर्थिक संसाधन को सुनिश्चित करना ।

1.02.2 प्रारम्भिक शिक्षा की विश्व स्तरीय प्रगति

वर्ष 1990 में जोमेतियन में आयोजित सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन के अनुश्रवण में वर्ष अप्रैल 2000 में डकार में आयोजित विश्व शिक्षा फोरम द्वारा निर्धारित छः लक्ष्यो में से दो को उसी वर्ष (सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति और लैंगिक समानता तथा महिला सशक्ति को प्रोत्साहन) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत अंगीकार किया गया । डकार फोरम के संकल्प में स्पष्ट किया गया कि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र वचनबद्धता की पूर्ति का लेखा-जोखा रखने के प्रति दायित्वपूर्ण रहें । राष्ट्रीय सरकारों ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु वचनबद्ध रहना स्वीकार किया, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने यह प्रण किया कि वचनबद्ध किसी भी देश को, संसाधनों के अभाव के कारण अपने लक्ष्यों की पूर्ति से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा । इन शपथों के क्रियान्वयन में और अधिक दायित्वपूर्ण प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के उपायों में एक था सबके लिए शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट की स्थापना ।

सबके लिए शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट 2002 का प्रमुख उद्देश्य अधिगम अवसरों की प्रगति के बारे में जानना है कि विश्वभर में शिक्षा सम्बन्धी लाभ किस हद तक सभी बच्चों, युवकों एवं वयस्कों तक पहुँच रहे है तथा दो वर्ष पूर्व अप्रैल 2000 में डकार विश्व शिक्षा फोरम में किए गए वायदे क्या पूरे किए जा रहे हैं । वर्ष 1991 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 115.4 मिलियन स्कूल आयु के बच्चे स्कूल से बाहर थे जिनमें 56 प्रतिशत लड़कियां थी, जो 1998 में डकार के लिए बताई गई 113 मिलियन की संख्या में थोड़ा सा अथवा न के बराबर परिवर्तन हुआ है । इनमें से लगभग 94 प्रतिशत बच्चे विकासशील देशों में रह रहे थे । मानव विकास प्रतिवेदन के वर्ष 1998 के आंकड़ों के अनुसार एशिया महादीप के कुछ देशों की प्रौढ़ों एवं किशोरों की साक्षरता दर निम्नानुसार है -

देश	प्रौढ़ साक्षरता (15वर्ष या उससे ऊपर)	किशोर साक्षरता दर (16 से 24 वर्ष)
चीन	82.8	97.2
भारत	55.7	70.9
इण्डोनेशिया	85.7	97.3
इरान	74.6	93.2

मलेशिया	86.4	97.1
पाकिस्तान	44.0	61.4
फिलीपीन्स	94.8	98.4
श्रीलंका	91.1	96.5
थाईलैण्ड	95.0	98.8
वियतनाम	92.9	96.7

स्रोत : मानव विकास प्रतिवेदन,2000 तालिका 1, पृष्ठ 157-160

विश्व मॉनीटरिंग रिपोर्ट 1999/2000 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बच्चों का क्षेत्रवार वर्गीकरण के आधार पर लैंगिक तथा क्षेत्रवार सकल नामांकन अनुपात तथा लैंगिक समानता सूचकांक निम्नानुसार है -

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	सकल नामांकन अनुपात				लैंगिक समानता सूचकांक (समानता = 1)	
		1990		1999			
		बालिका	बालक	बालिका	बालक	1990	1999
1.	विश्व	93.1	105.5	96.5	104.0	0.88	0.93
2.	औद्योगिक देश	104.6	104.6	101.5	102.5	1.00	0.99
3.	विकसित देश	91.8	106.6	96.2	104.7	0.86	0.92
4.	परिवर्तनशील देश	91.6	91.8	90.1	91.4	1.00	0.99
5.	अरब देश	70.8	89.7	85.0	97.0	0.79	0.88
6.	केन्द्रीय एशिया	87.8	86.4	88.0	89.0	1.02	0.99
7.	केन्द्रीय/पूर्वी यूरोप	99.6	103.9	92.6	96.1	0.96	0.96
8.	पूर्वी एशिया/प्रशांत	113.5	119.9	105.9	105.5	0.95	1.00
9.	लैटिन अमरीका/ कैरीबियन	103.1	105.4	124.5	127.5	0.98	0.98
10.	उत्तरी अमेरिका/ पश्चिमर्मी यूरोप	105.3	105.4	101.6	102.7	1.00	0.99

11.	दक्षिणी/पश्चिमी एशिया	78.4	104.2	90.0	107.8	0.75	0.84
12.	उप सहारा अफ्रीका	68.3	86.7	76.3	86.0	0.79	0.89

स्रोत : विश्व मॉनीटरिंग रिपोर्ट (1999/2000)

मानव विकास प्रतिवेदन के 1997 के आंकड़ों के अनुसार एशिया महादीप के कुछ देशो में प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर एवं कक्षा 5 पहुँच दर की स्थिति निम्नानुसार है - (आंकड़े प्रतिशत में)

देश	नामांकन दर	कक्षा 5 पहुँच दर	बालिका नामांकन अनुपात
चीन	99.9	94.0	100.0
भारत	77.2	59.0	86.0
इण्डोनेशिया	99.2	88.0	99.0
इरान	90.0	90.0	98.0
मलेशिया	99.9	99.0	100.0
पाकिस्तान	-	-	-
फिलीपीन्स	99.9	-	100.0
श्रीलंका	99.9	-	100.0
थाईलैण्ड	88.0	-	103.0
वियतनाम	99.9	-	100.0

स्रोत : मानव विकास प्रतिवेदन,2000 तालिका 11

यूनीसेफ की "द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 2005" की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न महादीपों में सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात तथा बच्चों की उपस्थिति की स्थिति निम्नानुसार है ।

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्र.	क्षेत्र का नाम	नामांकन अनुपात (1998-2002)				उपस्थिति (1996-2001)		कक्षा 5 पहुचने वाले बच्चे	
		सकल नामांकन अनुपात		शुद्ध नामांकन अनुपात				प्रशाानिक आंकड़े 1998-01	सर्वे आंकड़े 1997-03
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका		
1.	उप सहारा अफ्रीका	92	80	64	59	60	56	63	83
2.	मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका	96	87	82	76	82	76	91	91
3.	साउथ एशिया	102	88	88	75	78	71	60	91
4.	पूर्वी एशिया/प्रशांत	111	110	92	92	-	-	94	-
5.	लैटिन अमेरिका/ कैरीबियन	122	119	95	95	92	92	82	-
6.	केन्द्रीय/पूर्वी यूरोप	101	98	89	86	79	77	-	96
7.	औद्योगिक देश	101	101	95	96	-	-	-	-
8.	विकसित देश	105	96	86	80	76	72	78	89
9.	कम विकसित देश	88	80	67	61	61	56	64	79
10.	विश्व	104	97	87	82	76	72	79	89

स्रोत : यूनीसेफ "द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 2005"

यदि हम यूनीसेफ की "द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 2005" की रिपोर्ट में देखे तो वर्ष 1998-2002 के आंकड़ों के अनुसार भारत देश का सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात बालक एवं बालिकाओं का क्रमशः 107, 90, 91 एवं 76 है । वर्ष 1996-2003 के आंकडों के अनुसार बच्चों की औसतन उपस्थिति विद्यालय में बालक एवं बालिका की क्रमशः 80 एव 73 प्रतिशत है । कक्षा 5 पहुँचने वाले बच्चों की

संख्या वर्ष 1998-2001 के प्रशासनिक एवं 1997-2003 के सर्वे आकड़ों के अनुसार क्रमशः 59 एवं 92 प्रतिशत है ।

विद्यालय से बाहर बच्चे : सबके लिए शिक्षा विश्व मांनीटरिंग रिपोर्ट 1999–2000 के अनुसार विश्व में 115.4 मिलियन बच्चे विद्यालय से बाहर है । इनमें से 37 प्रतिशत उपसहारा अफ्रीका, 34 प्रतिशत उत्तर पश्चिम एशिया, 7 प्रतिशत अरब राज्य/ उत्तर अफ्रीका, 3 प्रतिशत केन्द्रीय/पूर्वी यूरोप, 2 प्रतिशत केन्द्रीय एशिया, 13 प्रतिशत पूर्वी एशिया/प्रशांत, 2 प्रतिशत लैटिन अमरीका/ कैरीबियन और 2 प्रतिशत उत्तर अमेरिका/ पश्चिम यूरोप क्षेत्र के बच्चे है । उच्च संकट ग्रस्त वर्ग में मुख्य रूप से 34 सहारा अफ्रीकी देश आते है । इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत भाग है । इसी में भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देश शामिल है ।

1.03.0 प्रारम्भिक शिक्षा:भारत देश में किये गये प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार और विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया । भारत के संविधान की धारा 45 में यह संकल्प व्यक्त किया गया कि राज्य इस प्रकार का प्रयास करे कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्षो के अन्दर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके । उपर्युक्त संवैधानिक दायित्वों के आलोक में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई, अध्यापक नियुक्त किए गए तथा नामांकन के लिए छात्र वृद्धि अभियान चलाए गए । विभिन्न बाधाओं - विद्यालय तक पहुंच में कठिनाई, अशिक्षा, अरूचिकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जनसंख्या विस्फोट आदि के कारण प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को शतप्रतिशत प्राप्त नहीं किया जा सका ।

भारतीय शिक्षा आयोग (64-66) ने अपनी अनुसंशाओं में विभिन्न स्तरों की शिक्षा के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापक प्रसार पर बल दिया है । साथ ही

साथ इसमें विद्यालय संकुल जैसी योजनाओं तथा प्रभावी शिक्षण-अधिगम, प्रभावी निरीक्षण-पर्यवेक्षण आदि के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्द्धन पर भी बल दिया गया । आयेग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) का निर्धारण हुआ । इसमें 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया ।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति हेतु वर्ष 1980 में एक वैकल्पिक और लचीले शिक्षा कार्यक्रम की योजना तैयार की गयी जिसे अनौपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया । यह विशेषकर उन बच्चों के लिए थी जो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पा रहे थे । इस कार्यक्रम से यह अपेक्षा की गयी कि बच्चों की उपलब्धि औपचारिक स्तर की ही होगी जबकि पाठ्यक्रम, शिक्षण-सामग्री, शिक्षा केन्द्र का समय आदि बच्चों की सुविधा के अनुसार होगा । वर्ष 2001 में यह योजना समाप्त कर दी गयी ।

1986 में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'सभी के लिये शिक्षा' बुनियादी लक्ष्य रखा गया । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति, बाल केन्द्रित दृष्टिकोण, तथा विद्यालय सुधार के संकल्प व्यक्त किये गये । इनके अतिरिक्त इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों, पिछड़े वर्गो और क्षेत्रों एवं अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों तथा विकलांग बच्चों के लिए भेदभाव रहित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के फलस्वरूप 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें अधिगम तथा ठहराव में आने वाली बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य और प्रावधान रखा गया । इसके साथ ही जिला स्तर पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, जिससे अध्यापकों को सतत प्रशिक्षण, शैक्षिक सहयोग/अनुसमर्थन एवं मार्गदर्शन मिलता रहे । इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसका उद्देश्य अकादमिक सहयोग प्रदान करना है एवं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जिसके प्रमुख उद्देश्य, शैक्षिक अधिकारियों/अभिकर्मियों को नियोजन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना है । विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध अध्ययनों का

आंकलन करना, नीतिगत प्रकरण में शासन को परामर्श देना आदि इस संस्थान के मुख्य कार्य निर्धारित किए गये । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का वर्ष 1992 में संशोधन हुआ तथा एक नयी कार्ययोजना (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) निर्धारित हुई । इसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया ।

- सभी के लिए शिक्षा, सफलता और उच्च स्तर की प्राप्ति ।
- शिक्षा का समान ढॉचा ।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा । प्रत्येक चरण में अध्ययन का एक स्तर ।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अलावा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किया गया है । सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है । विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के 93 वें संशोाधन के फलस्वरूप 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकार किया जा चुका है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के लगातार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रारम्भिक चरण में शिक्षा सुविधाओं और नामांकन का काफी विस्तार हुआ है । परिणामतः हर दशक में उक्त क्षेत्रों में शिक्षा की प्रगति हुई है । इसे हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है ।

साक्षरता दर

वर्ष	साक्षरता दर (प्रतिशत में)			
	कुल	पुरुष	महिला	पुरुष-महिला अन्तर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.31	40.40	15.34	25.06
1971	34.45	45.95	21.97	23.98
1981	43.56	56.37	29.75	26.62
1991	52.21	63.13	39.29	24.16
2001	65.38	75.85	54.16	20.69

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट

मानव विकास प्रतिवेदन 2004, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्ष से अधिक उम्र के प्रौढ़ों की साक्षरता दर वर्ष 1990 में 49.3 प्रतिशत थी जो वर्ष 2002 में 61.3 प्रतिशत है ।

सबके लिए शिक्षा संबंधी विश्व घोषणा-पत्र और 'ज्ञानार्जन संबंधी भूल आवश्कताओं को पूरा करने के कार्य की रूपरेखा' पर देश में शिक्षा नीति निर्माण के सर्वोच्च निकाय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने 1991 और 1992 में विचार किया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा में दी गई प्राथमिकता की अभिपुरित ही थी । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सबके लिये शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । वित्तीय सहायता प्राप्त करने की एक व्यापक रुपरेखा तैयार की । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने इस बात पर भी बल दिया कि बाह्र्य सहायता से जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों को शैक्षिक पुनर्गठन के लिए प्रयोग किया जाए और शैक्षिक पुनर्गठन, परम्परागत उपायों, जैसे- नए विद्यालय खोलना, विद्यालय भवन का निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति से कहीं बढ़कर हो ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाए गए तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा समर्थित लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यनीतियों को अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल किया गया । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य को वर्ष 1950 से एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है । भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का प्रावधान है । इस संबंध में समग्र लक्ष्य सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्तायुक्त निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है । इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा को एक व्यापक रूप में स्पष्ट किया गया । इसमें नामांकन से अधिक भागीदारी और शिक्षा जारी रखने पर खास बल है । सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को शामिल करके सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य का विस्तार किया गया था ।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर प्रदेश में अनेक परियोजनायें संचालित की गई जिसमें बेसिक शिक्षा परियोजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय तथा जनशाला कार्यक्रम प्रमुख है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्तमान में वर्ष 2001-02 से पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किया गया है । विभिन्न वर्षों में प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है-

वर्ष	शिक्षा पर कुल सरकारी चालू व्यय की प्रतिशतता के रूप में चालू सरकारी व्यय (प्रतिशत में)		सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में चालू सरकारी व्यय (प्रतिशत में)	
	प्राथमिक शिक्षा (1-5)	प्रारम्भिक शिक्षा (1-8)	प्राथमिक शिक्षा (1-5)	प्रारम्भिक शिक्षा (1-8)
1990	34.30	46.30	1.25	1.69
1991	34.22	46.30	1.18	1.60
1992	33.69	45.20	1.14	1.53
1993	34.20	46.20	1.02	1.38
1994	34.05	46.40	1.00	1.36
1995	35.30	48.50	1.05	1.44
1996	36.50	50.10	1.05	1.44
1997	37.10	50.40	1.08	1.47

स्रोत : बजटगत व्यय विश्लेषण (मानव ससाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

मानव विकास प्रतिवेदन 2004 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में 1990 में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जी.डी.पी. का 3.9 प्रतिशत था जो वर्ष 1999-2000 में 4.1 प्रतिशत हो गया है । यदि हम सरकार के सम्पूर्ण व्यय से शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय देखे तो 1990 में यह 12.2 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1999-2000 में 12.7 प्रतिशत है । यदि हम स्तरवार शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्यय को देखे तो निम्नानुसार जानकारी प्राप्त होती है -

वर्ष	प्री प्राथमिक एवं प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च स्तर
1990	38.9	27.0	14.9
2001	38.4	40.1	20.3

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्री प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा के व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि माध्यमिक एवं उच्च स्तर की शिक्षा के व्यय में वृद्धि हुई है । विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यदि प्रारम्भिक शिक्षा में हुए व्यय का अवलोकन करे तो हम पाते है कि द्वितीय (1956-61), पंचम(1974-79) एवं दसवी(2002-07) योजना में प्रारम्भिक शिक्षा पर क्रमशः 95, 591.3 एवं 28750 करोड रुपये व्यय किये गये/ जा रहे है । जो सम्पूर्ण शिक्षा व्यय का क्रमशः 35, 52 एवं 67 प्रतिशत है ।

एजूकेशनल सांख्यिकी 1999-2000, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2001 के आंकड़ों के अनुसार विद्यालय जाने योग्य बच्चों की संख्या निम्नानुसार है -

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्रमांक	**उम्र**	**1991**			**2001**		
		बालक	**बालिका**	**योग**	**बालक**	**बालिका**	**योग**
1	6-11	60.31	56.40	116.71	60.42	57.84	18.26
2	11-14	27.88	25.13	55.01	38.50	35.97	74.47
3	14-16	19.52	16.68	36.20	27.74	22.53	47.27
4	16-18	14.71	12.99	27.70	23.50	20.95	44.45

स्रोतः एजूकेशनल सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2001

विद्यालयों की स्थिति

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रयास किये गये है और उनके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं । देश के 18 राज्य के 461 जनपदों में 853601 विद्यालय संचालित है जिनमें से 87 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है । इनमें से सबसे अधिक विद्यालय आंध्रप्रदेश में 37575, उत्तर प्रदेश में 119443, मध्यप्रदेश में 85225 तथा उड़ीसा में 81154 विद्यालय संचालित है तथा सबसे कम विद्यालय केरल में 11964, उत्तरांचल में 17224, हिमाचल प्रदेश में 14778 तथा झारखण्ड में 21238 विद्यालय संचालित है ।

व्हेयर वी एक्स्टेन्ड की नीपा रिपोर्ट 2002-2003 के अनुसार देश में प्राथमिक विद्यालय 70.71 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय 15.41 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय 2.18 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालय 5.96 प्रतिशत, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय 4.14 प्रतिशत है । इन प्राथमिक विद्यालयों में से 90.93 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय विद्यालयों में से 82.68 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में से 58.29 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 90.54 प्रतिशत तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सें 75.79 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति है ।

संचालित विद्यालयों में से 61.06 प्रतिशत विद्यालय शिक्षा विभाग 4.59 प्रतिशत विद्यालय आदिवासी विकास विभाग, 20.61 प्रतिशत विद्यालय स्थानीय निकाय तथा 11.70 प्रतिशत विद्यालय अशासकीय अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त है । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये जहाँ एक ओर प्राथमिक विद्यालय खोले गये है वही आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोले गये है । व्हेयर वी एक्स्टेन्ड की नीपा रिपोर्ट 2002-2003 के अनुसार गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में क्रमशः 1.56,

1.99, 2.01, 2.08, 2.42, 2.62, 2.92, 3.02, 3.13, 3.19, 3.37, 3.59, 3. 60, 4.19, 4.91, 5.00, 5.24, एवं 5.27 प्राथमिक विद्यालय के बीच एक उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है ।

वर्ष 1994 के बाद 2002-03 तक 161279 विद्यालय विभिन्न योजना के अन्तर्गत संचालित किये गये है जिनमें से 82.63 प्रतिशत विद्यालयों के पास विद्यालय भवन है । आन्ध्र प्रदेश में 22552, मध्यप्रदेश में 19242, राजस्थान में 36793 और उत्तर प्रदेश में 33452 विद्यालय संचालित किये गये है । खोले गये विद्यालयों से 74.51 प्रतिशत (1,20,176) विद्यालय प्राथमिक के है जो कुल प्राथमिक विद्यालयों का 18.83 प्रतिशत है । 11.19 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक के साथ तथा 15.14 प्रतिशत हाईस्कूल के साथ संलग्न खोली गई है ।

देश की 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में चहारदिवारी नहीं है तथा 7.38 प्रतिशत विद्यालयों (62996) के पास आज भी विद्यालय भवन नहीं है । कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के 80 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों के पास पक्का भवन है । वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रणाली के आंकडों के अनुसार देश में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में से 70.19 प्रतिशत विद्यालयों के पास पक्का भवन, 10.79 प्रतिशत विद्यालयों के पास आंशिक पक्का भवन, 2.52 प्रतिशत विद्यालयों के पास कच्चा भवन, 0.2 प्रतिशत विद्यालयों के पास टेन्ट, 8.35 प्रतिशत विद्यालयों के पास बहुविकल्प प्रकार तथा 6.34 प्रतिशत विद्यालय भवन विहीन है ।

शिक्षक एवं कक्षा-कक्ष विहीन विद्यालयों की स्थिति

राज्य शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली से प्राप्त शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के वर्ष 2002-03 के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 36 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में तीन से अधिक शिक्षक है । जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रतिशत 33 है । 11.72 प्रतिशत विद्यालयों में एक भी कक्षाकक्ष नहीं है जबकि 15.74 प्रतिशत में एक, 35.65 प्रतिशत में दो तथा 36.89 प्रतिशत में तीन या तीन से अधिक कक्षाकक्ष है । शिक्षक एवं कक्षाविहीन विद्यालयों को हम निम्न तालिका की सहायता से देख सकते हैं-

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कक्षविहीन विद्यालयों का प्रतिशत	शिक्षक विहीन विद्यालयों का प्रतिशत
1.	प्राथमिक विद्यालय	11.72	1.37
2.	उच्च प्राथमिक के साथ प्राथमिक विद्यालय	7.19	1.38
3.	उच्च प्राथमिक एवं सेकेण्डरी के साथ प्राथमिक विद्यालय	9.94	3.78
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	19.64	1.48
5.	हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय	5.92	3.77

स्रोत - नीपा रिपोर्ट (2002-03)

विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की स्थिति

शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के डाइस के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में 15.7 प्रतिशत (94734 विद्यालय) प्राथमिक विद्यालय एककक्षीय है । वर्ष 2002-03 के आँकड़ों के अनुसार 15.7 प्रतिशत प्राथमिक, 4.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय, 2.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाई/हायरसेकेण्ड के साथ संलग्न प्राथमिक, 0.7 प्रतिशत हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी विद्यालय से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय एककक्षीय है । 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकडों के अनुसार आंध्र प्रदेश 32.7 प्रतिशत, असम 70.2 प्रतिशत, बिहार 16.8 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 6.2 प्रतिशत, गुजरात 16.4 प्रतिशत, हरियाणा 5.4 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 10.1 प्रतिशत, झारखण्ड 7.4 प्रतिशत, कर्नाटक 24.7 प्रतिशत, केरल 1.7 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 9.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र 19.1 प्रतिशत, उड़ीसा 5.1 प्रतिशत, राजस्थान 4.2 प्रतिशत, तमिलनाडू 13.5 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 2.7 प्रतिशत, उत्तरांचल 2.9 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल 23.3 प्रतिशत विद्यालय एक कक्षीय है ।

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार देश के विद्यालयें के लगभग 55.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय के कक्षा-कक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है । 13.5 प्रतिशत कक्षा-कक्ष में सूक्ष्म मरम्मत की तथा 27.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में बृहदमरम्मत की आवश्यकता है । जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 66.2 प्रतिशत विद्यालयों के कक्षाकक्ष अच्छी स्थिति में है तथा

हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 82.9 प्रतिशत विद्यालय के कक्षाकक्ष अच्छी स्थिति में है । प्रतिकक्षा 60 से अधिक विद्यार्थी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा अनुपात 25.5 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा अनुपात 22.1 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा-अनुपात 10.7 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा अनुपात 15.6 प्रतिशत तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी-कक्षा अनुपात 17.1 प्रतिशत है । 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकडों के अनुसार आंध्र प्रदेश 17.4 प्रतिशत, असम 37.2 प्रतिशत, बिहार 59.0 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 14.0 प्रतिशत, गुजरात 14.0 प्रतिशत, हरियाणा 21.9 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 2.0 प्रतिशत, झारखण्ड 22.5 प्रतिशत, कर्नाटक 7.3 प्रतिशत, केरल 3.4 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 15.6 प्रतिशत, महाराष्ट्र 4.8 प्रतिशत, उड़ीसा 4.2 प्रतिशत, राजस्थान 9.0 प्रतिशत, तमिलनाडू 10.2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 49.1 प्रतिशत, उत्तरांचल 7.1 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल 42.6 प्रतिशत विद्यालय 60 या इससे अधिक विद्यार्थी-कक्षा अनुपात वाले है ।

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार देश के 50 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 100 से ऊपर नामांकन है । ग्रामीण क्षेत्र के 3.94 प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 20 का नामांकन है, 27 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 21 से 60 के बीच, 16 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 101 से 140 के बीच तथा 87 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 100 के ऊपर नामांकन है ।

शिक्षण अधिगम की स्थिति

वर्ष 2003 के डाइस आँकड़ों के अनुसार 9.38 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 8.11 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 8.92 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 6.37 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्यामपट्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

विद्यालयों में उपलब्ध बुकबैक की सुविधा के अन्तर्गत 40.76 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 41.47 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 51.91 उच्च

प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 38.01 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 57.89 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में बुक बैक की सुविधा उपलब्ध है । महाराष्ट्र में सबसे अधिक 81.33 प्रतिशत विद्यालयों में बुकबैक की सुविधा उपलब्ध है, जबकि सबसे कम 14.43 प्रतिशत कर्नाटक के विद्यालयों में बुक बैक की सुविधा उपलब्ध है ।

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को पारस्परिक एवं नवाचारी बनाने के लिये भारत सरकार के सहयोग से राज्यों द्वारा विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये है ताकि बच्चे विद्यालय में नियमित आये तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया रोचक होने के कारण विद्यालय में रुके तथा सीखे । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष नवाचार मद के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को 50 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान में वर्ष 2002-03 के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार देश के 4.07 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 9.57 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 46.73 उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 6.27 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 29.33 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है । सबसे अधिक केरल के 23.08 प्रतिशत विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा उपलब्ध है, जबकि सबसे कम 2.71 प्रतिशत पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है । कुल मिलाकर भारत देश के 7.02 प्रतिशत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के स्वतंत्र विद्यालयों की तुलना में हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न विद्यालयों में 5-6 गुना ज्यादा कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है ।

नामांकन तथा लैंगिक समानता सूचकांक की स्थिति

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकडों के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल में क्रमश 20.1, 17.2, 25.5, 13.6, 11.5, 9.0, 14.8, 35.2,

20.3, 0.1, 15.0, 19.9, 23.5, 38.6, 7.2, 15.9, 21.5 तथा 8.1 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षकीय है ।

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक एवं बालिका नामांकन तथा लैंगिक समानता सूचकांक को हम राज्यवार निम्न तालिका की सहायता से देख सकते है-

क्र.	राज्य	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		नामांकन बालक	नामांकन बालिका	लैगिंक समानता अनुपात	नामांकन बालक	नामांकन बालिका	लैगिंक समानता अनुपात
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.84	49.16	0.97	53.80	46.20	0.86
2.	असम	51.79	48.21	0.93	52.28	47.72	0.91
3.	बिहार	57.63	42.37	0.74	64.80	35.20	0.54
4.	छत्तीसगढ़	51.33	48.67	0.95	56.29	43.71	0.78
5.	गुजरात	53.85	46.15	0.86	58.06	41.94	0.72
6.	हरियाणा	52.27	47.73	0.91	53.02	40.98	0.89
7.	हिमांचल प्रदेश	51.89	48.11	0.93	52.01	47.99	0.92
8.	झारखण्ड	55.33	44.67	0.81	60.03	39.97	0.67
9.	कर्नाटक	51.46	48.54	0.94	52.78	47.22	0.89
10.	केरल	50.83	49.17	0.97	52.01	47.99	0.92
11.	मध्यप्रदेश	50.81	47.19	0.89	59.20	40.80	0.69
12.	महाराष्ट्र	52.10	47.90	0.92	52.48	47.52	0.91
13.	उड़ीसा	52.53	47.47	0.90	55.31	44.69	0.81
14.	राजस्थान	54.39	45.61	0.84	66.08	33.92	0.51
15.	तमिलनाडू	51.75	48.25	0.93	51.83	48.17	0.93
16.	उत्तर प्रदेश	52.74	47.26	0.90	58.46	41.54	0.71
17.	उत्तरांचल	50.58	49.42	0.98	52.43	47.57	0.91
18.	पश्चिम बंगाल	50.78	49.22	0.97	52.87	43.13	0.89
	समस्त राज्य	52.82	47.18	0.89	55.80	44.20	0.79

स्रोत : नीपा रिपोर्ट (2002-03)

ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 84.38 प्रतिशत बालक, 83.69 प्रतिशत बालिका तथा 84.05 प्रतिशत दोनों का नामांकन है । जबकि उच्च प्राथमिक स्तर में 77.81 प्रतिशत बालक, 74.33 प्रतिशत बालिका तथा 76.28 प्रतिशत दोनो का नामांकन है । ग्रामीण नामांकन में प्राथमिक स्तर पर 53.02 प्रतिशत बालक तथा 46.98 प्रतिशत बालिका एवं उच्च प्राथमिक में 56.92 प्रतिशत बालक तथा 43.08 प्रतिशत बालिकायें नामांकित है । मानव विकास प्रतिवेदन 2004, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के अनुसार विश्व के 177 देशों में भारत का लिंग संबंधी विकास सूचकांक में 103 वॉ स्थान है ।

राज्य शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बच्चों में अनुसूचित जाति के नामांकन का प्रतिशत 21.8 (अनुसूचित जाति बालिका का कुल अनुसूचित जाति के नामांकन में 47.0 प्रतिशत है) तथा अनुसूचित जन जाति के नामांकन का 9.6 प्रतिशत (अनुसूचित जन जाति के नामांकन में अनुसूचित जन जाति की बालिका का नामांकन 46.0 प्रतिशत है) । उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बच्चों में अनुसूचित जाति के नामांकन का प्रतिशत 19.9 (अनुसूचित जाति बालिका का कुल अनुसूचित जाति के नामांकन में 42.1 प्रतिशत है) तथा अनुसूचित जन जाति के नामांकन का 7.8 प्रतिशत (अनुसूचित जन जाति के नामांकन में अनुसूचित जन जाति की बालिका का नामांकन 39.8 प्रतिशत है) ।

सिलेक्टेड एजूकेशनल सांख्यिकी 1999-2000, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2001 के आंकड़ों के अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर विभिन्न वर्षो में नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
	बालक	बालिका	दोनो	बालक	बालिका	दोनो
1950-51	60.6	24.8	42.6	20.6	4.6	12.7
1960-61	82.6	41.4	62.4	33.2	11.3	22.5
1970-71	95.5	60.5	78.6	46.5	20.8	33.4
1980-81	95.8	64.1	80.5	54.3	28.6	41.9

1990-91	114.0	85.5	100.4	76.6	47.0	62.1
1998-99	100.9	82.9	92.1	65.3	49.1	57.6
1999-00	104.1	85.2	94.9	67.2	49.7	58.8

स्रोत : सिलेक्टेड एजूकेशनल सांख्यिकी 1999-00, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2001 एवं एजूकेशन इन इण्डिया 1992-93 और 1993-94 मानव संसाधन विकास मत्रालय नई दिल्ली

सिलेक्टेड एजूकेशनल सांख्यिकी 1999-2000, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2001 के आंकड़ों के अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर विभिन्न वर्षो में नामांकन वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है -

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1950-51	5.4	19.2	28.13	0.5	3.1	16.13
1960-61	11.4	35.0	32.57	1.6	6.7	23.88
1970-71	21.3	57.0	37.37	3.9	13.3	29.32
1980-81	28.5	73.8	38.62	6.8	20.7	32.85
1990-91	40.4	97.4	41.48	12.5	34.0	36.76
1998-99	48.2	110.9	43.46	16.3	40.3	40.45
1999-00	49.5	113.6	43.58	17.0	42.1	40.38

स्रोत : सिलेक्टेड एजूकेशनल सांख्यिकी 1999-00, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2001 दिल्ली

विद्यालयों में खेल के मैदान, पीने के पानी एवं शौचालय की स्थिति

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार विद्यालय में खेल के मैदान में 42.22 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में खेल का मैदान है जबकि 54.33 प्रतिशत उच्च प्राथमिक तथा 57.50 प्रतिशत हाईस्कूल और हायरसेकेण्डरी में संलग्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में खेल का मैदान है। सबसे अधिक तमिलनाडु के 63 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में खेल का मैदान है

जबकि सबसे कम उड़ीसा के 17.45 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में खेल का मैदान है ।

विद्यालय में उपलब्ध पानी की सुविधा के अन्तर्गत 71.9 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 79.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 88.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक और सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी विद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्याालय, 75.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 89.4 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध है

देश के 29.06 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 48.29 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 67.36 उच्च प्राथमिक और हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 39.18 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 60.38 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिये संयुक्त शौचालय की सुविधा उपलब्ध है । जबकि 15.64 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 33.89 उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 69.71 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 28.14 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 64.65 प्रतिशत हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ।

ट्रांजीशन दर

प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002-03 के आंकड़ों के अनुसार 64.48 प्रतिशत बच्चे नामांकित होते है जिनमें से 65.96 प्रतिशत बालक तथा 62.73 प्रतिशत बालिकायें है । केरल राज्य का ट्रांजीशन दर का प्रतिशत (94.77 प्रतिशत) अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है, जबकि हिमाचल प्रदेश का ट्रांजीशन दर 30.28 है जो कि सबसे कम है । मानव विकास प्रतिवेदन 2004, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के अनुसार भारत में वर्ष 2000-01 के ऑकडों के अनुसार कक्षा 1 से 5 पहुचने वाल बच्चों की संख्या 59 प्रतिशत है । विभिन्न वर्षो की ट्रांजीशन दर निम्नानुसार है -

वर्ष	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक			उच्च प्राथमिक से हाई स्कूल		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1970-71	86.60	74.08	82.56	-	-	-
1980-81	92.11	81.77	88.35	88.58	83.16	86.89
1990-91	87.00	83.00	85.00	79.30	70.49	76.05
1998-99	95.59	90.33	93.37	83.15	82.66	82.95

स्रोत : जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा 2003 पेज 514

बच्चों का उपलब्धि स्तर

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर के बोर्ड में बालकों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 93.59 तथा बालिकाओं का 93.59 प्रतिशत है । अर्थात बालिकाओं के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बालकों की अपेक्षा अधिक है । 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वालों में बालकों का प्रतिशत 44.02 तथा बालिकाओं का प्रतिशत 44.43 है । जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के बोर्ड में बालकों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 87.63 तथा बालिकाओं का 87.84 प्रतिशत है । उच्च प्राथमिक स्तर पर 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वालों में बालकों का प्रतिशत 34.77 तथा बालिकाओं का 36.61 प्रतिशत है । उच्च प्राथमिक स्तर पर भी बालिकाओं के उत्तीर्ण हाने का प्रतिशत बालकों की तुलना में अधिक है । प्राथमिक स्तर पर उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर के बोर्ड में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की तुलना में काफी अधिक है ।

शिक्षकों की स्थिति

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ठीक करने के लिए काफी प्रयास किये गये है । वर्ष 2002-03 के आँकड़ों के अनुसार शासकीय विद्यालयों में औसतन प्रति प्राथमिक विद्यालय 2.47, उच्च प्राथमिक विद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 6.17, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 7.81, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4.15 तथा हाईस्कूल/हायर

सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7.19 शिक्षक है । जबकि अशासकीय विद्यालयों में औसतन प्रति प्राथमिक विद्यालय 4.88, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 8.40, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 10.89, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 5.34 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10.34 शिक्षक है । शिक्षकों की स्थिति में सुधार के साथ महिला शिक्षकों की संस्था में भी काफी वृद्धि हुई है । वर्ष 2002-03 के आँकड़ों के अनुसार कुल शिक्षकों में महिला शिक्षक का प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में 34.4 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 40.5 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 54.6 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 23.6 प्रतिशत तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 36.6 प्रतिशत है ।

प्रशिक्षित शिक्षकों में प्राथमिक स्तर पर 46.3 प्रतिशत पुरुष तथा 40.9 प्रतिशत महिलायें तथा 44.4 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है । उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 35.1 प्रतिशत पुरुष, 34.5 प्रतिशत महिलायें तथा 34.8 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है । उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में 10.4 प्रतिशत पुरुष, 8.4 प्रतिशत महिलायें तथा 9.4 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है । उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8.7 प्रतिशत पुरुष, 12.2 प्रतिशत महिला तथा 10.5 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है जबकि हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 9.7 प्रतिशत पुरुष, 12.6 प्रतिशत महिला तथा 9. 15 प्रतिशत दोनों प्रशिक्षित है ।

शासन स्तर से विद्यालय में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को तर्कसंगत बनाने के लिए पैरा शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है । वर्तमान कार्यरत कुल शिक्षकों में पैराशिक्षक का प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर 11.03, उच्च प्राथमिक के संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 5.90, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8.34 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2.76 है । पैरा शिक्षकों की योग्यता में 2.44

प्रतिशत सेकण्डरी के नीचे, 9.19 प्रतिशत सेकण्डरी, 32.35 प्रतिशत हायर सेकण्डरी, 32.58 प्रतिशत स्नातक, 17.38 प्रतिशत स्नातकोत्तर 0.13 प्रतिशत एम.फिल. तथा 0.13 प्रतिशत अन्य योग्यता के है । कुल कार्यरत पैराटीचर्स में 34.47 प्रतिशत महिला पैरा टीचर्स हैं ।

महिला शिक्षकों की स्थिति

इण्डियन एजूकेशनल रिपोर्ट नीपा नई दिल्ली के 2001-02 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षकों का प्रतिशत निम्नानुसार है -

(आंकडे हजार में)

वर्ष	प्राथमिक स्तर				उच्च प्राथमिक स्तर			
	कुल	पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	कुल	पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत
1950-51	538	556	82	15	86	73	13	15
1960-61	742	615	127	17	345	262	83	24
1970-71	1080	835	225	21	638	463	175	27
1980-81	1363	1021	342	25	851	598	253	30
1990-91	1616	1143	473	29	1073	717	356	33
1997-98	1872	1229	643	34	1212	775	437	36

स्रोत - इण्डियन एजूकेशनल रिपोर्ट नीपा नई दिल्ली 2001-02 पृष्ठ 42

1.04.0 प्रारम्भिक शिक्षाःउत्तर प्रदेश में किये गये प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्य

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की गई है और जा रही है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के फलस्वरूप आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें अधिगम तथा ठहराव में आने वाली बाधाओं

को दूर करने का लक्ष्य और प्रावधान रखा गया । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों (जनपदों के पुर्नगठन के बाद इनकी संख्या 17 हो गई थी) में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना संचालित हुई जो वर्ष 2000 में समाप्त हुई । वर्ष 1997 से उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय तथा 32 जनपदों में वर्ष 2000 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय संचालित हुआ । इसके अतिरिक्त लखनऊ जनपद में वर्ष 1998 से जनशाला कार्यक्रम संचालित किया गया । वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जनपद सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2001-02 सें संचालित है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अन्तर्गत जहाँ एक ओर प्रत्येक बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं दूसरी ओर सभी बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु विद्यालयों को भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे है । विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाने के लिये तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायी, रुचिपूर्ण एवं गतिविधि आधारित बनाने के लिये प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न मदों में प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है । समुदाय को जागरुक बनाने के लिये उनको प्रशिक्षण दिया गया है तथा उनको विद्यालयीन अधिकारों एवं दायित्व से अवगत कराया गया है । विषय वस्तु को बालकेन्द्रित, गतिविधि आधारित एवं जेण्डर भेद मुक्त बनाया गया है । शिक्षकों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया गया है और दिया जा रहा है । संकुल केन्द्र एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की स्थापना कर उनको अकादमिक दृष्टि से मजबूत बनाया गया है तथा विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक तंत्र की क्षमता संवर्धन का प्रयास किया गया है । बालिका शिक्षा, अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू किया गया है । यद्यपि इन सबके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता मिली है, फिर भी अभी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है । उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति निम्नानुसार है -

विद्यालयों की स्थिति

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधक प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 99778 (97.9 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1914 (1.8 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 269 (0.3 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक विद्यालय 16663 (96.4 प्रतिशत) तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 619 (3.6 प्रतिशत) है । उत्तर प्रदेश में 5.24 प्राथमिक के बीच में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय । वर्ष 1994 के बाद वर्ष 2002-03 तक 26544 प्राथमिक विद्यालय खोले गये है । प्रतिशत की दृष्टि से 1994 के बाद 24.70 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 24.90 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 16.00 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 35.10 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 5.80 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये गये है । प्रदेश के 71.14 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 29.41 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 21.93 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 62.18 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 16.96 प्रतिशत हाईस्कूल से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी की सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध है ।

भवन की स्थिति

प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निमार्ण कार्य कराया गया है और आगे कराया जा रहा है उसके बावजूद अभी तक विभिन्न कारणों से शतप्रतिशत विद्यालयों में पक्का भवन नहीं उपलब्ध कराया जा सका है । वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार विद्यालय के प्रकारवार भवनों की स्थिति का प्रतिशत निम्नानुसार है-

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	भवन की स्थिति					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	भवन विहीन
1.	प्राथमिक विद्यालय	94.60	1.22	0.24	0.04	0.91	2.48
2.	उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	87.15	3.76	0.42	0.00	6.27	1.62
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	90.71	1.12	0.00	0.37	4.46	2.23
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	91.22	1.22	0.04	0.03	1.75	4.93
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	92.08	0.81	0.00	0.00	4.36	1.29

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

कक्षाकक्ष की स्थिति

विद्यालय के प्रकार के अनुसार वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष की स्थिति निम्नानुसार है-

(प्रतिशत में)

कक्षा-कक्षों की संख्या	विद्यालय के प्रकार				
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
कक्षाविहीन	3.07	2.30	3.72	5.73	1.79
एक कक्षीय	2.67	0.63	0.74	1.58	0.33
दो कक्षीय	42.79	4.08	1.12	5.42	0.49
तीन या अधिक कक्षीय	51.48	92.98	94.42	87.28	97.39

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार कक्षाकक्ष की स्थिति विद्यालय के प्रकार के अनुसार निम्नानुसार है-

(प्रतिशत में)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष की स्थिति का प्रतिशत		
		अच्छी स्थिति	आंशिक मरम्मत की आवश्यकता	बृहद मरम्मत की आवश्यकता
1.	प्राथमिक विद्यालय	63.8	26.3	9.9
2.	उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	80.4	16.0	3.6
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	83.5	12.1	4.5
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	67.1	23.5	9.4
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	85.4	11.1	3.5

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

नामांकन की स्थिति

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार विद्यालयवार बच्चों के नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है-

(प्रतिशत में)

क्रमांक	नामांकन अंतराल	विद्यालयों का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	1-20	0.45	0.37	0.74	3.47	0.49
2.	21-60	5.84	2.98	1.49	18.36	4.72
3.	61-100	13.81	4.03	5.58	21.28	6.84
4.	101-140	19.40	7.43	6.69	17.28	10.59
5.	141-220	32.26	18.12	17.47	19.92	19.54
6.	221-300	16.01	18.80	14.50	9.27	18.73
7.	300 से अधिक	11.96	48.01	53.53	9.94	38.44
8.	अप्राप्त नामांकन	0.26	0.26	0.0	0.48	0.65

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबधंन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 18773093 (कक्षा एक में 29.4 प्रतिशत, कक्षा दो में 22.4 प्रतिशत, कक्षा तीन में 19.3 प्रतिशत, कक्षा चार में 15.6 प्रतशत एवं कक्षा पॉच में 13.3 प्रतिशत) बच्चे एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2927187 (कक्षा छः में 39.4 प्रतिशत, कक्षा सात में 32.4 प्रतिशत एवं कक्षा आठ में 28.2 प्रतिशत) बच्चे नामांकित है ।

अनुसूचित जाति का नामांकन

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबधंन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 31.9 प्रतिशत (अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका का नामांकन 47.2 प्रतिशत) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 29.6 प्रतिशत (अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका का नामांकन 39.9 प्रतिशत) है । जबकि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन 0.2 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति बालिका का नामांकन 46.4 प्रतिशत) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.3 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति बालिका का नामांकन 43.2 प्रतिशत) है ।

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति

वर्ष 2002-2003 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	**विद्यालय का प्रकार**	**नामांकन**		
		बालक	**बालिका**	**योग**
1.	प्राथमिक विद्यालय	92395	57989	150384
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	12574	7021	19595

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

शिक्षकों की स्थिति

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है-

(प्रतिशत में)

क्रमांक	शिक्षकों की संख्या	विद्यालयों का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	शिक्षक विहीन	1.25	2.46	1.86	1.94	6.46
2.	एक शिक्षकीय	15.86	1.62	1.86	11.82	0.97
3.	दो शिक्षकीय	40.52	5.02	5.20	18.2	4.20
4.	तीन या अधिक शिक्षकीय	42.38	90.91	91.08	67.32	88.37

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में निम्नानुसार है -

क्रम संख्या	विद्यालय का प्रकार	शिक्षकों की योग्यता							
		सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	7955	38760	72999	59889	38321	585	487	30577
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	114	463	2011	3933	2745	20	26	4263
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक	33	69	251	485	438	14	20	698

	विद्यालय								
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	861	2721	19955	17761	11782	78	74	7088
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	28	58	233	947	137	11	0	1242
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	189	642	8020	5661	2323	22	10	4931

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2002-03)

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार -

- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 1:64, उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 1:45, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 1:38, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:40 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:25 कक्षा विद्यार्थी अनुपात है ।
- उत्तर प्रदेश के 24.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 12.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 15.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 7.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 10.7 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 100 से अधिक है ।
- प्रदेश के 4.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 10.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय एवं 14.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर

सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 या उससे कम विद्यार्थी अध्ययनरत है ।

- प्रदेश के 49.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय 25.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 21.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 17.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 12.6 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 60 से अधिक है ।

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्रमांक	सूचकांक (2002-03)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक वद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	47.4	40.1	48.0	41.9	37.0
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	67	46	52	40	43
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	64	45	38	40	25
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	4.5	10.4	17.1	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले	24.2	12.4	15.6	7.2	10.7

	विद्यालयों का प्रतिशत					
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	27.5	29.1	30.7	19.0	9.5
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	24.7	29.1	16.0	35.1	5.8

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

प्री-प्राइमरी विद्यालय सुविधा

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार 8.95 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय 7.26 उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय एवं 8.18 उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में प्री-प्राथमिक विद्यालय की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है ।

अन्य भौतिक संसाधन

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार -

- प्रदेश के 4.83 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 4.18 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 8.92 उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 8.47 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 4.20 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्यामपट उपलब्ध नहीं है ।
- प्रदेश के 91.0 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 92.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 91.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 85.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 54.5 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है ।
- प्रदेश के 59.22 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 78.32 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 79.55 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर

सेकेण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 62.44 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 85.78 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डर के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिये खेल का मैदान है ।

- प्रदेश के 55.03 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 75.24 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 76.21 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 55.45 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 84.65 प्रतिशत हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं हैं, जबकि 40.88 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 69.49 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 73.61 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 42.66 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 76.90 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था है ।

रिपीटर दर

वर्ष 2002-2003 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार रिपीटर दर निम्नानुसार है -

प्राथमिक स्तर पर

(प्रतिशत में)

कारण	लिंग	कक्षा				
		1	2	3	4	5
अनुत्तीर्ण के कारण	बालक	3.10	1.85	1.88	1.44	0.73
	बालिका	3.11	1.87	1.93	1.46	0.75
अनुपस्थिति के कारण	बालक	1.36	1.02	0.82	0.64	0.54
	बालिका	1.32	0.96	0.81	0.63	0.56
कुल रिपीटीशन	बालक	4.46	2.87	2.70	2.09	1.27
	बालिका	4.43	2.83	2.75	2.10	1.31

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

उच्च प्राथमिक स्तर पर (प्रतिशत में)

कारण	लिंग	कक्षा		
		6	7	8
अनुत्तीर्ण के कारण	बालक	1.44	0.94	0.77
	बालिका	0.94	0.73	0.64
अनुपस्थिति के कारण	बालक	0.14	0.21	0.22
	बालिका	0.10	0.17	0.16
कुल रिपीटीशन	बालक	1.28	1.15	0.99
	बालिका	1.05	0.90	0.80

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कक्षा 1 में रिपीटीशन दर सबसे अधिक है । कक्षाओं के बढ़ने के साथ रिपीटीशन दर में क्रमशः कमी आती जाती है ।

बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत

वर्ष 2002-2003 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के बोर्ड परीक्षा में उपलब्धि के स्तर की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	पाठ का प्रतिशत	प्राथमिक स्तर कक्षा 5		उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	98.13	97.96	96.62	97.19
2.	60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण का प्रतिशत	37.71	35.21	34.78	37.97

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2002-2003)

1.05.0 प्रारम्भिक शिक्षा : बालिका शिक्षा की प्रगति

भारत विश्व में चीन के बाद द्वितीय बड़ा शैक्षिक निकाय है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 54.56 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 75.86 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 के ऑकड़ों के अनुसार महिला एवं पुरुष साक्षरता दर क्रमशः 42.93 एवं 70.23 प्रतिशत है। भारत शिक्षा विकास प्रतिवेदन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के वर्ष 1997-98 के आंकड़ों के अनुसार देश में 610,763 प्राथमिक, 185,506 उच्च प्राथमिक तथा 107,100 हाई स्कूल/हाई सेकण्डरी स्कूल, 7199 सामान्य शिक्षा के लिये कालेज, 2075 व्यावसायिक कालेज, 229 विश्वविद्यालय है, जिनमें 109 मिलियन बच्चे कक्षा 1 से 5 में, 39.5 मिलियन बच्चे 6 से 8 में तथा 27.3 मिलियन बच्चे कक्षा 9 से 12 में नामांकित है। 43.62 प्रतिशत बालिकाये प्राथमिक स्तर पर, 40.12 प्रतिशत बालिकाये उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा 37.09 प्रतिशत बालिकाये हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल स्तर पर नामांकित है। विभिन्न वर्ष में कुल नामांकन में बालिकाओं के नामांकन की हिस्सेदारी निम्नानुसार रही -

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक स्तर (I-V)	उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII)
1950-51	28.1	6.1
1960-61	32.6	23.9
1970-71	37.4	29.3
1980-81	38.6	32.9
1990-91	41.5	36.7
1997-98	43.6	40.1
2002-03 *	47.18	44.2

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग
** नीपा ई.एम. आई. एस. रिपोर्ट 2002-03*

वर्ष 1997-98 में प्राथमिक स्तर पर नामांकित 43.62 प्रतिशत लड़कियों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 42.59 तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 42.82 है,

जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की 42.12 प्रतिशत लड़कियों में अनुसूचित जाति कि लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत 38.49 तथा अनुसूचित जनजाति का 37.09 प्रतिशत है । वर्ष 1997-98 के आंकड़ों के अनुसार कुल नामांकन में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के नामांकन में निम्नानुसार हिस्सेदारी पाई गई -

वर्ग	प्राथमिक स्तर (I-V)			उच्च प्राथमिक स्तर (VI-III)		
	बालक	बालिका	सभी	बालक	बालिका	सभी
अनुसूचित जाति	17.27	16.60	16.96	14.99	14.01	14.59
अनुसूचित जनजाति	8.40	8.13	8.28	6.26	5.52	5.96

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ 2002-03

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार देश का समता सूचकांक प्राथमिक स्तर पर 0.98 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.79 है । उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर जेण्डर सूचकांक 0.90 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर जेण्डर सूचकांक 0.71 है ।

नामांकन अनुपात

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग के वर्ष 1950-51 से 1997-98 के आकड़ों के अनुसार देश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात निम्नानुसार है -

वर्ष	प्राथमिक स्तर (I-V)			उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII)		
	बालक	बालिका	सभी	बालक	बालिका	सभी
1950-51	60.8	24.9	42.6	20.8	4.3	12.9
1960-61	82.6	41.4	62.4	33.2	11.3	22.5
1970-71	96.5	60.5	78.6	46.3	19.4	33.4
1980-81	95.8	64.1	80.5	54.3	28.6	41.9
1990-91	113.9	85.5	100.1	76.6	47.0	62.1
1997-98	97.5	81.2	89.7	66.5	49.5	58.5

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग

वर्ष 1997-98 के आंकड़ों का जातिवार एवं लिंगवार विश्लेषण करने पर देश में प्राथमिक स्तर पर वर्ष 1997-98 के बालक नामांकन अनुपात 97.5 प्रतिशत में 102.25 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 102.93 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का नामांकन अनुपात है । जबकि लड़कियों के नामांकन अनुपात 81.20 प्रतिशत में अनुसूचित जाति की लड़कियों के नामांकन का अनुपात 81.60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन अनुपात 78.34 प्रतिशत है । यदि वर्ष 1997-98 के प्राथमिक के सम्मिलित नामांकन अनुपात 89.7 प्रतिशत में देखे तो अनुसूचित जाति की लड़कियों के नामांकन का अनुपात 92.36 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन अनुपात 90.36 प्रतिशत है । उच्च प्राथमिक स्तर पर 1997-98 के आंकड़ों के अनुसार बालक के नामांकन अनुपात 66.5 प्रतिशत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का नामांकन अनुपात 75.84 प्रतिशत तथा 53.03 प्रतिशत है । जबकि लड़कियों के नामांकन अनुपात 49.5 प्रतिशत में अनुसूचित जाति का नामांकन का अनुपात 37.59 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन अनुपात 32.93 प्रतिशत है । उच्च प्राथमिक के सम्मिलित नामांकन अनुपात 58.5 प्रतिशत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का नामांकन अनुपात 56.17 एवं 43.24 प्रतिशत है । लड़कियों के प्राथमिक स्तर के नामांकन में उत्तरप्रदेश की स्थिति देश के औसत से 9 प्रतिशत नीचे है जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 7 प्रतिशत नीचे है ।

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार देश के प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के नामांकन अनुपात 21.8 प्रतिशत में अनुसूचित जाति की लड़कियों का नामांकन अनुपात 47.0 प्रतिशत है । अनुसूचित जन जाति के नामांकन अनुपात 9.6 प्रतिशत में अनुसूचित जन जाति की लड़कियों का नामांकन अनुपात 46.0 प्रतिशत है । उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के नामांकन अनुपात 19.9 प्रतिशत में अनुसूचित जाति की लड़कियों का नामांकन अनुपात

42.9 प्रतिशत है । अनुसूचित जन जाति के नामांकन अनुपात 7.8 प्रतिशत में अनुसूचित जन जाति की लड़कियों का नामांकन अनुपात 39.8 प्रतिशत है ।

ड्रापआउट दर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग के ऑकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के ड्रापआउट दर की स्थिति निम्नानुसार है -

वर्ष	प्राथमिक स्तर (I-V)			उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII)		
वर्ष	बालक	बालिका	सभी	बालक	बालिका	सभी
1960-61	61.7	70.9	64.9	70.0	85.0	78.3
1970-71	64.5	70.9	67.0	74.6	83.4	77.9
1980-81	56.2	62.5	58.7	68.0	79.4	72.7
1990-91	40.1	46.0	42.6	59.1	65.1	60.9
1997-98	38.2	41.3	39.6	50.7	58.6	54.1

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग

वर्ष 1997-98 के ऑकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय ड्रापआउट दर से उत्तर प्रदेश की ड्रापआउट दर प्राथमिक स्तर पर 13 प्रतिशत अधिक है जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर से 17 प्रतिशत नीचे है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग एवं नीपा के वर्ष 2000 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्रमोशन, ड्रापआउट तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने में लगने वाले समय की स्थिति निम्नानुसार है -

लिंग	प्रमोशन दर	ड्रापआउट	प्राथमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने में लगा समय वर्ष
बालक	67.8	25.6	7.2
बालिका	67.3	26.0	7.8
दोनों	67.6	25.8	7.5

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग एवं नीपा 2000

ट्रांजीशन दर

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार देश में बालिकाओं का प्राथमिक से उच्च में ट्रांजीशन दर 62.73 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश की वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार 36.30 प्रतिशत है ।

रिपीटीशन दर

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार देश में बालिकाओं का कक्षा एक, दो, तीन, चार, पॉच, छः, सात एवं आठ में रिपीटीशन दर क्रमशः 12.82, 7.57, 7.30, 6.29, 7.93, 8.07, 6.90 एवं 9.45 है, जिनमें से अनुत्तीर्ण के कारण कक्षा एक, दो, तीन, चार, पॉच, छः, सात एवं आठ में रिपीटीशन दर क्रमशः 7.43, 4.47, 4.80, 4.21, 6.16, 6.68, 5.73 एवं 8.36 है तथा कॉफी समय तक विद्यालय न आने के कारण कक्षा वार रिपीटीशन दर क्रमशः 5.38, 3.10, 2.50, 2.08, 1.77, 1.39, 1.16 तथा 1.09 प्रतिशत है ।

लड़कियों के बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत

वर्ष 2002-03 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार देश में बालिकाओं का प्राथमिक स्तर की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत 93.59 तथा उच्च प्राथमिक स्तर की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत 87 है । प्राथमिक स्तर पर 60 प्रतिशत से अधिक अंको के साथ उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का प्रतिशत 44.02 है जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 34.77 प्रतिशत है ।

1.06.0 प्रारम्भिक शिक्षा : विभिन्न आयोगों की संस्तुतियाँ

भारत में शिक्षा व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थाओं में एक है । शिक्षा के इतिहास में 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा

जाता है । बैंटिग की 1835 की विज्ञप्ति ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार की शिक्षा नीति बताया । आदेश पत्र ने यह मत प्रकट किया गया कि सम्पूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाय । 1854 के बुड़के "आदेशपत्र" के फलस्वरूप शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन परिलक्षित हुए । वर्ष 1882-1883 में भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) ने भारतीय शिक्षा के सभी अंगों और क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् सुझाव दिए ।

लार्ड कर्जन (1898-1905) ने भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से 1901 में "शिमला शिक्षा सम्मेलन" का स्वयं सभापतित्व किया । उसके पश्चात् उसने "भारतीय विश्वविद्यालय आयोग" की नियुक्ति की, "भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम" पारित करवाया, और "शिक्षा-नीति सम्बन्धी प्रस्ताव" में लार्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का प्रमुख दायित्व बताया जिसके फलस्वरूप 1705 के बाद प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तीव्रता दृष्टिगोचर हुई । इसके बाद जार्ज पंच ने 1912 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में सम्पूर्ण देश में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाने की बात कही । वर्ष 1929 में गठित हर्टाग समिति ने शिक्षा के अनेक कमियों की ओर ध्यान दिया तथा उन्होंने शिक्षा के गुणात्मक तथा संस्थात्मक विस्तार का सुझाव दिया । हटार्ग समिति की सिफारिश के फलस्वरूप भारत-सरकार ने सन् 1935 में "केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड" की पुनः स्थापना की । इस बोर्ड ने बच्चों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्राविधिक विषयों की शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया । हर्टांग समिति की सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । पहली बार ब्रिटिश काल में प्रारम्भिक शिक्षा के कार्य के विस्तार में बाधक समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया ।

हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने 1937 में बर्धा शिक्षा सम्मेलन में 'नई तालीम' जिसे 'वर्धा शिक्षा योजना' के नाम से पुकारा जाता है को प्रारम्भ किया । उनके अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करें । उन्होने शिक्षा को उत्पाद से जोड़ा । वर्ष 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट 12 भागों में प्रकाशित की गई । इसमें पूर्वप्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा

तक और शिक्षा के अनेक अन्य अंगों पर विस्तार से विचार किया गया । लेकिन ग्रामीण शिक्षा के बारे में कोई विचार नहीं दिया ।

समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई । विभिन्न समितियों ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निम्नानुसार सुझाव दिये -

1.06.1 सार्जेन्ट रिपोर्ट

तत्कालिक भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेन्ट ने भारत के युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर 1944 में एक 12 अध्यायों की रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिस की । सिफारिस में कहा गया कि की- 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों के लिये सार्वभौमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक या बेसिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय । रिपोर्ट में अपव्यय को रोकने के लिये, शिक्षा को अनिवार्य बनाने और अनिवार्यता को कार्यान्वित करने के लिये 'उपस्थिति' निरीक्षक पदाधिकारी नियुक्त किये जाये की सिफारिस की गई । रिपोर्ट में बेसिक शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तो का समर्थन, परन्तु शिक्षा को आत्म-निर्भर बनाने का विरोध किया गया । कहा गया कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओ का विक्रय कठिन है । बेसिक शिक्षा के काल को दो भागों में विभक्त किया गया - जूनियर बेसिक (6-11) और सीनियर बेसिक (11-14) । जूनियर बेसिक के विद्यालयों में सह शिक्षा को अनुपयुक्त बताया गया । शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा हो । जूनियर बेसिक के विद्यालयों में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया गया, पर सीनियर बेसिक विद्यालयों में इसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार प्रान्तीय शिक्षा विभाग को दे दिया गया । बाह्य परीक्षा के स्थान पर आन्तरिक परीक्षा को उचित बताया गया, जिसकी समाप्ति के उपरान्त प्रमाण-पत्र देना आवश्यक बताया गया ।

1.06.2 हंटर कमीशन

लार्ड रिपन ने भारत के गवर्नर जनरल का कार्य-भार सम्भालने के बाद 3 फरवरी 1982 में अपनी कार्य कारणी के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया । आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नानुसार सुझाव दिये -

- प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी तैयार करना न होकर जन-शिक्षा का प्रसार होना चाहिए ।
- प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक जीवनोपयोगी होना आवश्यक है ।
- प्राथमिक शिक्षा में ऐसे विषयों को स्थान दिया जाय जो कि छात्रों को स्वावलम्बी बना सकें और व्यावहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध हों । आयोग ने देशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया । आयेाग ने मुस्लिम, स्त्री, प्रौढ़ एवं शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालकर सर्वप्रथम इस क्षेत्र में सबका ध्यान आकर्षित कराया ।

हंटर कमीशन ने पाठ्यक्रम के संबंध में प्रत्येक प्रान्त को अपनी सुविधानुसार पाठ्य विषय निर्धारित करने की छूट दी, पर भौतिक विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, बहीखाता आदि कुछ जीवनोपयोगाी विषयों को पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित करने की सिफारिस की । साथ ही प्राथमिक विद्यालयों का स्तर ऊँचा उठाने के उद्देश्य से अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए नार्मल स्कूल खोलने का सुझाव दिया ।

1.06.3 हर्टांग समिति

वर्ष 1929 में तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था की जॉच्र के लिए गठित हर्टांग समिति प्राथमिक शिक्षा की समस्या का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी । समिति के अनुसार इसका प्रमुख कारण यह था कि पिछले समय में उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया था और प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की अवहेलना की गई थी । समिति ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो रहा था तथापि वह संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उसके मांग में अधोलिखित विशेष कठिनाइयाँ थी -

- देश की एक अति विशाल जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है । अतः प्राथमिक शिक्षा एक ग्रामीण समस्या है । नगरों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सरलतापूर्वक की जा सकती है, परन्तु ग्रामों में यह कार्य अति दुष्कर है ।
- ग्रामों के विद्यालय छोटे होते हैं । उनके लिये शिक्षक प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ग्रामीण वातावरण में निवास करना पसन्द नहीं करते हैं । ग्रामीण विद्यालयों के निरीक्षण में असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

- ग्राम-निवासी अशिक्षित, निर्धन और रूढ़िवादी है । अतः वे शिक्षा की उपादेयता को नहीं समझते हैं । इसीलिये वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं । फिर बच्चों को शिक्षा देने में उन्हें आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि उन्हें कृषि-कार्य के लिये अन्य व्यक्तियों को रखना पड़ता है ।
- प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है । बच्चों के लिये दूसरे गाँव के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना कठिन होता है, क्योंकि प्राकृतिक बाधायें, आवागमन के साधनों का अभाव एवं मौसमी बीमारियाँ उनके मार्ग में अवरोध डालती है ।
- बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया गया है ।
- बालकों को अपने माता-पिता के साथ कृषि-कार्य करना पड़ता है । अतः कार्य की अधिकता हो जाने पर वे विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते है ।
- जातीय, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भेद-भाव प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक है ।
- कुछ क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है । अतः वहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना एक दुरूह कार्य हो जाता है ।

प्राथमिक शिक्षा के दोषों का विवेचन करने के उपरान्त समिति ने उनके निवारण के लिये निम्नांकित सुझाव दिये -

- प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना आवश्यक है, परन्तु इसके लिए शीघ्रता करना उचित न होगा । जिस क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा लागू की जानी है उसका पहले अध्ययन किया जाय और वहाँ के लिये एक उपयुक्त योजना तैयार की जाय ।
- प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर जोर न देकर गुणात्मक उन्नति पर बल दिया जाय और प्राथमिक शिक्षा को ठोस बनाने की नीति का अनुसरण किया जाय ।
- शिक्षा को ठोस बनाने की नीति का अनुसरण किया जाय ।

- जो विद्यालय छोटे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या अति न्यून है और जिनमें शिक्षण की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, उन्हें समाप्त कर दिया जाय ।

- प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम शिक्षा-अवधि 4 वर्ष होनी चाहिये और उनके शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय ।

- विद्यालयों के पाठ्यक्रम को वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार अधिक उदार तथा उपयुक्त बनाया जाय और उसे व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित किया जाय ।

- विद्यालयों का समय, अवकाश एवं कार्यक्रम स्थानीय ऋतु एवं आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाय ।

- विद्यालयों की निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय और उसमें होने वाले अपव्यय तथा अवरोधन को समाप्त करने के लिये दृढ़ प्रयास किया जाय ।

- विद्यालयों में ग्राम-सुधार का कार्य रखा जाय, उसमें सफाई, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सहकारिता आदि गुणों का विकास किया जाय और उन्हें सामान्य चिकित्सा, मनोरंजन तथा प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र बनाया जाय जिससे गॉव की उन्नति हो सके ।

- शिक्षकों के शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाया जाय । उनके प्रशिक्षण की अवधि में वृद्धि की जाय । प्रशिक्षण-विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाय । उनमें अभिनवन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायं ।

- शिक्षकों की वेतन-वृद्धि की जाय और उनके सेवा-प्रतिबन्धों में सुधार किया जाय, जिससे योग्य व्यक्ति शिक्षण-कार्य के प्रति आकर्षित हों ।

- सरकार को स्वयं प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण व नियंत्रण का उत्तरदायित्व सम्भालना चाहिये । विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिये निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय ।

- प्राथमिक शिक्षा को संगठित एवं विस्तृत करने का उत्तरदायित्व सरकार का है । अतः उसे पूर्णतया स्थानीय संस्थाओं पर नहीं छोड़ देना चाहिये, जैसा कि किया गया है ।

1.06.4 कोठारी कमीशन

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारत सरकार ने देश की प्रारम्भिक शिक्षा को सुनियोजित और सुगठित करने का दृढ़ निश्चय किया । इसके लिए 1964 एक आयोग का गठन किया गया जिसे कोठारी कमीशन नाम दिया गया । राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन की नियुक्ति का मूल लक्ष्य देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना था और इस प्रकार इस आयोग की नियुक्ति का मूल उद्देश्य शिक्षा के विविध स्तरों का मूल्यांकन कर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की संतृप्ति करना था । राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने कार्यक्रम को निर्धारित करने के पश्चात् शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया और आवश्यक जानकारी के लिये भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया । तदुपरान्त शिक्षा सम्बन्धी विविध समस्याओं का अध्ययन के पश्चात् उसने अपने लगभग डेढ़ हजार पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट 29 जून, 1965 को भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री को सौंप दी ।

कोठारी आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि हमारे सम्मुख जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनका समाधान शिक्षा के द्वारा सम्भव है । हमारी प्रमुख समस्याएं खाद्य सामग्री में आत्म-निर्भरता, बेरोजगारी का अन्त, सामाजिक और राजनीतिक एकता और राजनीतिक विकास है । इस सम्बन्ध में आयोग का कथन है कि शिक्षा को इस रूप में ढ़ाला जाय कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके । सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिये आयोग ने यह सुझाव दिया कि सामान्य विद्यालय प्रणाली के लक्ष्य को 20 वर्ष के अन्दर पूरा किया जाय और सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य बना दिया जाय तथा प्रत्येक जिले में श्रम और सामाजिक सेवा शिविरों की व्यवस्था की जाय जिसमें प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य हो । प्रजातंत्र की सुदृढ़ता ने लिये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय । शिक्षा का आधुनीकरण हो और प्रत्येक शिक्षा संस्था में नैतिक, सामाजिक और आध्यमिक मान्यताओं की शिक्षा प्रदान की जाय ।

शिक्षा को संरचना के विषय में आयोग का मत है कि सामान्य शिक्षा की कुल अवधि 10 वर्ष हो । पहली कक्षा में 6 वर्ष से कम की आयु के बालकों की भर्ती की जाय । सामान्य कक्षा के पूर्व 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो ।

माध्यमिक शिक्षा का कार्य 7 या 8 वर्ष रखा जाये । इनमें से 5 वर्ष निम्न माध्यमिक स्तर के लिये हों और 3 या 2 वर्ष उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स हो । द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 से 3 वर्ष निश्चित की जाय । प्राथमिक स्कूलों में वर्ष में 39 सप्ताह और माध्यमिक स्कूलों में 36 सप्ताह शिक्षण काल की व्यवस्था हो । वर्ष में 10 से अधिक छुट्टियाँ न हों । स्तरोन्नयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षा उद्देश्यों की अन्य देशों से तुलना करके निर्धारित की जाय ।

कोठारी आयोग ने शिक्षकों की स्थिति सुधारने के विषय में भी सुझाव दिये है । उसका यह सुझाव है कि सरकारी और गैरसरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को समान सुविधायें और समान वेतनक्रम प्राप्त होना चाहिए । आयोग ने अध्यापक शिक्षा के भावी रूप पर बहुत अधिक चिन्ता व्यक्त की और अध्यापकों की शिक्षा के लिए नवीन विद्यालयों की स्थापना और प्राचीन विद्यालयों में सुधार के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये । प्राथमिक शिक्षा के उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने सेकेन्डरी स्कूल का कोर्स उत्तीर्ण किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष रखी जानी चाहिए । धार्मिक शिक्षा के स्नातक शिक्षकों के कुछ समय के लिए एक वर्ष की रखी जाय जिसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी जाय । एम0एड0 की उपाधि भी दो वर्ष में दी जाय । प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार किया जाय और अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाय ।

निरक्षरता का उन्मूलन किया जाय और शैक्षिक स्तरों की समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाय । शैक्षिक स्तरों की समानता के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या इससे पूर्व निम्न-माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय । उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को निःशुल्क देने के हेतु सबसे पहले 38 प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय । अन्य खर्चों में कमी की जाय और छात्रवृत्तियाँ पर्याप्त मात्रा में दी जायं । शिक्षा के विस्तार के हेतु आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के राजकीय शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक केन्द्र की स्थापना की जाय । हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि 1985-86 तक देश के समस्त भागों में सात वर्षों की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की

व्यवस्था हो जाय । धार्मिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के 50 प्रतिशत छात्रों की प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाय । आयोग ने विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों को निर्धारण करके पाठ्यक्रमों में कार्य-अनुभव को विशेष महत्व प्रदान करने पर बल दिया । प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर भी बल दिया । शारीरिक शिक्षा, कला एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता भी अनुभव की । आयोग ने बालक और बालिकाओं के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया और साथ ही यह भी सुझाव दिया कि बालकों के पाठ्यक्रम में गृह-विज्ञान, संगीत और ललित कलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय ।

भाषा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए - भावात्मक एकता को ध्यान में रखकर, उसके लिए नियुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी लोगों को तीन भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए । उसका मूल उद्देश्य था उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत की किसी भाषा की शिक्षा देना और दक्षिणी भारत के लोगों को उत्तर भारत की भाषा की शिक्षा देना तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी को अनिवार्य रूप से पढ़ाना । आयोग ने इन तीन भाषाई प्रणाली में संशोधन का सुझाव दिया है । आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषा का कुछ साहित्य देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में प्रकाशित किया जाना चाहिए । यह सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि भारतीय भाषाओं का अध्ययन लिपियों के अन्तर के कारण कठिन हो जाता है ।

1.06.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यथा संशोधित 1992 तथा अनुवर्ती कार्ययोजना 1992 के अन्तर्गत सार्वभौम नामांकन के साथ ही सार्वभौम नियमित उपस्थिति, लिंग समता, सामान्य विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था, अवसरों की समानता, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने में समुदाय की सक्रिय सहभागिता, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सम्प्राप्ति आदि पक्षों पर अधिक बल दिया गया । 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'सभी के लिए शिक्षा' बुनियादी लक्ष्य रखा गया। हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति, बालकेन्द्रित दृष्टिकोण तथा विद्यालय सुधार के संकल्प व्यक्त किये गये । इसके अतिरिक्त इसमें बालिकाओं,

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों, पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों तथा विकलांग बच्चों के लिये भेदरहित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वर्ष 1992 में संशोधन हुआ तथा एक नयी कार्ययोजना (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) निर्धारित हुई। इसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया।

- सभी के लिए शिक्षा, सफलता और उच्च स्तर की प्राप्ति।
- शिक्षा का समान ढाँचा।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। प्रत्येक चरण में अध्ययन का स्तर।

प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया गया; (1) 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों को विद्यालयों में भर्ती और उसका विद्यालय में टिके रहना, और (2) शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार। इसके लिए निम्न पर बल दिया गया-

बच्चों को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती है जब वहाँ का वातावरण प्यार, अपनत्व और प्रोत्साहन से भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल-केन्द्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए और उनके लिए पूरक और उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होंगे उनके सीखने में ज्ञानात्मक तत्व बढ़ते जाएंगें और अभ्यास के द्वारा वे कुछ कुशलताएं भी ग्रहण करते चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न करने की प्रथा जारी रखी जायेगी। बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जायेगा। शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दंड को सर्वथा हटा दिया जायेगा और विद्यालय के समय का और छुट्टियों का निर्णय भी बच्चों की सुविधा को देखते हुए किया जायेगा।

प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल हैं। हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होंगे, जिनमें एक महिला होगी। यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के

लिए एक-एक शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी । पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा की सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरु किया जायेगा जिसका सांकेतिक नाम "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" होगा । इस कार्य में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों का पहला उपयोग स्कूल की इमारतों के बनाने में होगा ।

ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गये है, या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं, और वे लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकतीं, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जायेगा । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए आधुनिक टेक्नालॉजी के उपकरणों की सहायता ली जायेगी । इन केन्द्रों में अनुदेशक के तौर पर काम करने के लिये स्थानीय समुदाय के प्रतिभावान और निष्ठावान युवकों और युवतियों को चुना जायेगा और उनके प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जायेगी । अनौपचारिक धारा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे योग्यतानुसार औपचारिक धारा के विद्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे । इस बात पर पूरा ध्यान दिया जायेगा कि अनौपचारिक शिक्षा का स्तर औपचारिक शिक्षा के समतुल्य हो ।

1.06.6 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति(1992)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कियान्यवन तथा उससे प्राप्त अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1992 में उसमें कतिपय संसोधन की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा महसूस की गई । इसमें निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया-

- ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक स्कूल में तीन बडे कमरे तथा अध्यापक उपलब्ध कराये जायेगें ।
- भविष्य में नियुक्ति होने वाले शिक्षकों में 50 प्रतिशत महिलायें होगी ।
- ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार किया जायेगा ।
- विद्यालय त्यागी बच्चों , स्कूल जाने में असमर्थ काम काजी बच्चों तथा लडकियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं विस्तृत किया जयेगा ।

1.06.7 यशपाल समिति

स्कूली बच्चों पर से बस्ते का बोझ कम करना और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष प्रे. यशपाल थे, इसके अतिरिक्त समिति में छः सदस्य भी थे । समिति ने बस्ते के बोझ व गुणवत्ता को लेकर विभिन्न शिक्षाविदों, पाठ्यक्रम निर्माताओं, पाठ्यपुस्त लेखकों, विभिन्न शिक्षा मंडलों, वैज्ञानिको, शिक्षाविदों, पुस्तक प्रकाशकों , हेड़मास्टरों तथा प्राचार्यो व अनेक लोगों से चर्चा कर रिर्पोट तैयार की । यशपाल समिति ने बच्चों के विकास में बच्चे के बोझ को बाधा माना है । यह बोझ पाठ्यक्रम के बोझ में ज्ञान के विस्फोट के संदर्भ में देखा गया है । यह ज्ञान के विस्फोट की अवधारणा बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास में भी बाधक है । यशपाल समिति की रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जो कि यर्थाथ है ।

- क्या जो न्यूनतम स्तर राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गये हैं, वे बच्चों को बोझ मुक्त जानकारी, दबाव से मुक्त और रटने एवं रटा हुआ परीक्षा में उगल देने की प्रवृत्ति से मुक्त है ?
- न्यूनतम अधिगम स्तर स्वयं बोझिल नहीं है और वे भी दक्षताओं के सहज विकास में बाधक नहीं है ।
- क्या ऐसा नहीं लगता कि एम.एल.एल. निर्धारण की प्रक्रिया प्रौढ़ शिक्षाविदों ने अपने अनुमानों और ज्ञान के विस्फोट के अवधारणा के आधार पर की है ।
- क्या प्रशिक्षण के देने से एम.एल.एल. आधारित दक्षता हासिल करने में शिक्षक सक्षम हो जायेंगें ।
- क्या एम.एल.एल. न्यूनतम मानवीय और भौतिक संसाधनों को ध्यान में रख कर रखे गए हैं ।

इस तरह से अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनके कारण खोजने होंगे । यशपाल समित ने गुणवत्ता और बस्ते के बोझ के लिए कई कारण बताये हैं जैसे - नीरस शिक्षा,

दोष पूर्ण परीक्षा प्रणाली , पाठ्यपुस्तक दोषपुर्ण पाठ्यक्रम की संरचना आदि अनेक कारक है । समिति ने इन सब बातों पर विस्तृत दृष्टि से विचार कर सुझाव भी दिए । जैसे कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए । स्कूलों में सामूहिक कियाकलाप तथा सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाना चाहिये । पाठ्यपुस्तकों की लेखन प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए । गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए मापदण्ड अधिक कठोर बनाना चाहिए । शिक्षकों की सतत् शिक्षा को संस्थागत बना देना चाहिए । इस प्रकार यशपाल समिति ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु अनेक सुझाव दिए ।

1.07.0 प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में भूमंडलीकरण की भूमिका

मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया सदैव ही चलती रही है । सामान्य रूप से भूमण्डलीकरण मानव समाज और संस्कृति के विस्तार की प्रक्रिया की अभिव्यक्त करता है । भूमण्डलीकरण के तीव्र प्रगति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है और एक प्रकार का भू-राजनैतिक विकास है । यह उस प्रभावशाली विचार धारा का भी परिणाम है जिसका नियमन बाजार द्वारा किया जाता है । भूमण्डलीकरण कुछ आवश्यक तत्वों के माध्यम से चरितार्थ होता है और ये तत्व है समूची पृथ्वी पर व्याप्त बाजारवादी अर्थशास्त्र, तीव्रगति युक्त प्रौद्योगिकी नवाचार जिसमें संचार प्रणाली शामिल है और ऐसे तमाम आयाम जो एक दूसरे पर आंतरिक रूप से निर्भर करते है । भूमण्डलीकरण के फलस्वरूप अधिकांश सार्वभैामिक किस्म की समस्याऍ किसी एक देश की सीमा रेखा पर ही समाप्त नहीं होती बल्कि वे अपने विश्व व्यापी समाधान की भी मांग करती है । भूण्डलीकरण के इस दौर में शिक्षा एक विकास का महत्वपूर्ण कारक है । यह समाज के सर्वागीण विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है । शिक्षा को मानवाधिकार माना जाता है परन्तु अभी भी सबके लिये सुलभ नहीं हो पायी है । अभी 6 बिलियन लोग शिक्षा से वंचित हैं । इनमें सौ मिलियन से अधिक बच्चों को विद्यालय की सुविधा

नहीं है । इन बच्चों में 97 प्रतिशत बच्चे विकासशील देशों के है । इनमें 60 प्रतिशत बालिकाएं है । विश्व जनसंख्या का सातवां भाग निरक्षर है ।

पिछली शताब्दी का अंतिम दशक प्रारम्भिक शिक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है । इस दशक में पहली बार सरकार ने स्वतंत्रता आन्दोलन की विरासत में मिले उस संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद - 45) को देशज संसाधन से पूरा करने के संबंध में असमर्थता व्यक्त कि जिसके तहत सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात थी । यदि विश्व परिदृश्य में शिक्षा के संबंध में चुनौतियों को देखे तो निम्नानुसार तस्वीर परिलक्षित होती है -

- दक्षिणी गोलार्ध में आज भी 90 करोड़ से अधिक लोग निरक्षर है ;
- प्रत्येक 70 बच्चों पर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है ;
- विकासशील देशों में चार में से तीन बच्चे ही चौथी कक्षा तक की शिक्षा पूरी कर पाते हैं । प्राथमिक स्तर पर औसतन 8 प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण होने या अन्य कारणों से पुनः एक वर्ष उसी कक्षा में रह जाते है ;
- विद्यालय त्याग दर और कक्षा में पुनरावृत्ति के कारण शिक्षा के लिए आमंत्रित कुल छात्र का 16 प्रतिशत अपव्यय होता है ;
- विद्यालयीय शिक्षा योग्य विश्व की कुल आबादी में औद्योगिकी देशों का भाग 25 प्रतिशत है । ये देश मानव संसाधन विकास पर विकासशील देशों की तुलना में 6 गुना अधिक खर्च करते हैं । विकासशील देशों में विद्यालयीय शिक्षा योग्य आबादी कुल का 75 प्रतिशत है ।

दुनिया भर में चल रहे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उदारीकरण तथा संरचनात्मक समायोजन का दौर आया । जिसके अन्तर्गत विश्व बैंक और उससे संबद्ध अंतराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने सामाजिक विकास कार्य हेतु लम्बी अवधि की रियायती दर पर निश्चित शर्तो के अन्तर्गत ऋण देने का प्रस्ताव रखा । भारत सरकार ने भी अपने देश की प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से बाह्य एजेंसी

से ऋण प्राप्त किया । प्रथम चरण के तहत विश्व बैंक ने 260.3 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 806 करोड़ रूपये) तथा यूरोपियन समुदाय ने 582 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया जिसके अन्तर्गत देश के 42 जिलों में वर्ष 1994 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण 1996-2002 के लिये 425.2 मिलियन अमरीकी डालर आई.आई.डी.ए. से प्राप्त हुआ । नीदरलैंड की सरकार ने गुजरात में डी.पी.ई.पी. के लिए 25.8 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान मंजूर किया । इसी प्रकार डी.एफ.आई.डी. (यू.के.) की तरफ से आंध्रप्रदेश में डी.पी.ई.पी. के लिए 42.5 मिलियन पाउण्ड स्टलिंग (220 करोड़ रूपए) का तथा पश्चिम बंगाल में डी.पी.ई.पी. के लिए 1.7 मिलियन पाउण्ड (207 करोड़ रूपये) का अनुदान प्राप्त किया गया । बिहार के शैक्षिक जिलों में डी.पी.ई.पी. के तीसरे चरण के लिए 152.4 मिलियन अमरीकी डालर (530 करोड़ रूपये) की आई.डी.ए. ऋण तथा यूनीसेफ से 10 मिलियन डालर (36 करोड़ रूपये) अनुदान प्राप्त हुआ । राजस्थान के 10 जिलों में डी.पी.ई.पी. का वित्तपोषण आई.डी.ए. के 85.7 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण द्वारा वर्ष 1993-2003 में किया गया । उत्तर प्रदेश के 38 अतिरिक्त जनपदों में डी.पी.ई.पी. के विस्तार के लिए 182.4 मिलियन अमरीकी डालर का आई.डी.ए. ऋण प्राप्त किया गया । पश्चिम बंगाल के पाँच अतिरिक्त जिलों में डी.पी.ई.पी. के विस्तार के लिए डी.एफ.आई.डी. (यू.के.) के 30 मिलियन पाउण्ड स्टर्लिंग का अनुदान प्राप्त किया गया ।

इस प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया फलस्वरूप आये उदारीकरण के दौर में विकाशसील देशों में प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में काफी बदलाव आया है तथा आगे भी बदलाव की प्रक्रिया जारी है । इस प्रकार भूमण्डलीकरण का शिक्षा व्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है । यह सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, शिक्षा व्यवस्था के उत्पादक आयाम और शोध तथा विकास की वर्तमान आवश्यकताओं के विशेष संदर्भो के साथ शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सतत दबाव बनाए हुए है ।

1.08.0 प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये संवैधानिक प्रावधान

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए कई प्रयासों के बावजूद भी हमारे देश में बहुत से लोग आज भी शिक्षा से वंचित है, जो मानव विकास की एक बुनियादी आवश्यकता है । शिक्षा समानता का हक प्राप्त कराने का एक प्रभावी साधन है । सरकार ने शिक्षा को मानवधिकार के रूप में प्राथमिकता देते हुए इसे मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रससर होने के एक साधन के रूप में माना है । शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो कि व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । शासन स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपेक्षित सफलता नहीं मिली है । सफलता न मिलने के कारण शैक्षिक ह्रास है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के 86 वे संशोधन द्वारा 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का न्यायिक अधिकार प्राप्त हो गया है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, संविधान के अनुच्छेद 45 में यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि राज्य इस प्रकार का प्रयास करें कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्षों के अन्दर 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके । राज्य की जुम्मेदारी को अनुच्छेद 12 में स्पष्ट करते हुए कहा गया कि "सरकार, भारतीय लोक सभा, स्थानीय तथा अधिकारिक वर्ग जो भारतीय क्षेत्र या भारतीय सरकार के नियंत्रण में है, इसके लिए जुम्मेदार समझे जायेगे" ।

1.08.1 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1958-59

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम को पुर्नसंशोधित किये जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन देने हेतु वर्ष 1958-59 में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक कानून का निर्माण किया । इसमें निम्न बातों को रखा गया -

- "विशिष्ट क्षेत्र", "अध्यापन वर्ष" तथा "बच्चा" इन शब्दों की उचित परिभाषा ।

- राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा को प्रारम्भ करने के संदर्भ में प्रस्तावित सूचना की स्पष्ट रूपरेखा का प्रविधान ।
- लड़के व लड़कियों के लिए अनिवार्यता का समकालीन प्रस्ताव् ।
- अनिवार्य शिक्षा योजना की तैयारी के चरणों तथा उसके अनुमोदन की स्पष्ट रूप रेखा ।
- यदि कोई स्थानीय संस्था अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की उपेक्षा करती है, तो उसके लिए दिये गये निर्देशों का कियान्वयन करने के लिए योजना का प्रावधान ।
- अनिवार्य शिक्षा की प्रगतिशील भूमिका के लिए लागू किए जाने वाले निर्देशों का प्रावधान ।
- स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त व आवश्यक सुविधाओं वाले लक्ष्य की स्पष्ट परिभाषा ।
- एक उचित स्तर पर अनिवार्य शिक्षा योजना को लागू किये जाने वाले क्षेत्रो के बच्चों की सूची तैयार करना ।
- अनुपस्थिति रहने वाले बच्चों के लिए सुधारात्मक प्राविधान ।
- उपस्थिति नियमों को व्यावहारिक रूप हेतु उचित व स्पष्ट नियमों का प्राविधान ।
- ''उपस्थिति अधिकारियों'' तथा उनकी ''कार्य प्रणाली'' की ''राज्य सरकार अनिवार्य शिक्षा एक्ट'' की रूपरेखा को अधिक स्पष्ट करना ।

1.08.2 अन्य शैक्षिक संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा अनुच्छेद - 26 के अनुसार व्यक्ति स्वयं धार्मिक कार्यो से संबंधित विषयों का प्रावधान कर सकेगा ।
- अनुच्छेद 28 के अनुसार कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के विषय में स्वतंत्रता दी गई ।

- अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राजकोश द्वारा संचालित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी ।

- अनुच्छेद 29(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा लिपि तथा संस्कृति बनाये रखने का अधिकार है ।

- अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार है ।

- अनुच्छेद 30(2) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जायेगी ।

- अनुच्छेद 350A के अनुसार हिन्दी भाषा का विकास किया जायेगा ताकि वो भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके ।

- अनुच्छेद 351 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि - ''राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक लाभ का ध्यान में रखेगा (खासतौर पर पिछड़ी व जनजाति के लोगों के) तथा उन्हे सभी प्रकार के समाजिक न्याय दिलवायेगा व सभी प्रकार के शोषणों से बचायेगा''

- संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है तथा स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को सौंपा गया है ।

- संविधान संशोधन के 11वीं और 12वी अनुसूची में प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन और नियंत्रण का अधिकार पंचायतीराज संस्थाओं को दिया गया हैं ।

वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया । इसका आशय यह है कि केन्द्र तथा राज्य दोनों ही सरकारें शिक्षा के संबंध में विधान बना सकती है । संविधान लागू होने से लेकर शिक्षा के समवर्ती सूची में आने के पूर्व शिक्षा राज्य का विषय था । यदि किसी मामले में राज्य और केन्द्र सरकार के कानूनों में कोई अन्तर होता है तो केन्द्रीय कानून प्रभावी होगा । संप्रति अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पर उपलब्ध अधिनियम राज्य सरकारों के हैं । केन्द्रीय कानून का अभाव है, ऐसी

स्थिति में राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे इस संबंध में कोई अधिनियम बनाती हैं या नहीं । शिक्षा के समवर्ती सूची में आने के बाद भी कोई केन्द्रीय कानून नहीं बन सका ।

वर्ष 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारण हुआ जिसमें "सभी के लिए शिक्षा" के बुनियादी लक्ष्य की पुनरावृत्ति की गई तथा जाति, धर्म लिंग, गरीब/अमीर अथवा किसी विकलांगता के भेदभाव के बिना सभी बच्चों की समता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का संकल्प लिया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के अनुरूप शिक्षा के प्रकार एवं प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया । भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया है ।

भारतीय संविधान के इतिहास में यह पहला अवसर है कि मूल अधिकारों की सूची में शिक्षा को जोड़ा गया है । संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया है । 93 वें संविधान संशोधन बिल को लोकसभा एवं राज्य सभा में पारित करने के बाद मूल अधिकार की धारा 21 के पश्चात् 21-ए जोड़ा गया है । इसके द्वारा 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का न्यायिक अधिकार दिया गया है । शिक्षा को मौलिक अधिकार का संवैधानिक स्वरूप दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है वास्तव में इसके फलीभूत हो सकने हेतु अन्य विधिक व्यवस्थाएँ भी की जानी आपेक्षित है । 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य किये जाने के प्रकारान्तर से सामजिक निहितार्थ भी है । क्योकि शिक्षा के माध्यम से ही बालश्रम पर रोक, बालिकाओं एवं अन्य समस्त प्रकार के पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर, बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार, सामाजिक जागरुकता तथा जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभाव में सफलता पायी जा सकती है ।

भारत के संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया है । 93 वें संशोधन

बिल को लोकसभा द्वारा 27 नवम्बर, 2001 को तथा राज्य सभा द्वारा 14 मई, 2002 को पारित किये जाने के बाद में संविधान की धारा 21 के पश्चात् एक नई धारा 21-A निम्नवत् जोड़ी गई-

"The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourtien year in such manner as the state may, by law, determine"

इसके साथ ही पूर्व की धारा 45 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है-

"The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six year"

इसके अतिरिक्त संविधान की धारा 51-A में उपधारा (J) के पश्चात् एक उपधारा (K) निम्नवत् जोड़ी गयी है-

(k) "who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be, ward between the age of six and fourteen years"

1.08.3 संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाएँ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 83वें संशोधन बिल को लौटाते हुए पुनः आलेखित करने का सुझाव 1997 में दिया था। संशोधित आलेख हेतु समिति के कतिपय सुझाव इस प्रकार थे -

- केन्द्र द्वारा अनुवर्ती विधि व्यवस्था की रुपरेखा या ढाँचा दिया जाय। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा वहन होने वाले व्यय भार के अंश को भी इंगित किया जाय। शेष विस्तार राज्यों द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाय।
- माता-पिता या दण्ड प्रावधानित करने से बचा जाए। राज्यों की बाध्यता हो कि वे सभी के लिए शिक्षा हेतु आपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
- गुणवत्ता पर बल दिया जाए तथा अध्यापक-क्षमता का संवर्द्धन किया जाय।

- शिक्षा के अधिकार के अनुरक्षण में होने वाले वादों से उत्पन्न समस्याओं के सामना करने हेतु मार्ग/उपाय बताये जाय ।
- 8वीं कक्षा के बाद औपचारिक प्रमाण-पत्र दिया जाय ।
- निःशुल्क शिक्षा में अन्य अवयवों-पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री, गणवेश, दिन का भोजन, आवागमन जहाँ आवश्यकता हो आदि को भी शामिल किया जाय ।
- प्रशासनिक उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा जाय ताकि वे अपनी सुविधानुसार लागू कर सकें ।
- नीति निर्देशक सिद्धान्तों का जहाँ तक संभव हो, पालन किया जाय ।

इस प्रकार सबके लिये शिक्षा के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये समय-समय पर संविधान संशोधन करने के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम के सभी को शिक्षा उपलब्ध करने का प्रयास किया है/किया जा रहा है ।

1.08.4 अन्य प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (अनिवार्य/निःशुल्क शिक्षा) हेतु किये गये प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा पश्चात विभिन्न राज्यों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु निम्नानुसार कानून (अधिनियम) बनाकर प्रयास किये जा रहे है -

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के अधिनियम :

- मुम्बई प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1917
- बंगाल प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1919
- बिहार एण्ड उड़ीसा मुम्बई प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1919, संशेधित 1959
- यूनाइटेड प्रोविन्सेस प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1919
- पंजाब कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1919, संशोधित 1940, 1960
- मुम्बई सिटी प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1920 और 1922(1923)
- मद्रास प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1920, संशोधित 1937
- पटियाला प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1926

- बीकानेर स्टेट कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1929
- असम प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1926
- उत्तर प्रदेश प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1926
- जे.के. कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1934, संशोधित 1984
- मैसूर एलीमेंटरी एजूकेशन एक्ट 1940

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के अधिनियम :

- असम प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1947
- असम बेसिक एजूकेशन एक्ट 1954
- कोचीन फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1947
- मध्यप्रदेश कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1950, संशोधित 1956 और 1961
- अजमेर प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1952
- राजस्थान प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1964
- मद्रास एलीमेंटरी एजूकेशन एक्ट 1952
- हैदराबाद कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन एक्ट 1952
- हिमांचल प्रदेश प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1953
- भोपाल स्टेट कम्पलसरी प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1956
- सौराष्ट प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1961, संशोधित 1961
- कर्नाटक प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1983, संसोधित 1995
- केरल प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1958
- देहली प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1960
- आन्ध्र प्रदेश प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1961, संसोधित 1982
- मैसूर कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1961
- असम एलीमेन्टरी एजूकेशन एक्ट 1962, संसोधित 2000

1.09.0 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु उत्तरप्रदेश मे संचालित की गई विभिन्न परियोजनाएं

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक परियोजनाये संचालित की गई । समय-समय पर भारत सरकार के सहयेाग से संचालित की गई विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु निम्नानुसार प्रयास किया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु प्रदेश में संचालित की गई और जा रही विभिन्न परियोजनाये निम्नानुसार है -

1.09.1 बेसिक शिक्षा परियोजना कार्यक्रम

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अन्तर्गत प्रदेश के दस (बाद में जिलों के विघटन के बाद इनकी संख्या 17 हो गई) जिलों में विश्वबैंक की वित्तीय सहायता से वर्ष 1993 में एक परियोजना संचालित की गई । जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत मई 1993 में पंजीकृत किया गया । यह एक स्वायत्तशासी एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित की गई है जो सामाजिक मिशन की भांति कार्य करते हुए बेसिक शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने और उत्तर प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है । बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया गया । यह परियोजना अक्टूबर 1993 में प्रारम्भ होकर वर्ष 2000 तक चली । इस परियोजना में प्रदेश के 17 जिलों यथा- कौशाम्बी, वाराणसी, चित्रकूट, गोरखपुर, बाँदा, हाथरस, भदोही, ऊधमसिंह नगर, इटावा, चन्दौली, औरैय्या, सीतापुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी और नैनीताल में संचालित की गई । वर्तमान में इसके तीन जिले पोड़ी, ऊधमहि नगर एवं नैनीताल उत्तरांचल राज्य में हैं ।

इस परियोजना के कार्यक्रम घटक में पहला घटक उपागम विस्तार, दूसरा धारण प्रोत्साहन, तीसरा गुणवत्ता संवर्द्धन, चौथा क्षमता निर्माण, पॉचवा नियोजन शोध एवं

मूल्यांकन तथा छटवाँ पर्यवेक्षण और अनुश्रवण लिया गया । इस परियोजना की अनुमानित लागत 193.9 मिलियन अमरीकी डालर या रुपये में 728.7 मिलियन थी ।

इस परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार थे -

- 6-10 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तथा 11-13 आयु वर्ग के 75 प्रतिशत बच्चों विशेषकर सभी अपवंचित वर्गों (बालिकायें, अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों) को उच्च प्राथमिक शिक्षा का उपागम प्रदान करना । और
- वर्ष 2000 तक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन और शिक्षापूर्ण करने की दरों का अभिवर्द्धन करना ।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत निम्नानुसार क्षेत्रों में कार्य किया गया -

1. उपागम विस्तार

इसे अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 1.5 किमी0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 किमी0 की दूरी पर 300 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई । इसी प्रकार 800 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई । प्राथमिक विद्यालयों से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा का प्रतिरूप (मांडल) उपलब्ध कराया गया ।

2. धारण प्रोत्साहन

इसके अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन और प्रबन्ध के सभी पहलुओं में समुदाय की सक्रिय, सहभागिता प्राप्त कर कार्यक्रम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन किया गया । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के नियमित पुनर्निर्माण/अनुरक्षण सुनिश्चित किया गया । समस्त प्रारंभिक विद्यालयों को पेयजल सुविधा और शौचालय सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया तथा आवश्यकतानुसार अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करया गया । विद्यालय तैयारी के लिए 3-6 वयवर्ग के बच्चों को तैयार करने और बड़ी उम्र की बालिकाओं के सगे भाई-बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी से मुक्त

करने के लिए प्रारंभिक बाल देख-रेख और शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई। हल्के संयत अधिगम/शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था की गई। विद्यालयो, प्रारम्भिक बाल देख-रेख एवं शिक्षा केन्द्रों, और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रबंध शक्तियों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों को अधिकार सम्पन्न कर क्रियाशील बनाया गया। अन्य तृणमूल स्तरीय ढांचे जैसे महिला समूहों, युवा मंगल दलों आदि का सुदृढ़ीकरण/स्थापना की गई।

3. गुणवत्ता संवर्द्धन

बाल केन्द्रित तथा क्रिया आधारित अधिगम को प्रोत्साहन और शिक्षक एवं छात्र के बीच द्विमार्गीय अन्त:क्रिया की सुविधा देने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का पुनरीक्षण एवं संशोधन किया गया। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित शिक्षकों के लिए गुणवत्ता संवर्द्धन के कार्यक्रम संचालित किये गये। स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध परिचित सामग्रियों से नवाचारात्मक, रोचक तथा अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्द्धक किया गया। संकुल संसाधन केन्द्रों (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों), ब्लॉक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के कार्यों के निष्पादन के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियमित अकादमिक संसाधन सहायता सुनिश्चित कराने के लिये अमले के नये पद सृजित किये गये। बालकेन्द्रित, रूचिपूर्ण, दक्षता आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्रियों को विकसित कर पाठ्यपुस्तकों का संशोधन किया गया तथा बहुश्रेणी शिक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया।

4. क्षमता निर्माण

राज्य स्तर पर राज्य परियोजना कार्यालय की स्थापना कर उसका सुदृढ़ीकरण किया गया। विशिष्ट क्षेत्रों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, नूतन पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तकें, अनुदेश सामग्री तथा मूल्यांकन प्रणाली और आधारभूत आंकलन,अध्ययन सम्पादन आदि में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सांस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण

किया गया । राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद द्वारा प्रशिक्षण आयोजन, शैक्षिक नियोजन, और प्रबन्धन में प्रशासकों के लिए कार्यक्रम, शोध एवं मूल्यांकन, शैक्षिक सांख्यिकी का विश्लेषण, अभिलेखीकरण और प्रचार-प्रसार आदि में सांस्थानिक क्षमता का अभिवर्द्धन किया गया । कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त स्टाफ की व्यवस्था, उपकरण, पुस्तकें, वाहन आदि से जिला परियोजना कार्यालयों की स्थापना और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया गया । शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक सहायता क्रियाकलापों के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य हेतु परियोजना जिले के प्रत्येक विकास क्षेत्र (ब्लाक) में ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई । शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विकेन्द्रित सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत के मुख्यालय में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई । सामुदायिक सहायता को गतिशील, विद्यालय प्रबंध और समुदाय प्रबंधित विद्यालय निर्माण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण और घरेलू (परिवार) सर्वेक्षण में सम्मिलित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना कर उन्हें क्रियाशील बनाया गया ।

5. नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन

नियोजन शोध एवं मूल्यांकन के लिये विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया को अपनाया गया । सभी स्तरों पर कार्यक्रम संघटकों का मूल्यांकन, कियान्वयन एवं उसके मूल्यांकन के लिये सभी स्तर पर शोध क्षमता का विकास किया गया ।

6. पर्यविक्षण और अनुश्रवण

इसके अन्तर्गत परियोजना प्रबन्ध सूचना प्रणाली और शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली के माध्यम से निर्माण कार्यों का तृतीय दल द्वारा मूल्यांकन, डी.पी.ई.पी. ब्यूरों द्वारा जिले और प्रदेश के वार्षिक कार्ययोजना और बजट की वार्षिक समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के संयुक्त पर्यविक्षण मिशन द्वारा व्यवस्थाओं का अर्द्धवार्षिक अनुश्रवण और पर्यविक्षण करना तथा प्रदेश और जिला स्तर कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए परियोजना प्रबंधन सूचना

प्रणाली तथा विद्यालयी आंकड़ों के संग्रह, संचयन और विश्लेषण के लिए शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली का विकास करना ।

1.09.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

शिक्षा परियोजना कार्यक्रम के बाद प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए वर्ष 1994 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना के रूप में समयबद्ध ढंग से प्रारम्भ किया । इसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना से अलग 22 जनपदों यथा- बरेली, फिरोजाबाद, बदायूँ, हरदोई, ललितपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद, देवरिया, जे.पी. नगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, पीलीभीत, गोण्डा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, रामपुर, वाराणसी पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती एवं संतकबीर नगर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।। वर्ष 1997 में लागू किया गया, जिसके लिये कुल परियोजना परिव्यय रु. 629.93 करोड़ का रखा गया । इसके बाद प्रदेश के 38 जनपदों (6 जनपद यथा बागेश्वर, पिथौरागढ़, तेहरी, उत्तरकाशी, चंपावत और हरिद्वार, उत्तरांचल राज्य में चले गये है) में (वर्तमान में जिलों के विघटन के फलस्वरूप इनकी संख्या 36 हो गयी है) अप्रैल 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। लागू किया गया । इस कार्यक्रम के लिये अनुमानित लागत 764.26 करोड़ निर्धारित की गयी । इस कार्यक्रम से प्रदेश के आच्छादित 32 जनपद जालौन, आगरा, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, अम्बेडकरनगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, मऊ, गौतमबुद्ध नगर, महोबा, जौनपुर, झाँसी, कानपुर देहात, हमीरपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, प्रतागढ़, मुजफ्फरनगर, पडरौना, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ है । परियोजना के तीन प्रमुख पक्ष, भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना, गुणवत्ता का सुधार, सम्प्राप्ति ह्रास में कमी लाना तथा प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना था । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। और ।।। के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये -

- सभी 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय में दर्ज कराना ।

- बालिकाओं तथा अनुसूचित जातियों के नामांकन, धारण और सम्प्राप्ति स्तर में विद्यमान अन्तर को 5 प्रतिशत तक लाना ।
- भाषा तथा गणित में वर्तमान सम्प्राप्ति स्तर से 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि करना ।
- ड्राप आउट दर को 10 प्रतिशत से कम करना ।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर की संस्था एवं प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासकों की दक्षता संवर्धन करना ।

इसकी प्रमुख रणनीतियाँ में योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता सुनिश्चित की गई । बालिका शिक्षा को विशेष जोर दिया गया । विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिये शिक्षकों की कार्य क्षमता का विकास किया गया । वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया गया तथा सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल दिया गया । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार रही -

- विकेन्द्रित नियोजन और असमुच्चय लक्ष्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रणनीति का क्रियान्वयन ।
- जिलों में पांच वर्ष की परियोजना अवधि के लिए परियोजना प्रणाली का क्रियान्वयन ।
- वर्तमान कार्यक्रमों और संसाधनों के अभिसरण पर बल देते हुए योजनाबद्ध तरीके से समेकित समग्र उपागम का प्रयोग ।
- सघन सामुदायिक सहभागिता पर बल ।
- शोध और मूल्यांकन से प्राप्त पश्च पोषण की सहायता से गुणवत्ता युक्त पक्षों की प्रधानता ।
- प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम ।

- वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेने में अधिकार सम्पन्न राज्य स्तरीय रजिस्टर्ड सोसायटी में क्रियान्वयन दायित्व निहित ।
- यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसकी 85 प्रतिशत परियोजना लागत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है और शेष 15 प्रतिशत का योगदान प्रदेश सरकार करती है । भारत सरकार वित्त का स्रोत अंतराष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरण है ।
- सम्पूर्ण परियोजना अवधि के लिये प्रति जिला लगभग 30-40 करोड़ की धनराशि निर्धारित ।
- वित्तीय सहायता अतिरिक्त सहायता के सिद्धांत के रूप में दी जाती है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के लिए परियोजना प्रारम्भ से पूर्व होने वाला परिव्यय राज्य सरकार द्वारा निरन्तर संरक्षित रहे । अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरणों और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन द्वारा वर्ष में दो बार विशेष पर्यवेक्षण की व्यवस्था ।

1.09.3 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम

वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2001-02 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है । इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना । इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी अन्तरालों को पूरा करना है । इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है -

- वर्ष 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गांरटी केन्द्रों, वैकल्पिक और वापस विद्यालय/शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना ।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चे पाँच की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें ।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी कर लें ।

- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषप्रद गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाय ।
- प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक सभी लिंग सम्बन्धी तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कराने पर बल ।
- वर्ष 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौम नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

नियोजन, प्रबंधन एवं सहयेागी संरचना में व्यावसायिक दक्षता की उन्नति के लिये निम्नानुसार उपाय किये गये -

- परियोजना के प्रबंधन दक्षता को बढ़ाने के लिये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अंतर्गत मई 1993 में सबके लिये शिक्षा परियोजना परिषद का अलग से गठन किया गया । जिसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों और पर्याप्त भौतिक सुविधा से सुदृढ़ीकरण किया गया ।
- शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन, बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन, शोध और नीति विश्लेषण के लिये राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जो वर्तमान में संचालित है । इसके माध्यम से जहाँ शैक्षिक प्रशासकों का विभिन्न कौशलों पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है वही दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों के माध्यम से शैक्षिक प्रगति की स्थिति देखी जाती है । समय-समय पर शासन का नीतिगत निर्णयों के लिये नीति निर्देशी नियम दिये जाते हैं ।
- शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के लिये जिला स्तरीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करना ।
- नियोजन, प्रबंधन एवं व्यावसायिक सहायता के लिये सूचना प्रणाली को विकसित करना ।

1.09.4 जनशाला कार्यक्रम

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ-साथ भारत सरकार के सहयोग से जनशाला कार्यक्रम वर्ष 1998 से लखनऊ जनपद में संचालित किया गया है । ये कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल की पाँच राष्ट्रीय संस्थाओं (यूनीसेफ, यूएनडीपी, यूनेस्को, यू एन एफ पी ए और आईएसओ) के सहयोग से राज्य एवं केन्द्र में प्रारम्भिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु चलाया गया । यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी मलीन बस्तियों के शिक्षा संबंधित बच्चों के लिये चलाया गया है, जिसका उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से आवश्यक एवं बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाना हैं । यह कार्यक्रम वर्ष 2004-05 तक पूर्ण हो गया है ।

इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं तथा विद्यालयों को प्रभावी बनाने के लिए समुदाय का सहयोग, प्रभावी प्रबन्धन, बच्चों के अधिकार के सम्बंध में विकासात्मक कार्यक्रम, बालिका शिक्षा, अभिसरण कार्यक्रम शिक्षकों को शिक्षण की ऐसी विधियों का प्रयोग करना जिसमें बाल केन्द्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है । इसके लिए बहुश्रेणी शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया । यह कार्यक्रम चुने गये जिलों में चलाए गये जो डी.पी.ई.पी. से आच्छादित नहीं है । प्रदेश में यह कार्यक्रम लखनऊ जिले में संचालित किया गया ।

1.09.5 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत शिक्षण हेतु विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । इस योजना के अधीन देश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया -

- पक्की ईटों से बने दो बड़े कमरे जिनके सामने एक बरामदा भी होगा ।
- कम से कम दो अध्यापक होंगे जिनमें यथासम्भव एक महिला होगी (धीरे-धीरे यह प्रयास होगा कि विद्यालय की हर कक्षा के लिए अलग-अलग एक-एक अध्यापक हो जाए) ।

- खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिये पुस्तकें एवं शिक्षण सहायक सामग्री, विज्ञान किट, गणित किट आदि की उपलब्धता ।

1.09.6 सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा 1986 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है । इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया है-

- प्राथमिक शिक्षकों के लिए ।
- माध्यमिक शिक्षकों के लिए ।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरान्त वर्ष 1990 के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट सामान्य) को पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया । निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई जिसमें आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके ।

1.09.7 प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम (एस.ओ.पी.टी.)

विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को इसका उत्तरदायित्व सौंपा है । इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में वर्ष 1993-94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गये । प्रतिवर्ष साढ़े चार लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तुत किए गए- 1. न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार दक्षताओं के विकास पर बल देना । 2. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के समुचित उपयोग की

क्षमता के वृद्धि करना तथा शिक्षकों को बाल केन्द्रित उपागम अपनाने के प्रोत्साहित करना ।

1.09.8 क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना

इस परियोजना का संचालन यूनीसेफ की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशन में पाँच राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में किया गया । हमारे प्रदेश में यह योजना राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद द्वारा मिर्जापुर के दो विकास खण्ड़ों के 217 गाँवों में वर्ष 1992 से चलाई गई । इस योजना के उद्देश्य हैं -

- शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय के जीवन और विकास से सम्बन्धित उपायों का सहयोग ।
- पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना ।
- उन उपायों को विकसित करना जिनके द्वारा सामुदायिक सहभागिता सक्रिय हो सके ।
- केन्द्र/राज्य सरकार और यूनीसेफ द्वारा विकास से सम्बन्धित संसाधनों को सम्मिलित करना ।

1.09.9 विद्यालयी शिक्षा की तैयारी-कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को विद्यालय के साथ सामंजस्य एवं विद्यालयीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार करना है । इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम छः सप्ताह से आठ सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है । इस कार्यक्रम में गीत, कहानी, खेलकूद एवं अन्य मनोरंजक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयीय क्रियाकलापों के लिए तैयार किया जाता है । इसमें विशेषतः वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल एवं गीत

खेलकूद एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयी क्रियाकलापों के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया ।

1.09.10 प्री-विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. के तहत एक योजना का क्रियान्वयन हुआ है जिसके अन्तर्गत आँगनबाड़ी शिक्षा केन्द्र उन स्थानों में खोले गये जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं थे और शिक्षा की माँग थी । यहाँ 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए पोषाहार तथा साक्षरता की व्यवस्था की गई । ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र अभी भी चल रहे हैं । वर्तमान में डी.पी.ई.पी. परियोजना के तहत शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं जहाँ 3-6 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है । इनमें पोषाहार की व्यवस्था की गयी है । परियोजना का प्रयास है कि इन केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय के निकट खोला जाए जिससे कि वह बच्चे जो छोटे भाई बहनों की देखभाल की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं अब जा सके और सभी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

1.09.11 रूचिपूर्ण शिक्षा

यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा और यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया । प्रथम चरण में राज्य के 15 जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था । पहले केवल कक्षा 1 को लिया गया था । इस योजना में चयनित प्रत्येक जिले से राज्य स्तर पर पाँच-पाँच सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए तथा जिले स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड से पाँच-पाँच सन्दर्भदाताओं को प्रशिक्षित किया गया है जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक है । न्याय पंचायत संदर्भ केन्द्र स्तर पर कक्षा एक को पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे -

- प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना ।
- विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाये रखना ।
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना ।

- विद्यालय में आनन्ददायी शैक्षिक क्रियाओं के आयोजन से बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना ।
- बाल केन्द्रित शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण (गीत, खेल, कहानी, मुखौटे, चित्रों, पैकेट बोर्ड द्वारा) प्रदान करना ।

1.09.12 औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति हेतु वर्ष 1980 में एक वैकल्पिक और लचीले शिक्षा कार्यक्रम की योजना तैयार की गई जिसे अनौपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया । यह योजना 6 से 14 आयु वर्ग के उन बच्चों जो किसी कारण से विद्यालय छोड़ चुके है अथवा जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है और वे किसी कारण बस विद्यालय नहीं जा पाये है उनके लिये भारत सरकार के सहयोग से औपचारिक शिक्षा से इतर यह कार्यक्रम संचालित किया गया । इसके लिये पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री, शिक्षा केन्द्र का समय बच्चों के सुविधा अनुसार निर्धारित किया गया । यह योजना वर्ष 2001 में समाप्त कर दी गई है ।

1.09.13 पोषाहार वितरण योजना

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना है । आर्थिक पिछड़ेपन के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का एक बड़ा वर्ग कुपोषण का शिकार है । कुपोषण से मन्द बुद्धि बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका सम्बन्ध तथा सीधा प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है ।

यह योजना 15 अगस्त, 1995 से भारत सरकार द्वारा लागू की गई है । उसी तिथि से यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में भी लागू की गई । बच्चों के नामांकन और उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है । शुरु में जवाहर रोजगार योजना के द्वारा आच्छादित विकास खण्डों में यह योजना क्रियान्वित

हुआ । इस समय प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों के सभी विकास खण्डों के शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में इस योजना को चलाया जा रहा है ।

1.09.14 शिक्षा मित्र योजना

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को ध्यान में रखत हुये प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकनुसार शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को बनाये रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा जगत के सेवा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2000-01 से प्रारम्भ किया गया । यह योजना सेवा योजना परक योजना नहीं है, परन्तु इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने हेतु प्रेरित करना मात्र है । इन शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संस्तुति करने एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात किया जाता है तथा चयन के उपरान्त संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिवसीय प्रशिक्षण करने के पश्चात शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 20 दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

1.09.15 सघन क्षेत्रीय विकास योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जिसे 1992 में संशोधित किया गया है कि इस नीति में असमानताओं को दूर करने पर उन लोगो की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देकर जिन्हे अब तक समानता से वंचित रखा गया है । जहां तक अल्पसंख्यकों का शिक्षा से संबंध है इस नीति में यह उल्लेख किया है कि कुछ अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षिक रूप से वंचित है या पिछड़े हुए है । समानता और समाजिक न्याय के हित को ध्यान में रखकर यह योजना संचालित की गई है । उत्तर प्रदेश में यह योजना वर्ष 1994-95 से संचालित है ।

1.09.16 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

यह योजना वर्ष 2000-01 से संचालित है । वर्णित योजना के अर्न्तगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनहीन एवं जर्जर विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने के लिए 60 प्रतिशत की धनराशि जिलों का उपलब्ध कराई जाती है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003-04 से बेसिक सेक्टर की सभी योजनाये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से व्यवहृत की जाती है ।

1.09.17 बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम

नेपाल सीमा से लगे जिलों के सीमावर्ती खण्डों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम योजना चलाई गई है । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, बलरामपुर तथा सिद्धार्थनगर जिलों को इस योजना के लिये चयनित किया गया है । इस योजना को 1999-2000 से संचालित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को भवन निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्ष तथा चहार दिवारी के निर्माण हेतु राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की गई है ।

1.10.0 प्रारम्भिक शिक्षा की चुनौतियां

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहॉ एक ओर सभी बस्तियों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विद्यालयीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं बच्चों के ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक-विद्यार्थी एवं विद्यार्थी-कक्षा अनुपात तर्क संगत बनाने के साथ पाठ्यपुस्तकों को बालकेन्दित, गतिविधि आधरित और आनंददायी बनाने का प्रयास किया गया है तथा तदनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । विद्यालय को आकर्षक एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिये प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है । लेकिन उसके बाद भी हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे है । इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त

करने की चुनौती हमारे सामने विद्यमान है । विद्यालय के शिक्षक/प्रधानाध्यापक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते है । विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित कतिपय प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है -

बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन : देखा जाता है कि गॉव वालों की शिक्षा के प्रति जागरुकता न होने के कारण व विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से वे अपने बच्चों को विद्यालय में नामांकित नहीं कराते है ।

बच्चों की नियमित उपस्थित : बच्चे अपने घर वालों के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाते है । इसके अलावा अपने छोटे भाई बहिन की देख-भाल भी करते है एवं अर्थोपार्जन से जुड़ जाते है, जिस कारण से विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति नहीं रहती ।

प्राकृतिक कठिनाइयॉ : ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालय दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं जो बाढ़ जैसी विपदाओं का सामना करते है । ऐसी स्थिति में विद्यालय बहुत कम दिन चल पाता है । पर्वतीय क्षेत्र में विद्यालयों के होने के कारण अभिभावक संकटपूर्ण मार्गो के कारण भी अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते है ।

पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन : विद्यालयों में विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया की सुदृढ़ व्यवस्था विद्यमान है । पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन हेतु विकासखंड स्रोत केन्द्र समन्यवक एवं संकुल स्रोत केन्द्र समन्यवक द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण किया जाता है । विकासखंड स्रोत केन्द्र समन्यवक एवं सकुल श्रोत केन्द्र समन्यवक के पास प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन के साथ-साथ विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन का दायित्व निभाता है । विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण एवं क्षेत्र अत्यन्त वृहद होने से प्रभावी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है जिस कारण से विद्यालय में तरह-तरह की समस्याए विद्यमान है ।

स्थान की समस्या : विद्यालयों के समक्ष स्थान की समस्या सदैव से बनी है । आज भी कुछ प्राथमिक एवं उच्च प्रथमिक विद्यालय किराये के भवनों में संचालित है । प्रायः

इनकी स्थिति अच्छी नहीं है । कही-कही तो विद्यालय टीन शेडो में भी संचालित है । इन विद्यालयों में वर्षा के दिनों में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जिन विद्यालयों के पास स्वयं का भवन भी है उनमें बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है । साथ ही कुछ विद्यालय भवन काफी पुराने हो जाने के कारण अनेक समस्याओं से ग्रसित है ।

अध्यापकों का पर्याप्त संख्या में न होना : अनेक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफी कम है, वही दूसरी ओर कुछ विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या काफी अधिक है । कुछ विद्यालय ऐसे भी है जो शिक्षको के आभाव में बंद पड़े है । शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति न होने के कारण विद्यालयों में अध्यापकों की अत्यन्त कमी है तथा वह निरन्तर बढ़ती जा रही, क्योंकि वर्षवार अध्यापक सेवा निवृत्त होते जा रहे है । अध्यापकों की कमी के कारण छात्र अध्यापक अनुपात बहुत अधिक है जिसके कारण विद्यालय मे गुणावत्तापरक शिक्षा एवं शैक्षिक वातावरण का अभाव है । अध्यापकों के अभाव में बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आते तथा गुणात्मक शिक्षा से वंचित रह जाते है ।

साधनो की समस्या : विद्यालयों में सामान्यतः बैठने के आसन, श्यामपट, फर्नीचर तथा सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है । पानी की व्यवस्था, शौचालय भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते है । कही पर विद्यालय में उपलब्ध संसाधन स्टोर की शोभा बढ़ा रहे है और चार्ट्स आदि या होते ही नहीं और यदि होते है तो वे शिक्षण के लिये इस्तेमाल नहीं किये जाते है ।

आर्थित स्थिति : विद्यालयों की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है । धनाभाव के कारण विद्यालयों में न तो विद्यार्थियों को बैठने की सुव्यवस्था रहती है और न खेलने का ही समुचित प्रबंधन रहता है । शिक्षण सामग्रियों का भी सर्वथा अभाव पाया जाता है । विद्यालय का वातावरण आवश्यक सुविधाओं के अभाव में बच्चों को आकर्षण हीन मालूम होता है । कई विद्यार्थी थोड़े दिन तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यालय में आना ही बंद कर देते है ।

सामाजिक कुरीतियां एवं अभिभावकों की शिक्षा : ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में बहुत से लोग झुग्गियों में रह रहे है और वे ज्यादातर अशिक्षित है इसलिए वे अपने बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की रूचि नहीं लेते है । वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते है । सामाजिक कुरीतियों के चलते भी ये लोग बच्चो को विद्यालय नहीं भेजते तथा बच्चो को रोजी रोटी के कार्य से जोड़ते हुए खतरनाक कार्यो में लगाकर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देते है ।'बाल विवाह' विशेष अधिनियम की भी अवहेलना करके बच्चों का विवाह अल्प आयु में कर देते है, जिससे उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है ।

जनसंख्या वृद्धि : नगरीय क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास, औद्योगिकीकरण एवं रोजगार के अधिक अवसर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन नगरीय क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसे फलस्वरूप कारखानों एवं अन्य असंगठित उद्योग धन्धों में बालश्रमिकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है ।

समुदाय की भागीदारी : ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में प्रत्येक गांव स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति गठित है जो कि शैक्षिक उन्नयन, नियोजन एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत कार्य करती है । सक्रिय सामुदायिक भागीदारी आज की आवश्यकता है तथा आज एक चुनौती है । अतः ऐसे में हमारी जबाबदारी बनती है कि हम समिति के सदस्यों के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों को जागरूक बनाये ।

बालिका शिक्षा : समाज मे जागरुपता की कमी के कारण विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम है । विद्यालय में बालिका शिक्षा की सही व्यवस्था (महिला शिक्षिका एवं अलग से लड़कियों के लिए शौचालय न होने के कारण) न होने के कारण भी अभिभावक बड़ी लडकियों को विद्यालय नही भेजते । अभिभावक लड़कियों को सुरक्षा की दृष्टि से भी दूर विद्यालय पढ़ने नहीं भेजते ।

सम्प्राप्ति : विभिन्न कारणों से बच्चे विद्यालयों में नामांकित नही होते है और जो होते भी है उन्हे विद्यालय रूचिपूर्ण न लगाने के कारण नियमित विद्यालय नहीं आते

और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते है । परिवारिक एवं अन्य कारणों के कारण बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आते है जिससे उनकी शैक्षिक गुणवत्ता भी प्रभावित होती है ।

प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव : विद्यालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का पर्यात संख्या में न होने के कारण बच्चों की नियमितता तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बाधित होती है ।

अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या : शिक्षा के क्षेत्र में जितनी लागत लगाई जा रही है, उसके अनुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते है । जितने बच्चे नामांकित होते है, उनमें से कुछ बच्चे बार-बार उसी कक्षा में रिपीट कर जाते है तथा कुछ बीच में ही पढ़ाई छोड देते है । इस प्रकार रिपीटीशन एवं ड्रापआउट के कारण काफी अपव्यय होता है ।

भाषा संबंधी समस्या : कुछ विद्यालयों में बाहरी शिक्षक स्थानांतरित कर दिये जाते है और शिक्षक स्थानीय भाषा से परिचित नहीं होते है । ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों को सही जानकारी सम्प्रषित नहीं कर पाते है ।

विशिष्ट बच्चों की शिक्षा : कुछ बस्तियों में ऐसे बच्चे भी होते है जो विभिन्न शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त होते है । हमारे शिक्षक इस विषय में सही जानकारी के आभाव में उनको विद्यालय से नहीं जोड़ पाते है ।

बच्चों की अनुशासनहीनता : विद्यालय में 11 से 14 वर्ष के कुछ बच्चे विभिन्न कारणेंा से अनुशासन हीनता जैसी जटिल समस्या पैदा कर देते है । ऐसे में विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है ।

इन चुनौतियों को दृष्टिगत रखकर हमारा दायित्व है कि हम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक सम्प्राप्ति के लिये एक कार्ययोजना एवं रणनीति बनाई जाय तथा उसका समाधान करने का प्रयास करे तो निश्चित ही हम इन चुनौतियों से आसानी से दूर कर सकते है ।

1.11.0 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु उत्तर प्रदेश में लगाये विभिन्न हस्तक्षेप

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (शतप्रतिशत नामांकन, शतप्रतिशत ठहराव एवं गुण्वत्तापरक शिक्षा) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से समय-समय पर विभिन्न परियोजनायें संचालित की गई है । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर विभिन्न रणनीतियां निर्धारित की गई । इन रणनीतियों के सापेक्ष समय-समय पर विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये गये । समय-समय पर प्रमुख हस्तक्षेप निम्नानुसार लगाये गये हैं -

उपागम विस्तार रणनीतियॉं : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतिया निर्धारित की गई है -

- मैदानी क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 किलोमीटर की दूरी पर 300 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना ।
- 800 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना ।
- कक्षा - 1 तथा 2 में 30 बच्चे उपलब्ध होने की स्थिति में (1 कि.मी. दूरी पर प्राथमिक विद्यालय न होने पर) शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत विद्या केन्द्र की स्थापना ।
- औपचारिक विद्यालयों से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा का मॉडल निर्धारित किया गया ।

धारण प्रोत्साहन रणनीतियॉ : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गई है -

- परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन और प्रबंधन के सभी पहलुओं में समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करना तथा कार्यक्रम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देना ।
- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के नियमित पुर्ननिर्माण/ अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय को आंशिक या छोटे-छोट मरम्मत के लिये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय) रू0 5000/- की विद्यालय अनुरक्षण राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि विद्यालय के छोटे-छोटे मरम्मत करा कर उसकी पुताई आदि कर के विद्यालय को आकर्षक बनाया जा सके ।
- अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कक्षा-छात्र अनुपात 1:40 को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा-कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है । प्रत्येक कक्षा-कक्ष के निर्माण के लिये 70 हजार की राशि निर्धारित की गई है । यह राशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानांतरित की जाती है । जिनके माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण किया जाता है ।
- अतिरिक्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में 1:40 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल हेतु हैण्ड पम्प और शैचालय सुविधा प्रदान करना ।
- विद्यालय तैयारी के लिए 3-6 वय वर्ग के बच्चों को तैयार करने और बड़ी बालिकाओं को सगे भाई बहनों की देख-रेख की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए प्रारम्भिक बाल देख-रेख और शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना ।
- शत प्रतिशत बालिकाओं की उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु ग्रीष्म कालीन शिविर, कार्यानुभव शिक्षा, मीना मंच गठन, मांडल कलस्टर डेवलेममेंट एप्रोच (एस.सी.डी.ए.), एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम एवं कस्तूरबा गांधी योजना संचालित करना ।

- शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था करना । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में इन बच्चों को शैक्षिक सुविधा हेतु रूपये 1200/- की राशि प्रति बच्चे (शारीरिक विकलांग) की दर से प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है ।
- संकुल संसाधन केन्द्रों (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों), ब्लाक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के कार्यो के निष्पादन के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियमित अकादमिक सहायता सुनिश्चित कराना ।
- नवाचार शिक्षा को प्रोत्साहित करना । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को 50 हजार की राशि नवाचार मद के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक । प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक । उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें । प्राथमिक स्तर पर जिनकी लागत रू. 50/- प्रति बच्चा है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर रू. 150/- प्रति बच्चा तय की गयी है । वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तके देने की व्यवस्था की गई है ।

गुणवत्ता संवर्द्धन रणनीतियाँ : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गयी हैं -

- बाल केन्द्रित तथा क्रिया आधारित अधिगम को प्रोत्साहन और शिक्षक और छात्र के बीच द्विमार्गीय अन्तःक्रिया की सुविधा देने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का पुनरीक्षण एवं संशोधन किया गया है ।

- सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों के गुणवत्ता का संवर्द्धन करना । इसके अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रति वर्ष 20 दिन के प्रशिक्षण विभिन्न विषय वस्तु पर आवश्यकतानुसार करने का प्रावधान किया गया है ।
- शिक्षकों के शिक्षण कार्य के लिये शिक्षण संदर्शिकाओं तथा हस्तपुस्तिकाओं का विकास किया गया है ।
- स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध परिचित सामग्रियों से नवाचारात्मक रोचक तथा शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्द्धन करना । इसके लिय प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष रू. 500/- की राशि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है ।
- विद्यालयों के अनुश्रवण बच्चों के मूल्यांकन तथा विभिन्न स्तर पर शोध आदि कार्य हेतु प्रति विद्यालय प्रति वर्ष रू. 1400/- की दर से राशि निर्धारित की गई है ।

क्षमता संवर्द्धन रणनीतियॉ - इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गयी हैं -

- शैक्षिक प्रबंधकों के लिये शैक्षिक आंकड़ो के विश्लेषण, अभिलेखीकरण, प्रचार-प्रसार, संस्थानिक क्षमता का संवर्द्धन आदि के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है ।
- राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) की संस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण किया गया है ।
- विकास खण्ड स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारियों का प्रति वर्ष क्षमता संवर्द्धन किया जाता है ।
- सामुदायिक सहयोग को गतिशील बनाने, विद्यालय प्रबन्धन और समुदाय प्रबंधित विद्यालय निर्माण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण और परिवार सर्वेक्षण में

सम्मिलित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील करने हेतु प्रति वर्ष दो या तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है ।

- ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को सुदृढ़ करने के साथ क्षमता संवर्द्धन समय-समय पर की जाती है ।

नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन रणनीतियॉ : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित हैं -

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नियोजन प्रक्रिया अपनाया गया है । इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर से समुदाय के सहयेाग से शिक्षा की आवश्यकता का आंकलन कर ग्रामवार शिक्षा की योजना का निर्माण किया गया है/जाता है । इसके बाद क्रमशः विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर इन सूचनाओं का संकलन कर उसका विश्लेषण कर जिले की कार्ययोजन का निर्माण किया जाता है । पूरी योजना जन भागीदारी पर आधारित तैयार की गई/जाती है ।
- विभिन्न रणनीतियों के क्रियान्वयन की प्रगति को जानने के लिये समय-समय पर विभिन्न शोध कार्य आयोजित किये जाते हैं । शोध कार्य से प्राप्त परिणामों के आधार पर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का आंकलन कर कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ।
- कार्यक्रम संगटनों का मूल्यांकन समय-समय पर बाह्य एवं आन्तरिक एजेन्सियों द्वारा किया जाता है ।

पर्यविक्षण एवं मूल्यांकन - प्रदेश और जिला स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिये शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय किया गया है, जिसक अन्तर्गत विद्यालय स्तर से आंकड़ो के संग्रह के पश्चात जिले स्तर पर उसका विश्लेषण कर कमियों को विकास खण्ड स्तरीय एवं संकुल स्तरीय बैठकों में चर्चा करके दूर किया जाता है ।

1.12.0 शोध हेतु चयनित जिलों का सामान्य परिचय

अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मण्डल के चारों जिलों (चित्रकूट, महोबा, बॉदा तथा हमीरपुर) को लिया गया है । प्रस्तुत शोध अध्ययन चित्रकूट मण्डल के चारों जिलों चित्रकूट, महोबा, बॉदा तथा हमीरपुर के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में किया गया है । चित्रकूट मण्डल के अलग-अलग जिलों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है -

1.12.1 चित्रकूट जिले का परिचय

चित्रकूट जिला 24.24^0 से 25.12^0 उत्तरी अक्षांश तथा 80.58^0 से 81.34^0 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है । इस जिले का गठन मई 1997 में हुआ है । यह बुन्देलखण्ड के पूर्वांचल में इलाहाबाद, कौशाम्बी तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश राज्य के रीवा, सतना, एवं पश्चिम में बॉदा एवं उत्तर में फतेहपुर जिलों के मध्य स्थिति है । जिले का 1/2 भाग जंगल एवं पर्वत की छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा है । इस भू-भाग पर रहने वाली लगभग 36 प्रतिशत कोल जाति है । जिले में 92.5 प्रतिशत कृषि श्रमिक कार्य, 1.4 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य तथा 1.3 प्रतिशत लोग परिवारिक उद्योग में लगे हुए है । जिले के लोगों का रहन-सहन समान्य है । जिले की भौगोलिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह जिला आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा है । जिले की पूरब से पश्चिम की लम्बाई 3510 किलोमीटर एवं उत्तर दक्षिण चौड़ाई 91 किलोमीटर है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 8000592 है जिसमे से 53.4 प्रतिशत पुरुष एवं 46.6 महिलाएँ है । जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत प्रति वर्ष है । जिले की दशक वृद्धि दर 34.2 प्रतिशत है । जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 26.3 है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 870 महिलायें (0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में 1000 बालकों पर 928 बालिकाएं है) है । जिले का वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 220 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है ।

जिले की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 66.06 प्रतिशत है, जिसमें से 78.25 प्रतिशत पुरुष एवं 51.28 प्रतिशत महिला साक्षर है । जिले की

वर्ष 1991 के सापेक्ष साक्षरता वृद्धि 33.86 प्रतिशत है । प्रशासनिक दृष्टि से जिले में 5 विकास खण्ड (मऊ, रामनगर, मानिकपुर, पहाड़ी एवं चित्रकूट), दो तहसील, 48 न्याय पंचायतें, 1 नगर पालिकायें, दो टाउन एरिया, 334 ग्राम सभाएं, 544 राजस्व ग्राम, 626 बस्तियॉ एवं 3 नगरीय क्षेत्र है ।

1.12.2 महोबा जिले का परिचय

महोबा जिले की स्थापना 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले को विभाजित करके की गई थी । यह जिला 25.70^0 से 26.78^0 उत्तरी अक्षांश और 79.17^0 से 81.34^0 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है । जिले के पूर्व में बॉदा, पश्चिम में झांसी, उत्तर में हमीरपुर एवं दक्षिण में मध्यप्रदेश राज्य के छतरपुर जिले से घिरा है । जिले का अधिकांश भाग पथरीला एवं रेतीला है । जिले कि धरातल का 60 प्रतिशत भाग पटारी, पहाडी तथा 30 प्रतिशत मैदानी एवं 10 प्रतिशत जंगली में आता है । यहॉ के लोगो के जीविकोपार्जन करने का मुख्य साधन कृषि पर आधारित है । जिले में 51.3 प्रतिशत कृषक, 29.8 प्रतिशत कृषक मजदूर, 2.02 प्रतिशत अन्य प्राथमिक कार्य, 2.20 प्रतिशत गृह कार्य, 1.9 प्रतिशत नान गृहकार्य, 4.4 प्रतिशत धन्धा एवं व्यवसाय तथा 8.7 प्रतिशत अन्य व्यवसाय से लगे है । डी.आ.डी.ए. के वर्ष 1998-99 के आंकडों के अनुसार जिले के 50 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते है । जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3071 वर्ग किलोमीटर है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महोबा जिले की कुल जनसंख्या 708831 (पुरुष 379795 एवं महिला 329036) है, जिसमें 53.6 प्रतिशत पुरुष तथा 46.4 प्रतिशत महिलायें है । प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात 860 है (0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में 1000 बालकों पर 901 बालिकाएं है) । वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत 21.8 है । जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 25.8 है । 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 19.0 प्रतिशत है । जिले का वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 249 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता 54.23 प्रतिशत (66.83 प्रतिशत पुरुष एवं 39.57 प्रतिशत महिला) है । जिले में वर्ष 1991 के सापेक्ष साक्षरता वृद्धि का प्रतिशत 17.74 (पुरुष साक्षरता वृद्धि का प्रतिशत 15.85 एवं महिला साक्षरता वृद्धि का प्रतिशत 22.54) है । प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत जिले में 3 तहसीलें, 4 विकास खण्ड, 39 न्याय पंचायत, 247 ग्राम पंचायत, 2 नगर पालिका, 436 राजस्व ग्राम, 521 बस्तियॉ है ।

1.12.3 बॉदा जिले का परिचय

बॉदा जिला विन्ध्य पर्वतमाला के भूभाग में स्थिति है । जिले के उत्तर में फतेहपुर, दक्षिण में मध्यप्रदेश राज्य का सतना जिला, पश्चिम में महोबा एवं हमीरपुर तथा पूर्व में चित्रकूट जिला है । जिले का कुल क्षेत्रफल 4171 वर्ग किलोमीटर है । जिले में 14.9 प्रतिशत वनीय क्षेत्र है । यह जिला बुन्देल खण्ड क्षेत्र का आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा जिला है । डी.आर.डी.ए. के वर्ष 1998-99 के आंकड़ों के अनुसार जिले की 56 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बॉदा जिले की कुल जनसंख्या 1500253 (पुरुष 806543 एवं महिला 693710) है, जिसमें 53.8 प्रतिशत पुरुष तथा 46.2 प्रतिशत महिलायें है । प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात 860 है (0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में 1000 बालकों पर 917 बालिकाएं है) । वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत 18.5 है । जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.8 है । 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 19.7 प्रतिशत है ।

जिले का वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 249 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता 53.06 प्रतिशत (69.89 प्रतिशत पुरुष एवं 37.84 प्रतिशत महिला) है । प्रशासनिक दृष्टि से जिले में 8 विकास खण्ड, चार तहसीले, 71 न्याय पंचायतें, 1 नगर

पालिकायें, पॉच टाउन एरिया, 437 ग्राम सभाएं, 735 राजस्व ग्राम, 1018 बस्तियॉ एवं 4 नगरीय क्षेत्र है ।

1.12.4 हमीरपुर जिले का परिचय

हमीरपुर जिला राजा बुन्देला हमीर सिंह द्वारा बसाया गया था । हमीरपुर जिले की पूर्वी सीमा पर बॉदा जिला, दक्षिण सीमा पर महोबा जिला, उत्तरी सीमा पर कानपुर देहात जिला एवं पश्चिम सीमा पर जालौन जिला स्थिति है । जिले का कुल क्षेत्रफल 4094 वर्ग किलोमीटर है । जिले के 5.80 प्रतिशत भाग पर वन का है । कृषि योग्य भूमि का 26 प्रतिशत भाग सिंचित एवं 52.4 प्रतिशत भाग असिंचित है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1042374 है, जिसमे से 54.1 प्रतिशत पुरुष एवं 45.9 महिलाएॅ है । कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 22.8 प्रतिशत है । 0 से 6 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का 18.1 प्रतिशत है । जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 18.5 प्रतिशत है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 852 महिलायें (0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में 1000 बालकों पर 903 बालिकाएं है) । जिले का वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले का जनसंख्या घनत्व 241 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोंमीटर है ।

जिले की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 58.10 प्रतिशत है, जिसमें से 72.76 प्रतिशत पुरुष एवं 43.44 प्रतिशत महिला साक्षर है । जिले की वर्ष 1991 के सापेक्ष साक्षरता वृद्धि 16.39 प्रतिशत है । प्रशासनिक दृष्टि से जिले में 7 विकास खण्ड, चार तहसीलें, 59 न्याय पंचायतें, 3 नगर पालिकायें, 4 टाउन एरिया, 314 ग्राम पंचायत, 511 राजस्व ग्राम, 486 बस्तियॉ एवं 4 नगरीय क्षेत्र है ।

1.13.0 अध्ययन हेतु चयनित जिलों की शैक्षिक प्रगति

प्रस्तुत शोध अध्ययन झॉसी मण्डल के चित्रकूट, महोबा, बॉदा तथा हमीरपुर जिलों में किया गया है । अध्ययन में चयनित जिलों की जिले वार शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है -

1.13.1 चित्रकूट जिले की शैक्षिक प्रगति : शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार जिले की शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है -

विद्यालयों की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	740	31	726	27
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	5	8	3	3
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	235	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	241	11	2	11
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2	1	0	1

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

नामांकन की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	123942	4868	121412	4280
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1006	2504	639	833
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	298	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	20582	1726	1726	1726
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	270	188	270	188
	योग	145800	9584	124047	7027

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 44547 है ।

शैक्षिक सूचकांक की स्थिति : विद्यालय के प्रकार के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार शैक्षिक सूचकांकों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	प्रगति सूचकांक वर्ष 2003-04	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	3.0	0.0	0.0	1.2	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	33.1	0.0	0.0	23.0	0.0
3.	60 विद्यार्थी-कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	43.7	15.4	0.0	6.7	0.0

4.	नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	0.5	23.1	0.0	0.4	0.0
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	78.2	100.0	0.0	81.0	100.0
6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है	78.2	100	0.0	81.0	100.0
7.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है	83.5	100.0	100.0	75.4	100.0
8.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों का प्रतिशत	4.0	0.0	100.0	5.6	0.0
9.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	96.2	28.7	0.0	92.3	59.0
10.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	28.8	0.0	0.0	18.5	0.0
11.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ शिक्षक 2 या 2 से अधिक है का प्रतिशत	43.5	46.2	100.0	59.5	100.0
12.	भवन विहीन विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों मे नामांकन का प्रतिशत	2.8	0.0	100.0	3.5	0.0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

नामांकन की स्थिति :शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में विभिन्न वर्ष में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

नामांकन वर्ष	कक्षा									
	1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
2002-03	30443	23653	22534	16415	12257	105302	6921	5485	4225	16631
2003-04	31165	32592	26456	23774	17379	131366	9431	8031	6556	24018

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है -

क्रमांक	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	अनुसूचित जाति नामांकन का प्रतिशत	34.9	33.9	32.3	33.2
2.	अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका के नामांकन का प्रतिशत	47.8	48.2	32.2	36.0
3.	अनुसूचित जनजाति नामांकन का प्रतिशत	0.3	0.2	0.8	0.0
4.	अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत	48.7	48.7	27.2	0.0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	सकल/शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	सकल नामांकन अनुपात	85.0	107.3	32.5	36.1
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	79.1	105.7	26.8	31.7

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात 103.51 प्रतिशत है ।

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-विद्यार्थी एवं कक्षा-विद्यार्थी अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	सूचकांक (2003-04)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	48.3	36.6	28.5	39.8	25.3
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	80.0	46.0	75.0	34.0	31.0
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	59.0	40.0	37.0	28.0	16.0
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	34.8	7.7	0.0	7.1	0.0
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	15.8	15.8	0.0	14.7	0.0
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	36.1	23.1	100.0	60.3	0.0

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

विद्यालयों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के भवन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2003-04)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	770	0	1	0	2	13
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	13	0	0	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	255	0	0	0	0	2
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	0	0	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

कक्षाकक्ष की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा-कक्षों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2003-04)				
		कुल कक्षा-कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय	2194	100.0	0.0	0.0	868
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	88	100.0	0.0	0.0	22

3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	8	100.0	0.0	0.0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	804	100.0	0.0	0.0	422
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	28	100.0	0.0	0.0	12

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है -

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	34	169	373	318	176	0	0	162
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	0	1	1	9	0	0	64
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	2	2	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	6	15	221	220	146	0	2	38
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	6	0	0	9
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	2	5	133	147	66	0	1	33

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर लिंगवार शिक्षकों स्थिति निम्नानुसार है -

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक				पैराशिक्षक		
		कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	1615	1062	170	0	298	85	0
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	76	64	12	0	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4	4	0	0	0	0	00
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	652	552	95	1	3	1	0
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	15	15	0	0	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	157	16	173	11	1	12
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6	0	6	1	0	1

3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	0	1	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	67	10	77	2	0	2
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2	0	2	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में कक्षावार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	लिंग	कक्षावार नामांकन									
		1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
1.	बालक	102	160	158	180	117	717	55	52	40	147
2.	बालिका	68	103	98	100	79	448	30	38	36	104
	योग	170	263	256	280	196	1165	85	90	76	251

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

ड्राप आउट दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट दर निम्नानुसार है -

क्रमांक	वर्ष	ड्रापआउट			कोहार्ट ड्रापआउट
		बालक	बालिका	दोनों	
1.	2002-03	2.0	2.0	2.0	-
2.	2003-04	22.5	19.4	21.0	19.3

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

काम्पलीशन दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में काम्पलीशन दर निम्नानुसार है -

कमांक	वर्ष	काम्पलीशन दर		
		बालक	बालिका	दोनों
1.	2002-03	89.7	89.1	89.4
2.	2003-04	75.1	78.5	76.8

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

सम्प्राप्ति स्तर : वर्ष 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 के बच्चों का उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार पाया गया -

कमाक	परिणाम का विवरण	कक्षा			
		5		8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	97.77	98.65	98.63	99.50
2.	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	32.38	27.68	45.59	47.34

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

ट्रांजीशन दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में ट्रांजीशन दर निम्नानुसार है -

कमांक	वर्ष	ट्रांजीशन दर		
		बालक	बालिका	दोनों
1.	2002-03	79.2	73.9	76.9
2.	2003-04	68.1	61.7	65.2

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

1.13.2 महोबा जिले की शैक्षिक प्रगति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले की शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है -

विद्यालयों की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	590	116	562	73
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	43	2	20
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	4	0	2
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	122	33	118	31
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	6	7	3	4

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

नामांकन की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	84060	15304	79666	9402
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	571	12681	571	6087
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर	668	2076	0	483

	सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय				
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	12071	4466	11479	4234
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	905	1613	343	886
	योग	98275	36140	92059	21092

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का 33119 है ।

शैक्षिक सूचकांक की स्थिति : विद्यालय के प्रकार के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार शैक्षिक सूचकांकों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	**प्रगति सूचकांक वर्ष 2003-04**	**विद्यालय का प्रकार**				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	3.3	0.0	0.0	1.3	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	8.3	0.0	0.0	18.7	0.0
3.	60 विद्यार्थी-कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	36.8	15.6	20.0	7.7	0.0
4.	नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	3.7	2.2	20.0	1.9	0.0
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	68.1	91.1	100.0	54.8	100.0

6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है	56.5	91.1	100.0	45.2	100.0
7.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है	91.1	100.0	100.0	91.6	100.0
8.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों का प्रतिशत	1.0	0.0	0.0	1.9	0.0
9.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	84.6	4.3	24.3	73.0	35.9
10.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	7.3	0.0	0.0	13.7	0.0
11.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ शिक्षक 2 या 2 से अधिक है का प्रतिशत	50.8	62.2	40.0	47.1	76.9
12.	भवन विहीन विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	2.1	0.0	0.0	0.6	0.0
13.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों मे नामांकन का प्रतिशत	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

नामांकन की स्थिति :शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में विभिन्न वर्ष में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

नामांकन वर्ष	कक्षा									
	1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
2002-03	26685	23261	22048	16966	14101	103061	9577	8067	6792	24436
2003-04	27859	25073	22091	18570	15237	108830	9978	8300	7307	25585

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है -

क्रमांक	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	अनुसूचित जाति नामांकन का प्रतिशत	31.3	30.4	27.1	28.0
2.	अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका के नामांकन का प्रतिशत	46.0	46.3	32.6	34.4
3.	अनुसूचित जनजाति नामांकन का प्रतिशत	0	0.4	0.4	0.3
4.	अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत	66.7	42.7	100.0	30.5

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	सकल/शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	सकल नामांकन अनुपात	95.1	98.5	54.6	42.6
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	94.2	97.0	34.7	27.0

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात 85.46 प्रतिशत है ।

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-विद्यार्थी एवं कक्षा-विद्यार्थी अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	सूचकांक (2003-04)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	47.3	38.5	52.6	40.7	22.8
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	55.0	56.0	92.0	43.0	35.0
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	52.0	38.0	29.0	31.0	15.0
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	11.5	8.9	20.0	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	9.6	17.8	40.0	5.2	0.0
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	26.0	13.6	46.7	20.5	15.3
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	22.2	28.9	0.0	38.7	7.7

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

विद्यालयों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के भवन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2003-04)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	881	20	11	0	7	14
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	74	7	0	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	13	0	0	0	0	0
04.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	222	2	10	0	2	2
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	21	0	0	0	1	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

कक्षाकक्ष की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा-कक्षों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2003-04)				
		कुल कक्षा-कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय	1896	71.0	19.5	9.5	605
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	349	95.1	4.9	0.0	86
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर	94	100.0	0.0	0.0	31

	सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय					
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	538	67.8	18.0	14.1	246
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	166	88.0	12.0	0.0	67

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है -

क्रम संख्या	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	74	21 3	43 3	351	193	1	3	325
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	1	0	12	14	0	0	206
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	1	3	1	0	0	25
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	6	12	90	110	59	1	0	88
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	1	6	9	14	0	0	42
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	2	6	57	44	11	0	0	74

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर लिंगवार शिक्षकों स्थिति निम्नानुसार है -

क्रम संख्या	विद्यालय का प्रकार	कुल	नियमित शिक्षक			पैराशिक्षक		
			पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	1786	1214	379	0	108	85	159
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	235	202	32	0	1	0	4
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	30	16	14	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	366	291	75	0	0	0	37
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	72	61	11	0	0	0	7

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	159	41	200	2	2	2
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4	1	5	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	37	8	45	0	0	0
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	7	0	7	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में कक्षावार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	लिंग	कक्षावार नामांकन									
		1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
1.	बालक	91	98	140	120	89	538	53	48	39	140
2.	बालिका	64	67	76	71	59	337	33	18	16	67
	योग	155	165	216	191	148	875	86	66	55	207

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

ड्राप आउट दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट दर निम्नानुसार है -

क्रमांक	वर्ष	ड्रापआउट			कोहार्ट
		बालक	बालिका	दोनों	ड्रापआउट
1.	2002-03	28.0	31.9	29.9	-
2.	2003-04	16.3	27.8	21.8	21.8

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

काम्पलीशन दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में काम्पलीशन दर निम्नानुसार है -

क्रमांक	वर्ष	काम्पलीशन दर		
		बालक	बालिका	दोनों
1.	2002-03	59.6	56.4	58.1
2.	2003-04	65.1	55.6	60.5

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

सम्प्राप्ति स्तर : वर्ष 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 के बच्चों का उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार पाया गया -

कमांक	परिणाम का विवरण	कक्षा			
		5		8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	97.70	96.80	94.62	92.17
2.	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	56.96	56.12	46.69	58.44

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

ट्रांजीशन दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में ट्रांजीशन दर निम्नानुसार है -

कमांक	वर्ष	ट्रांजीशन दर		
		बालक	बालिका	दोनों
1.	2002-03	77.4	66.0	70.8
2.	2003-04	78.7	71.7	75.6

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

1.13.3 बाँदा जिले की शैक्षिक प्रगति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले की शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है -

विद्यालयों की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	1143	89	1080	50
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	7	22	1	9
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	1	0	1
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	357	30	345	23
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	18	1	17

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

नामांकन की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	191511	14325	180870	7716
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3035	7190	206	2298
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	155	304	0	304
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	32266	5654	31428	3375
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	214	2371	60	2273
	योग	227181	29844	212564	15966

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 61765 है ।

शैक्षिक सूचकांक की स्थिति : विद्यालय के प्रकार के अनुसार जिले में वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सूचकांकों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	प्रगति सूचकांक वर्ष 2003-04	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	5.6	0.0	0.0	1.8	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	7.5	0.0	0.0	18.3	9.1
3.	60 विद्यार्थी-कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	47.4	20.7	0.0	6.7	0.0
4.	नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	27.5	6.9	0.0	1.0	0.0
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	81.9	75.9	0.0	81.7	72.7
6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है	71.8	79.3	0.0	71.8	59.1
7.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है	93.0	96.6	100.0	91.0	90.9
8.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों का प्रतिशत	2.6	17.2	50.0	4.1	4.5
9.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	93.0	29.7	33.8	85.1	8.3
10.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	4.9	0.0	0.0	10.4	4.5

11.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ शिक्षक 2 या 2 से अधिक है का प्रतिशत	55.0	48.3	0.0	51.4	86.4
12.	भवन विहीन विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	0.7	0.0	0.0	1.1	0.2
13.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों मे नामांकन का प्रतिशत	1.6	17.9	33.8	2.5	1.1

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

नामांकन की स्थिति :शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में विभिन्न वर्ष में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

नामांकन वर्ष	कक्षा									
	1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
2002-03	52457	41522	40004	30657	24365	189005	13679	11340	9852	34871
2003-04	53209	51667	42134	36876	28749	212635	16557	14982	12851	44390

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है -

क्रमांक	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	अनुसूचित जाति नामांकन का प्रतिशत	29.9	29.0	24.1	24.8
2.	अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका के नामांकन का प्रतिशत	45.2	45.4	37.7	37.9
3.	अनुसूचित जनजाति नामांकन का प्रतिशत	0.2	0.2	0.9	0.1
4.	अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत	54.0	49.9	21.8	64.3

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	सकल/शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	सकल नामांकन अनुपात	82.6	89.3	36.9	34.3
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	80.3	81.3	25.6	27.3

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात 105.82 प्रतिशत है ।

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-विद्यार्थी एवं कक्षा-विद्यार्थी अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	सूचकांक (2003-04)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	46.4	41.2	43.1	41.0	19.4
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	60.0	83.0	42.0	32.0	31.0
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	61.0	64.0	38.0	32.0	20.0
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	6.3	6.9	0.0	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	11.9	24.1	0.0	4.1	4.5
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	21.4	31.1	90.9	27.1	3.6
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	28.9	13.8	50.0	55.0	0.0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

विद्यालयों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों पर भवन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2003-04)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	1684	2	3	0	3	11
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	61	0	0	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	518	2	2	1	0	8
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	60	0	0	0	1	1

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

कक्षाकक्ष की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा-कक्षों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2003-04)				
		कुल कक्षा-कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय	3350	65.8	22.7	11.5	1332
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	159	93.1	5.7	1.3	43
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	12	100.0	0.0	0.0	5

4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1175	72.5	19.8	7.7	625
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	129	93.0	3.1	3.9	62

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है -

क्र.	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी से नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	58	313	580	806	712	0	10	194
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	10	41	24	0	0	28
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	1	4	0	0	6
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	8	26	418	357	286	0	1	66
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	10	12	32	0	0	30
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	1	7	218	235	91	0	0	188

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर लिंगवार शिक्षकों स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक				पैरा शिक्षक		
		कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	3411	2127	546	0	553	185	0
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	103	71	32	0	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	11	1	10	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1164	846	316	0	2	0	0
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	84	81	3	0	0	0	0

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	424	54	478	3	4	7
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	7	8	15	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न	1	0	1	0	0	0

	प्राथमिक विद्यालय						
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	150	43	193	10	5	15
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2	1	3	0	0	0

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में कक्षावार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	**लिंग**	**कक्षावार नामांकन**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**योग**	**6**	**7**	**8**	**योग**
1.	बालक	137	171	196	168	134	806	59	83	68	210
2.	बालिका	78	98	116	94	87	473	77	69	70	216
	योग	215	269	312	262	221	1279	136	152	138	426

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

ड्राप आउट दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट दर निम्नानुसार है -

कमांक	**वर्ष**	**ड्रापआउट**			**कोहार्ट**
		बालक	**बालिका**	**दोनों**	**ड्रापआउट**
1.	2002-03	13.2	14.7	13.9	-
2.	2003-04	16.4	22.6	19.3	20.2

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

काम्पलीशन दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में काम्पलीशन दर निम्नानुसार है -

क्रमांक	वर्ष	काम्पलीशन दर		
		बालक	बालिका	दोनों
1.	2002-03	79.2	77.1	78.2
2.	2003-04	82.5	76.2	79.6

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

सम्प्राप्ति स्तर : वर्ष 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 के बच्चों का उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार पाया गया -

कमाक	परिणाम का विवरण	कक्षा			
		5		8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	99.07	98.71	98.33	98.86
2.	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	36.90	32.61	34.75	38.95

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

ट्रांजीशन दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में ट्रांजीशन दर निम्नानुसार है -

क्रमांक	वर्ष	ट्रांजीशन दर		
		बालक	बालिका	दोनों
1.	2002-03	70.5	64.6	68.0
2.	2003-04	72.8	63.7	68.8

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

1.13.4 हमीरपुर जिले की शैक्षिक प्रगति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक. सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले की शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है -

विद्यालयों की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	**अशासकीय**	**शासकीय**	**अशासकीय**
1.	प्राथमिक विद्यालय	727	192	688	128
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	21	0	18
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	1	0	1
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	184	59	181	48
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	5	9	2	6

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

नामांकन की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	**अशासकीय**	**शासकीय**	**अशासकीय**
1.	प्राथमिक विद्यालय	107192	28943	102139	19233
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	5838	0	5097
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी	0	241	0	241

	से संलग्न प्राथमिक विद्यालय				
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	20213	8230	20003	6723
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1368	2309	196	1355
	योग	128773	16907	122338	32649

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 41600 है ।

शैक्षिक सूचकांक की स्थिति : विद्यालय के प्रकार के अनुसार जिले में वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सूचकांकों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	प्रगति सूचकांक वर्ष 2003-04	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	12.7	0.0	0.0	14.8	0.0
3.	60 विद्यार्थी-कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	38.7	14.3	0.0	11.9	0.0
4.	नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का	47.0	76.2	100.0	44.0	100.0

	प्रतिशत					
6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है	36.0	76.2	0.0	35.0	85.7
7.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है	91.8	100.0	100.0	86.4	100.0
8.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों का प्रतिशत	1.0	0.0	0.0	2.1	0.0
9.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	78.7	0.0	0.0	71.1	37.2
10.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	9.7	0.0	0.0	10.6	0.0
11.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ शिक्षक 2 या 2 से अधिक है का प्रतिशत	54.4	57.1	100.0	61.7	78.6
12.	भवन विहीन विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	0.5	0.0	0.0	2.2	0.0
13.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों मे नामांकन का प्रतिशत	0.6	0.0	0.0	1.0	0.0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

नामांकन की स्थिति :शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में विभिन्न वर्ष में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

नामांकन वर्ष	कक्षा									
	1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
2002-03	30992	28383	28379	22881	19970	130605	11419	9558	8457	29434
2003-04	31103	30509	29233	26547	22394	139786	12628	11799	10121	34548

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है -

क्रमांक	शैक्षिक सूचक	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	अनुसूचित जाति नामांकन का प्रतिशत	30.9	29.8	28.0	28.3
2.	अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका के नामांकन का प्रतिशत	46.5	46.7	39.7	42.2
3.	अनुसूचित जनजाति नामांकन का प्रतिशत	0.2	0	0.7	0.1
4.	अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत	51.4	100.0	46.9	25.0

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	सकल/शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1.	सकल नामांकन अनुपात	82.2	86.6	44.9	39.4
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	72.2	81.1	31.1	26.5

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात 109.19 प्रतिशत है ।

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-विद्यार्थी एवं कक्षा-विद्यार्थी अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	सूचकांक (2003-04)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	47.9	37.5	37.8	44.9	43.9
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	52.0	38.0	34.0	39.0	43.0
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	51.0	35.0	40.0	35.0	16.0
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	12.1	4.8	0.0	0.0	0.0
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	12.4	0.0	0.0	5.3	0.0
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	18.4	11.6	0.0	14.7	14.0
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	13.9	19.0	0.0	28.8	0.0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

विद्यालयों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2003-04)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	1323	128	46	0	21	11
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	59	25	2	0	4	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	0	0	0	1	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	404	25	2	0	4	11
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	105	0	0	0	1	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

कक्षाकक्ष की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा-कक्षों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2003-04)				
		कुल कक्षा-कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय	2686	64.6	17.1	18.2	885
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	166	64.5	13.3	22.3	34
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर	6	100.0	0.0	0.0	2

	सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय					
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	810	58.9	22.5	18.6	340
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	234	100.0	0.0	0.0	99

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है -

क्रं.	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	68	323	818	936	352	4	1	20
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4	4	31	73	38	0	0	5
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	5	2	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	16	38	197	329	148	1	0	1
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	1	12	42	31	0	0	0
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	0	3	20	32	8	0	0	10

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर लिंगवार शिक्षकों स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक				पैरा शक्षक		
		कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	2595	2059	458	5	54	19	0
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	155	137	18	0	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	7	7	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	730	623	107	0	0	0	0
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	86	74	12	0	0	0	0

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	411	56	467	6	0	6
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	20	5	25	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	0	1	0	0	0

4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	96	19	115	2	0	2
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	14	2	16	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2003-04 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में कक्षावार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	लिंग	कक्षावार नामांकन									
		1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
1.	बालक	41	58	80	68	40	287	19	32	16	67
2.	बालिका	21	32	39	45	32	169	20	13	11	44
	योग	62	90	119	113	72	456	39	45	27	111

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

ड्राप आउट दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट दर निम्नानुसार है -

क्रमांक	वर्ष	ड्रापआउट			कोहार्ट ड्रापआउट
		बालक	बालिका	दोनों	
1.	2002-03	9.7	10.2	9.9	-
2.	2003-04	11.3	15.0	13.1	8.6

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

काम्पलीशन दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में काम्पलीशन दर निम्नानुसार है -

कमांक	वर्ष	काम्पलीशन दर		
		बालक	बालिका	दोनों
1.	2002-03	86.0	85.7	85.9
2.	2003-04	76.3	73.0	74.4

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

सम्प्राप्ति स्तर : वर्ष 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 के बच्चों का उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार पाया गया -

कमाक	परिणाम का विवरण	कक्षा			
		5		8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	98.42	98.85	98.37	97.98
2.	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	37.36	33.79	32.70	37.65

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

ट्रांजीशन दर : वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में ट्रांजीशन दर निम्नानुसार है -

कमांक	वर्ष	ट्रांजीशन दर		
		बालक	बालिका	दोनों
1.	2002-03	64.1	62.3	63.3
2.	2003-04	69.0	68.7	68.9

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2003-04)

1.14.0 प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता

स्वतंत्रता के पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिशिचित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं । इन्ही प्रयासों के अन्तर्गत प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, प्रारम्भिक शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन, धारण तथा उपलब्धि स्तर को सुनिशिचित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया । जिनके अन्तर्गत विद्यालयीन सुविधा के साथ-साथ विद्यालय में विभिन्न भौतिक एवं वित्तीय संसाधन के अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सभी 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चें को नामांकित कराकर नियमित शिक्षा गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो सके । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लगातार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रारंभिक चरण में शिक्षा सुविधाओं और नामांकन काफी विस्तार हुआ है लेकिन अभी भी हम अपने लक्ष्य से दूर है । भारत में सामान्यतः विद्यालयीय शिक्षा के चार चरण हैं । ये है - प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक । वर्ष 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में विद्यालयीय शिक्षा बारह वर्ष की करके इसे एक समान पद्धति बनाने का प्रयास किया गया है ।

स्वतंत्रता के बाद देश में माध्यमिक शिक्षा में 1951 में प्रथम पीएच.डी. शोध कार्य हुआ । 80 के दशक तक देश में 208 शोध कार्य हुए है (50 के दशक में 9, 60 के दशक में 25 , 70 के दशक में 68 तथा 80 के दशक में 106 शोध कार्य) ये शोधकार्यो मोटेतौर पर 10 क्षेत्रों से (इतिहास, प्रगतिसर्वे, सार्वभौमीकरण, बच्चों के उपलब्धि स्तर, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन, विद्यालय प्रक्रिया, शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा व्यवस्था, शोध आवश्यकता) संबंधित हैं । इन शोध कार्यो में से 36 प्रतिशत पीएच.डी. स्तर के 5 प्रतिशत एन.सी.ई.आर.टी. प्रोजेक्ट अध्ययन, 20 प्रतिशत एस.आई.ई./एस.सी.ई.आर.टी. प्रोजेक्ट अध्ययन तथा 44 प्रतिशत अन्य प्रोजेक्ट थे । विभिन्न दशकों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए अध्ययनों में से 50 के दशक में 6 अध्ययन, 60 के दशक में 8, 70 के दशक के 21 तथा 80 के दशक में 29

अध्ययन हुए है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा कार्यक्रम से माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शोध कार्य जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर हुए है । लेकिन विश्वविद्यालय स्तर अभी भी इस क्षेत्र में काफी कार्य करने की आवश्यकता है ।

दवे पी.एन. एवं मुर्थी सी.जी. ने 1994 में लगभग 1800 शोध कार्य के सारांश का अध्ययन किया जिनमें से 54 शोधकार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे जो कि कुल शोध कार्य का 3 प्रतिशत है । अर्थात प्राथमिक स्तर अभी भी इस क्षेत्र में काफी पिछड़ा है ।

भारत देश में विश्वविद्यालय एवं शासन स्तर प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा के लिए बहुत ही कम शोध हुए है । विश्वविद्यालय स्तर के बी.एड., एम.एड. स्तर के शोधकार्यो में भी सेकण्डरी स्तर को ही प्राथमिकता दी गई है । पीएच.डी. स्तर के अधिकतर शोधकार्यो प्राथमिक स्तर की शिक्षा से अछूते दिखाई पड़ रहे हैं । वर्तमान में शासन स्तर से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अर्न्तगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे है । इसके अन्तर्गत विभिन्न रणनीतियों के लिए विभिन्न हस्तक्षेप लगाये गये है । विभिन्न हस्तक्षेपों के बावजूद हम अभी तक निर्धारित लक्ष्य तक विभिन्न करणों के चलते नहीं पहुॅच सके । विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य हम अभी तक नहीं प्राप्त कर पाये है, इसके क्या कारण है, जानना वर्तमान की सबसे बडी आवश्यकता है । इसी लिए प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (शत प्रतिशत नामांकन, धारण तथा गुणवत्ता परक शिक्षा) पर किन सामाजिक एवं आर्थिक कारक का प्रभाव पड़ा हैं, जानने का प्रयास किया गया है ।

1.15.0 शोध समस्या का कथन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मण्डल के चारों जिलों में किया गया है । अध्ययन में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने

वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारणों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन में शोध का कथन है -

> "प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन"

1.16.0 प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसकी व्याख्या निम्नानुसार है -

प्रारम्भिक शिक्षा : प्रारम्भिक शिक्षा से तात्पर्य 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए 1-8 तक की शिक्षा से है ।

सार्वभौमीकरण : सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सभी बच्चों का सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव तथा गुणवत्तापरक सम्प्राप्ति ।

नामांकन : नामांकन का तात्यपर्य है कि विद्यालय में कक्षावार कितने बच्चे दर्ज है । इसे प्रवेश दर के रुप में भी जाना जाता है ।

ठहराव : ठहराव का तात्यपर्य है कि विद्यालय में कक्षावार दर्ज बच्चेां में से कितने बच्चे नियमित शिक्षा प्राप्त की ।

ड्रापआउट : ड्रापआउट से तात्यपर्य है कि नामांकित बच्चों में से कितने बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया ।

गुणवत्तापरक शिक्षा : गुणवत्ता परक शिक्षा से तात्यपर्य है कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कितने बच्चे पास होते हैं ।

लेखन दक्षता : न्यूनतम अधिगम स्तर के अन्तर्गत कक्षा 5 स्तर पर भाषा के लेखन के लिए निर्धारित दक्षताओं को लिया गया है, जिसको प्राप्त करने की अपेक्षा इस स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी से की जाती है । इसके अन्तगर्त विद्यार्थी से सही स्वरुप एवं सही दूरी के साथ लिखना, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए श्रुतलेखन करना एवं संक्षिप्त और

स्वतंत्र निबंध लेखन करता है, जिसमे सरल अनौपचारिक पत्र तथा संवाद भी सम्मिलित है को लिया गया है ।

शैक्षिक उपलब्धि : विले और एन्डूज (1955) के अनुसार विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक उद्देश्यों का मापन है, जो उन्होंने विद्यालय में अर्जित किया है । सामान्यतया, शैक्षिक उपलब्धि को परीक्षा में प्राप्त अंकों से आंका जाता है । इस अध्ययन में शैक्षिक उपलब्धि से आशय है कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं समग्र के अंकों के प्रतिशत से है ।

विद्यालय में उपस्थिति : उपस्थिति का आशय विद्यार्थी के विद्यालय में उपस्थित दिनों की संख्या से है । इसको प्रतिशत में लिया गया है । इस अध्याय में उपस्थिति से आशय कक्षा 5 में विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा तक कितने दिन विद्यालय आया, के प्रतिशत से लिया गया है ।

जाति : जाति को भी तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह -1 सामान्य, समूह- 2 को पिछड़ी जाति एवं समूह- 3 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति । अर्थात

समूह - 1 सामान्य

समूह - 2 पिछड़ी

समूह - 3 अनुसूचित जाति एवं जनजाति

लिंग : लिंग को दो समूहों में विभक्त किया गया है । समूह -1 छात्रों के लिये तथा समूह- 2 छात्राओं के लिये । अर्थात

समूह - 1 छात्र

समूह - 2 छात्रा

स्थान : स्थान से तात्पर्य जहॉ विद्यालय स्थिति है से लिया गया है । स्थान को दो समूहों में विभक्त किया गया है । समूह -1 शहरी क्षेत्र के विद्यालयें तथा समूह- 2 ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयें को लिया गया । अर्थात

समूह - 1 शहरी क्षेत्र के विद्यालय

समूह - 2 ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय

परिवार का आकार :परिवार के आकार को तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह 1 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 6 से कम है । इसे छोटा आकार समूह परिवार कहा गया है । समूह 2 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 6 या 7 है । इसे मध्यम आकार समूह परिवार कहा गया है । समूह - 3 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है । इसे बड़ा आकार समूह परिवार कहा गया है । अर्थात

समूह - 1 = सदस्यों की संख्या 6 से कम = छोटा परिवार

समूह - 2 = सदस्यों की संख्या 6 या 7 = मध्यम परिवार

समूह - 3 = सदस्यों की संख्या 7 से अधिक = बड़ा परिवार

परिवार की आय : परिवार की आय को तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह 1 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें परिवार की मासिक आय पॉच हजार या उससे अधिक है । इसे उच्च्य आय समूह का परिवार कहा गया है । समूह 2 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें परिवार की मासिक आय 5 हजार से कम तथा 3 हजार से अधिक है । इसे मध्यम आय समूह का परिवार कहा गया है । समूह 3 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें परिवार की मासिक आय तीन हजार या उससे कम है । इसे निम्न आय समूह का परिवार कहा गया है । अर्थात

समूह -1 - मासिक आय 5000 या अधिक =उच्च्य आय परिवार

समूह -2 - मासिक आय 5000 से कम तथा 3000 से अधिक =मध्य आय परिवार

समूह -3 - मासिक आय 3000 या कम =निम्न आय परिवार

परिवार का व्यवसाय : परिवार के व्यवसाय को तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह 1 में व्यापारी एवं नौकरी वर्ग के परिवार को लिया गया है, समूह 2 में कृषक वर्ग के परिवार को तथा समूह 3 में मजदूर वर्ग के परिवार को लिया गया है । अर्थात

समूह - 1 = व्यापारी एवं नौकरी वर्ग परिवार

समूह - 2 = कृषक वर्ग परिवार

समूह - 3 = मजदूर वर्ग परिवार

परिवार की शिक्षा : परिवार की शिक्षा को तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह 1 में प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार को लिया गया है, समूह 2 में प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त परिवार को तथा समूह 3 में निरक्षर परिवार को लिया गया है । अर्थात

समूह - 1 = प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार

समूह - 2 = प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त परिवार

समूह - 3 = निरक्षर परिवार

1.17.0 प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य

किसी भी कार्य को करने से पहले यह आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य/उददेश्य को निर्धारित करें । बिना उददेश्य के निर्धारित किये हम अपनी शोध की सही स्थिति तक नहीं पहुँच सकते है । लक्ष्य का निर्धारण कर लेने से शोध कार्य को एक निश्चित दिशा मिल जाती है । बिना उददेश्यों के निर्धारित किये शोध कार्य करने से धन, समय और परिश्रम आदि की क्षति होती है और वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होता है । अतः किसी भी कार्य को करने के पहले उददेश्यों का निर्धारण करना अत्याधिक आवश्यक होता है ।

प्रस्तुत अध्ययन उत्तरप्रदेश राज्य के चित्रकूट मण्डल के जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय नियमितता(उपस्थिति) लेखन दक्षता आदि पर पड़ने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।

1.18.0 शोध परिकल्पनायें

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए किया गया । प्रभाव को जानने के लिए शोध में शून्य परिकल्पनाये प्रस्तावित की गई हैं, जिनकी जॉच उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जायेगी । प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाये निर्धारित की गई -

- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति विद्यालय की जिलेवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता हैं ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार कक बीच अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता विद्यालय की जिलेवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार कक बीच अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

अध्याय द्वितीय

प्रस्तुत शोध से संबंधित अध्ययन

अध्याय-द्वितीय

प्रस्तुत शोध से संबंधित अध्ययन

2.01.0 परिचय

किसी भी शैक्षिक अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करने हेतु शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विषय से संबंधित साहित्य, पत्रिकाओं तथा सूचनाओं का सर्वेक्षण करें । इसकी उपयोगिता इससे सिद्ध होती है कि शोधार्थी अपने विषय में किये गये शोध कार्यों के पूर्व इतिहास का परिचय प्राप्त कर सकें । संबंधित साहित्य का अध्ययन अनुसंधानकर्ता के लिये उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उसके अनुसंधान की मौलिकता को आधार प्रदान करता हैं । क्षेत्र में हुये कार्य, उसकी विधि तथा निष्कर्ष के आधार पर अनुसंधानकर्ता, समस्या चयन, उसकी रूपरेखा तथा शोधविधि का निर्माण करता है । यहाँ जॉन डब्लू बेस्ट की युक्ति उचित तथा पूर्ण लगती है कि -"व्यवहारिक रुप में सम्पूर्ण मानव ज्ञान, पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है । यदि हम पुस्कालय का सहारा नहीं लेते तो हम पूर्व के हुए कार्य को पुनः दोहराकर समय नष्ट करते हैं ।

शोधार्थी की आधार भूमि उसकी पूर्व संचित ज्ञान एवं पूर्व सम्पादित शोध ही होते हैं । प्रत्येक क्षेत्र में इस ज्ञान का भंडार उपलब्ध है, इसकी जानकारी प्रत्येक शोधार्थी के लिए अनिवार्य होती है । इस जानकारी के आभाव में शोधार्थी का सम्पूर्ण प्रयास दिशा हीन रहता है, ज्ञान विकास की दिशा में उसका योगदान शून्य रहता है तथा उसका समस्त प्रयास निर्थक रहता है । अतः शोध समस्या का अन्तिम रुप में चयन करने से पूर्व शोधार्थी को संबंधित साहित्य एवं सूचनाओं का संग्रह तथा उसकी समीक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है । संबंधित साहित्य के अध्ययन से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि प्रस्तावित समस्या के किन-किन पहलुओं पर संबंधित कार्य पूर्व में

हो चुके है तथा किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है । सभी अनुसंधान विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते है कि शोध प्रक्रिया कि सबसे लंबी सीढ़ी संबंधित साहित्य का अवलोकन एवं उसकी समीक्षा है ।

साहित्य के पुनर्निरीक्षण के दो पक्ष होते है । प्रथम पक्ष के अन्तर्गत, समस्या क्षेत्र में प्रकाशित सामग्री को पहचानना तथा जिस भाग से हम पूरी तरह अवगत नहीं है उसको पढ़ना आता है । हम उन विचारों और परिणामों का विकास करते हैं, जिनके आधार पर अध्ययन किया जायेगा । साहित्य के पुनर्निरीक्षण के द्वितीय पक्ष में शोध अभिलेख के भाग में इन विचारों को लिखना निहित है । यह भाग शोधकर्त्ता और पढ़ने वाले दोनों के लिए लाभकारी है । शोधकर्त्ता के लिये यह उस क्षेत्र में भूमिका स्थापित करता है तथा पढ़ने वालों के लिए यह विचारों और अध्ययन के लिए आवश्यक शोधों का सारांश प्रस्तुत करता है ।

अनुसंधान को अपने क्षेत्र तथा समस्या से संबंधित पूर्व में हो चुके अनुसंधानों का सर्वेक्षण करने से कई लाभ मिलते हैं । उसे यह बोध होता है कि समस्या से संबंधित अनुसंधानो में शोधार्थी ने किस न्यादर्श का किस प्रकार चयन किया है । शोध के लिए प्रत्येक उपकरण का तो उसे ज्ञान होता है साथ ही विभिन्न शोधकर्ताओं ने किन-किन चरों का तथा किन-किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अथवा प्रयास किए, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है । परिकल्पनाओं के सत्यापन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी विश्लेषण व प्राप्त निष्कर्षो की जानकारी भी मिलती है, जिससे शोधार्थी को अछूते पक्षों में शोध कार्य करने की सूझ भी प्राप्त होती है । इस प्रकार संबंधित शोध का अध्ययन शोध कार्य प्रारम्भ करने की पहली सीढ़ी है । साहित्य का पुनरावलोकन करने के बाद ही शोधार्थी अपने कार्य की आधार शिला रख सकते है ।

2.02.0 सम्बंधित साहित्य सर्वेक्षण का महत्व

किसी भी संबंधित साहित्य की समीक्षा से अनुसंधानकर्ता को अपने क्षेत्र की सीमा के निर्धारण करने में सहायता मिलती है । संबंधित साहित्य के ज्ञान से अनुसंधानकर्ता को अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वह अलाभप्रद व अनुपयोगी समस्याओ से बच सकता है । वह ऐसे क्षेत्र को चुन सकता है जिसमें पूर्व में कोई कार्य नहीं हुए है । इससे इस बात की भी जानकारी प्राप्त होती है कि पूर्व में किये गये अनुसंधान में किस प्रकार की अनुशंसाएँ की गई थी । साहित्य के सर्वेक्षण के महत्व को हम विन्दुवार निम्न रूपों में समझ सकते हैं-

- शोधार्थी का शोध संबंधी ज्ञान बढ़ता है ।
- समस्या को सीमित रखने व दिशा देने में सहायता मिलती है, क्योकि पूर्व में हो चुके अनुसंधान की जानकारी मिल जाती है ।
- शोध सामग्री एकत्र करने में उपयुक्त साधनों, कारणों, विधियों एवं परीक्षणों को खोजने में सहायता मिलती है ।
- शोध परिणामों की वैद्यता सिद्ध करने एवं इसमें वृद्धि के लिए ।
- विचारणीय शोध के लिए निर्देशों अथवा सन्दर्भों की धारणाओं को र्निमित करने में ।
- समस्या क्षेत्र के शोध की वस्तुस्थिति को समझने में ।
- शोध विधियों और तथ्यों के विश्लेषीकरण को आधार प्रदान करने में ।
- विचारणीय शोध की सफलता और निष्कर्षों की उपयोगिता अथवा महत्ता की सम्भावना को आंकने के लिए ।
- शोध की परिभाषाओं, सीमाओं और परिकल्पनाओं के विश्लेषीकरण के लिए आवश्यक विशिष्ट जानकारी देने में ।
- शोध परिणामों की व्याख्या करने में ।

संबंधित साहित्य सर्वेक्षण के दो साधन हैं- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष साधनों में इस समस्या से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकें, लेख, सरकारी प्रतिवेदन, एम.एड. तथा पीएच.डी. स्तर पर लिखे गये शोध, निबंध आदि आते है, जबकि अप्रत्यक्ष संसाधन में शैक्षिक अनुसंधान का विश्वकोश, एजुकेशनल सर्वेक्षण, एजुकेशनल इन्डैक्स डायरेक्टरी एवं इयर बुक ऑफ एजुकेशन एवं एजुकेशनल रिसर्च आदि की गणना की जाती है ।

2.03.0 सम्बंधित साहित्य के समीक्षा की आवश्यकता : सम्बंधित साहित्य की समीक्षा आवश्यक निम्नलिखित कारणों से है-

- प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह दूसरों द्वारा किये गये अपनी समस्या से सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं से भली-भाँति अवगत हो । वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है ।
- शोधकार्य की योजना बनाने में प्रारम्भिक पदों में से एक रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्र में किये गये शोध कार्यों की समीक्षा करता है, इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्त्ता को एक दिशा का संकेत देता है ।
- यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है, शोध की समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए समानता प्राप्त करता है । शोधकर्त्ता साहित्य के पुनर्निरीक्षण के आधार पर अपनी परिकल्पनायें बनाता है । यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है । अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद-विवाद किया जा सकता है ।

2.04.0 देश-विदेश में किये गये अध्ययन -

भारत वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर हुए शोध की वर्तमान स्थिति जानने के लिए शोधकत्री ने भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण से संबंधित शोध का ऑकलन किया । इसके लिए एन.सी.ई.आर.टी. एवं एडसिल द्वारा प्रकाशित शैक्षिक अनुसंधान के सर्वेक्षणों का अवलोकन किया गया तथा विदेश में

आयोजित अनुसंधानों के सर्वेक्षण हेतु Dissertation Abstract Introduction International तथा Psychological Abstract का अवलोकन किया जिससे शोधार्थी को कुछ लेख प्राप्त हुए, जिनका वर्णन निम्नानुसार है -

देश- विदेश में हुये प्रमुख अनुसंधान निम्न प्रकार है-

2.04.1 विदेश में किये गये अध्ययन

विदेश में आयोजित अनुसंधानों के सर्वेक्षण हेतु डिजर्टेशन एवं एबस्ट्रेक्ट्स तथा साइकॉलोजिकल एबस्ट्रेक्ट्स का अवलोकन करने पर शोधार्थी को कुछ अध्ययन प्राप्त हुए जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया ।

- **जुल्का (1961- 62)** ने 7 से 11 वर्ष से ऊपर दो समूह के 140 भील जाति के बालकों का अध्ययन किया । अध्ययन में बौद्धिक क्षमता, प्रेरणा स्तर, दूरदर्शिता में कमी पायी गई । आकांक्षा का स्तर उच्च पाया गया । भावुकता पर कमजोर नियंत्रण पाया गया व अधिक तनावयुक्त पाये गये ।
- **बर्न्सटेन (1962)** ने आदिवासियों की भाषा संबंधी समस्या का अध्ययन किया और पाया कि छोटी कक्षाओं में बच्चों पर उनकी घरेलू भाषा का अधिक असर पड़ता है । इसके लिये शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा का सहारा लेना चाहिये ।
- **बिगनाड़ (1972)** ने सामाजिक-आर्थिक स्तर और अपेक्षित व्यवसाय में संबंध का अध्ययन किया । अध्ययन से प्रमुख निष्कर्ष निकले कि जितना सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, उतना ही अपेक्षित व्यवसाय का भी स्तर ऊँचा होगा ।
- **स्टीवर्ट (1975)** ने कक्षा में होने वाले शाब्दिक व अनुभावात्मक व्यवहारों तथा संज्ञानात्मक अन्तरक्रियाओं में संबंध का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया गया कि जिन कक्षाओं में व्याख्यान हेतु कम समय का उपयोग करने वाले शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके विद्यार्थियों की प्रक्रियाओं का विकास कम होता है । संज्ञानात्मक प्रकिया विकास के मापों तथा शिक्षक प्रश्नों के रूप में वर्गाकृत वार्तालाप में सार्थक

सकारात्मक, सहसंबंध होता है । व्याख्यान व प्रश्नों के उपयोग में संतुलन, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को बढ़ाता है ।

- **कोइन (1998)** ने पठन, गणित में न्यूनतम दक्षता परीक्षण पर विद्यार्थियों की विशेषताओं का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों के संचयी अभिलेख का उपयोग किया । इसके लिए जाति, लिंग, माता-पिता का व्यवसाय, मानसिक योग्यता, उपस्थित व उनकी उपलब्धि ग्रेड में तथा स्टेअनफोर्ड का पठन व गणित निष्पति परीक्षण आदि चरो का उपयोग किया गया । इस अध्ययन हेतु दो विद्यालयों के कक्षा 8 के 234 शहरी मध्यम वर्ग के शिक्षार्थियों को शोध कार्य हेतु न्यादर्श के रुप में चयन किया गया । डिसक्रिमेंट एनालिसिस फंक्सन प्रविधि द्वारा यह पाया गया कि, पठन परीक्षण दक्षताओं के सदस्यों की शुद्धता 88.2 प्रतिशत जबकि गणित परीक्षण में शुद्धता 84.2 प्रतिशत पाई गयी । परिणाम यह प्रदर्शित करते है कि दक्षता परीक्षणेंा में अनुर्तीण होने वाले विद्यार्थियों में दक्षतायें उच्च अंश तक विद्यमान है ।

- **कुलहमान केरोन (1985)** ने प्राथमिक दक्षता परीक्षण परिणामों का प्राथमिक विद्यालयों की संगठनात्मक विशेषताओं व विद्यार्थियों की विशेषताओं के साथ संबंध का अध्ययन किया । इस हेतु कक्षा 2,3 व 4 के 1986 व 1982 वर्ष में सभी विद्यार्थियों का दक्षता परीक्षण किया गया । शोध का उदद्ेश्य यह ज्ञात करना था क्या विद्यालयों की संगठनात्मक संरचना व विद्यार्थियों की विशेषताओं का दक्षता परीक्षण के प्राप्तांको पर कोई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं । इस हेतु चार प्रकार के विद्यालय चुने गये जिनसे विभिन्न परिवारों के विद्यार्थियों को लिया गया । इनसे (1) एक माता-पिता व दो माता-पिता वाले (2) दोपहर का भोजन मुफ्त, आधी कीमत व पूरी कीमत चुकाकर करने वाले विद्यार्थी थे । विद्यार्थियों कि गणित पठन की दक्षताओं की जॉच की गई तथा यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि कक्षा 2 के पठन के प्राप्तांक व गणित के प्राप्तांको पर विद्यालय-विद्यार्थी की विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ता है । मल्टीपल रिग्रेशन एनालसिस द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि, विद्यालय के संरचनात्मक संगठन व विद्यार्थियों की

विशेषताओं का विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की पठन व गणित की दक्षताओं के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं है ।

- **हेनरी (1985)** ने प्रवेश स्तर पर विद्यार्थी मामलो के व्यावसाइयों की व्यावसायिक दक्षताओं का अध्ययन किया । टेकसाल के चार वर्षीय पब्लिक संस्थाओं के 246 पूर्ण कालिक व्यवसाइयों के 26 दक्षताओं पर प्रतिक्रियायें प्राप्त की गई, जिसमें से 191 (77 प्रतिशत) का ही विशलेषण में प्रयोग किया गया । प्राप्त उत्तरों को वर्णात्मक सांख्यिकी व काईवर्ग परीक्षणों की सहायता से विश्लेषण किया गया ।

- **एनट्रिप एवं सीमैट (2003)** द्वारा सफल विद्यालय प्रबंधन पर अध्ययन किया गया । इसके लिए 5 सफल प्राथमिक विद्यालयों (3 शासकीय एवं 2 अशासकीय) का चयन किया गया । इसका प्रमुख उद्देश्य यह जानना था कि एक सफल विद्यालय के प्रबंधन में कौन से कारकों की भूमिका है । इसके अन्तर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य की भूमिका समुदाय के सहयोग एवं पर्यवेक्षणकर्ता के सहयोग का अध्ययन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अच्छा नेतृत्व करते है, जिससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अच्छे परिणाम हैं । सभी विद्यालयों में समुदाय का सहयोग भी उच्च स्तर का पाया गया तथा पर्यवेक्षणकर्ता का सहयोग धनात्मक पाया गया ।

2.04.2 भारत में किये गये अध्ययन

भारत देश में किये गये विभिन्न शोध अध्ययन निम्नानुसार है -

- **रथ व सरकार (1960)** ने कटक शहर के तीन उच्च और तीन पिछड़ी जातियेां का अध्ययन किया और पाया कि सभी जातियों के अधिकांश सदस्य समाज में सबके लिये समान सामाजिक आर्थिक सुविधायें होना ठीक समझते हैं, और इस संदर्भ में जातिवाद का विरोध करते थे । इसके पश्चात रथ व सरकार (1960) ने अर्न्तजातियों में मानसिक स्तर का भी अध्ययन किया और पाया कि इन जातियों के मानसिक स्तर में सार्थक अंतर था । इनकी अभिरूचियों में भी अंतर

पाया गया । उच्च जाति की अवधारणा पिछड़ी जाति की अवधारणा से सार्थक रूप से अधिक पायी गई ।

- **सिंह** (1960) ने आगरा शहर और पास के ग्रामीण क्षेत्रों के 4-10 आयु वर्ष के बालकों में जातीय चेतना के विकास का अध्ययन किया और पाया कि जातीय चेतना का विकास लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक तेजी से विकसित होता है । जातीय चेतना ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में तथा निम्न जाति की अपेक्षा उच्च जाति में शीघ्र और तेजी से छोटी उम्र में ही विकसित होती है ।

- **कुरेशी** (1960-66) ने किशोरों के सेल्फ इमेज का सामाजिक आर्थिक आधार पर अध्ययन किया और पाया कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर (एस.ई.एस.) वाले अपनी सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देते हैं । उच्च, मध्यम एवं निम्न एस.ई.एस. के व्यक्तियों के क्रमशः सुरक्षा, मान्यता और अक्रामकता की प्रेरणा अधिक पायी जाती है ।

- **राघवन** (1966) ने ग्रामीण और लंबे समय से शहर में बसे छात्रों की उपलब्धि का अध्ययन किया । अध्ययन में ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के छात्रों में अधिक उपलब्धि पायी गई । औद्योगिक शहरी समुदाय में उन्मुखीकरण अधिक पाया गया ।

- **विलियम** (1973) ने प्राथमिक विद्यालय के तीन समूहों के छात्रों की स्व अवधारणा का अध्ययन किया और पाया कि कक्षा में बहुसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की स्व अवधारणा अल्पसंख्यक समूह के सामाजिक असंतुलित छात्रों की अपेक्षा धनात्मक पायी गई । सफेद प्रजाति के विद्यार्थियों की अपेक्षा काले विद्यार्थियों के समूह में अधिक स्व अवधारणा पायी गई ।

- **श्रीवास्तव** (1974) ने अपराधी बालकों के व्यक्तित्व प्रतिमान का अध्ययन किया और पाया कि उनमें बौद्धिक योग्यता और सामाजिक अन्तर्क्रिया कम पायी गयी, परन्तु दैनिक क्रिया कलापों में आत्मविश्वास देखा गया ।

- **सिंह** (1976) ने कोटा जिले के गबड़ा गांव के सांस्कृतिक सम्पर्क और व्यक्तित्व प्रतिमानों का रोर्शा परीक्षण, सामाजिक आर्थिक स्तर, साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया । इस अध्ययन के लिये 150 न्यादर्श का चयन सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक स्तर पर किया गया और पाया गया कि ''सांस्कृतिक सम्पर्क का व्यक्तित्व निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है '' ।
- **गुप्ता** (1978) ने उच्च एवं निम्न जाति की स्व अवधारणा का अध्ययन किया । उच्च वर्ग की अपेक्षा हरिजन वर्ग के विद्यार्थियों की उपलब्धि, आत्मविश्वास लघुता ग्रंथि, भावनात्मक स्थिरता आदि गुणों का मध्यमान स्कोर सार्थक रूप से अधिक पाया गया ।
- **गुप्ता** (1979) ने कम नियंत्रण वाली कक्षाओं के विद्यार्थियों में अधिक नियंत्रण वाली कक्षाओं के विद्यार्थियों की अपेक्षा परिकल्पना निमार्ण, मान्यताओं के निर्धारण, खोज अभिकल्पित व क्रियान्वित करने, चरों को समझने, सावधानी पूवर्क निरीक्षण करने , प्रदत्तें का अभिलेखन करने, चरों को समझाने, परिणामों का विश्लेषण व निर्वचन करने और नये ज्ञान का संश्लेषण करने आदि योग्यताओं का अधिक विकास होता है ।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तकनीकी निर्देशन तथा सहयोग के अन्तर्गत डॉ.दवे(1988) ने प्राथमिक स्तर पर छात्र उपलब्धि का अध्ययन किया । इसे 15 राज्यों में प्रारम्भ किया गया तथा इसके प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य के 30 विद्यालयों को इस कार्य के लिए चुना गया । 1980-84 के दौरान लगभग 2,480 विद्यालयों जिसमें लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया । इस परियोजना के उदद्रेश्य विद्यालयों के नामांकन, ठहराव का अध्ययन करना, विद्यार्थियों में न्यूनतम अधिगम स्तर जिस सीमा तक विकसित होते है, उसे सुनिशिचित करना तथा विद्यार्थी, विद्यालयी, सामाजिक एवं सास्कृतिक कारकों का न्यूनतम अधिगम स्तरों के भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के छात्र उपलब्धि के साथ संबंध देखना था । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 1 में भाषा में छात्र उपलब्धि बहुत अच्छी है तथा कक्षा 3 में न्यूनतम से अच्छी है एवं कक्षा 4 में

न्यूनतम है । इसी प्रकार पर्यावरण विज्ञान में कक्षा 1 तथा 2 में दो विद्यार्थियों की बहुत ही अच्छी थी तथा कक्षा 4 में सामान्य से नीचे ।

- **मेटाकॉफ** (1985) ने पारम्परिक विधि तथा दक्षता आधारित शिक्षण विधि का गणित की उपलब्धियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया । अनुसंधान में कक्षा 5, 6, 7 व 8 के शिक्षार्थियों कि गणित के प्राप्तांकों पर दो शिक्षण विधियों के प्रभाव का अध्ययन किया । प्रत्येक कक्षा से 40 विद्यार्थियों का एक प्रयोगिक समूह चुना गया और उन्हे दक्षता आधरित विधि द्वारा पढ़ाया गया । प्रत्येक कक्षा से चयनित 40 विद्यार्थियों को नियंत्रित समूह मानकर पारम्परिक विधि द्वारा पढ़ाया गया, इसके पश्चात परीक्षण लिया गया तथा कोवेरियन्स सांख्यिकी के माध्यम से विशलेषण किया गया । एक वर्ष प्रयोग करने के बाद प्रायोगिक व नियंत्रित समूह में सार्थक अंतर पाया गया ।
- **डेम्बी**(1986) ने ''गेरी व इंडियाना सामुदायिक विद्यालयों की न्यूनतम दक्षता परीक्षण का व्यक्तिक अध्ययन'' किया । फरवरी 1974 में शिक्षार्थियों में पठन, गणित, लेखन व मौखिक अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में न्यूनतम स्तर अर्जित करने हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । इसे हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता बताया गया । अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकला कि यदि उचित परिस्थितियों में प्रारम्भ से ही निदानात्मक परीक्षण कराये जाये तो सकारात्मक परीणामों की आशा की जा सकती है । अध्ययन से यह भी निष्कर्ष सामने आया कि न्यूनतम दक्षता परीक्षण में ''गेरी पब्लिक स्कूल'' अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा ।
- **कॉल्स जॉन**(1987) ने पेलिसनवेनिया में आद्यौगिक की ग्राफिक कला की प्रवेश स्तर पर दक्षताओं का अध्ययन किया । अध्ययन में व्यवसायिक तकनीकी शिक्षकों व ग्राफिक्स कला उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की तुलना भी की गई । इस हेतु एक प्रश्नावली का निर्माण कर 346 के न्यादर्श को डाक द्वारा प्रशनावली भेजी गई । 190 का एक समूह उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों का था, जबकि दूसरा 56 व्यावसायिक विद्यालयों में ग्राफिक कला विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का था । एकत्रित

दलों का विशलेषण यह प्रदर्शित करता है कि विद्यालयों के व्यवसायिक शिक्षक तकनीकी दक्षताओं पर अधिक बल देते हैं जबकि उद्योगों में कार्यरत लोग संज्ञानात्मक दक्षताओं पर अधिक बल देते हैं । यह भी तथ्य सामने आया कि दानेंा समूहों के लोग पर्याप्त व्यवसायिक दक्षताएँ रखते हैं । उद्योगो में कार्यरत व्यक्तियों की तुलना में व्यवसायिक शिक्षक प्रारंम्भिक आवश्यक दक्षताओं पर अधिक बल देते हैं । 60 प्रतिशत दक्षताओं में से 40 - 49 प्रतिशत को वांछिंत माना गया किन्तु आवश्यक नहीं । शेाध के परिणामों का उपयोग पाठ्चर्या विकास व परिवर्तन हेतु किए जाने की सिफारिश की गई ।

- **पाण्डेय (1987)** ने शैक्षिक दुश्चिन्ता मापनी का निर्माण किया तथा वंचित विद्यार्थियों में शैक्षिक दुश्चिन्ता का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया गया कि अधिक वंचित लड़कियों में कम वंचित लड़कों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक दुश्चिन्ता होती है । अधिक तथा कम वंचित लड़कों की शैक्षिक दुश्चिन्ता में कोई अंन्तर नहीं होता है । कम वंचित लड़कियों और अधिक वंचित लड़कों की हिन्दी विषय में निष्पत्ति शैक्षिक दुश्चिन्ता से नकारात्मक रूप से सहसंबंधित है । कम वंचित लड़कों की विज्ञान में निष्पत्ति तथा शैक्षिक दुश्चिन्ता में नकारात्मक सहसंबंध होता है । अधिक वंचित लड़कियों की समाजिक अध्ययन में निष्पत्ति शैक्षिक दुश्चिन्ता से नकारात्मक रूप से संबंधित होती है ।

- **चौहान (1989)** ने प्रमापीकृत गणित दक्षता परीक्षण व लिंग का संबंध ज्ञात किया । यह पता लगाया गया कि चूंकी विश्वविद्यालय स्तर पर स्त्री, पुरुष की गणित की दक्षताओं में काफी अंतर है । अतः गणित की दक्षताओं पर महाविद्यालय की श्रेणी महाविद्यालय का चयन व नागरिकता के प्रभाव का भी अध्ययन किया । अध्ययन में अंक गणित व बीज गणित की दक्षताओं में स्त्रियों व पुरुषें में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- **व्हाइटल (1989)** ने पेनिसलवेनिया में न्यूनतम दक्षता परीक्षण (कक्षा 5 गणित) की अनुदेशन वैद्यता का परीक्षण किया । इस अध्ययन में पाठ्यसामग्री अनुदेशन

तथा गणितीय क्षमताओं का संबंध ज्ञात किया । अध्यापक अनुमान एवं विद्यार्थियों की प्रदर्शित क्षमता का "प्रोडक्ट मूवमेंट विधि" द्वारा सार्थक सह संबंध पाया गया ।

- **गिलिम रोनाल्ड (1989)** ने भाषा अधिगम में वांछित (एम.एल.एल.) बच्चों की मौखिक भाषा, पठन व लेखन की दक्षताओं का अध्ययन किया । अध्ययन का उद्देश्य मौखिक भाषा दक्षता व भाषा की लिखित दक्षताओं में सह-संबंध ज्ञात करना था, ताकि मौखिक व लिखित भाषा के संबंध में प्रचलित दो विभिन्न सिद्धांतों के संबंध में कुछ अनुदेशक प्रविधियों का पता लगाया जा सके ।
- **इक्का (1990)** ने उड़ीसा में स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास का अध्ययन किया । प्राथमिक स्तर पर अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 73.48 प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर कक्षा छोड़ देते हैं । प्राथमिक स्तर पर 12.44 प्रतिशत तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 15.89 प्रतिशत रूद्धता है और 13.5 प्रतिशत शिक्षा इनमें पाई जाती है । शिक्षा में कमी का मुख्य कारण इनके लिये उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजना का अपनी शिक्षा के लिये लाभ न उठाना है ।
- **प्रभातचन्द्र (1990)** ने आदिवासी छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक रूचियों का अध्ययन किया तथा इसका बौद्धिक उपलब्धि, सामाजिक, आर्थिक स्तर और शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया । उत्तरदाताओं में विशेषज्ञता के स्तर व व्यावसायिक विकास की निरंतरता में सार्थक अंतर पाया गया । लिंग, आयु, उच्चतम डिग्री, व्यावसाय, संतुष्टि, पद व सेवा काल से जैसे निराश्रित चरों का उत्तरदाताओं की व्यावसायिक आवश्यकताओं में कोई सार्थक अंतर का उल्लेख नहीं है । व्यावसायिक विकास हेतु संगोष्ठियों, सहयोगियों से चर्चाएं, कार्यशालाओं एवं सेमीनार प्रविधियों को अधिक से अधिक पसंद किया गया । सांख्यिकी विश्लेषण से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि इस स्तर पर कार्यरत व्यक्ति अपने व्यावसायिक विकास के प्रति सजग है ।

- **मलहोत्रा** (1992) ने निबोकर के आदिवासियों पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया । इस अध्ययन में आधुनिक शिक्षा का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन का आदिवासियों पर प्रभाव का अध्ययन किया ।
- **पाण्डा, पी.एन.** (1993) ने गतिविधि युक्त शिक्षण तथा मूल्यांकन व्यूह रचना के प्रभाव को विद्यार्थी उपलब्धि धारण पर देखा । अध्ययन के प्रतिदर्श में 1993-94 के सभी कक्षा 1 के विद्यार्थी सम्मिलित थे । उपकरण में 5 निष्कर्ष-संदर्भित इकाई परीक्षण थे । यह एक पोस्ट डिजाइन अध्ययन था इसमें उपचारात्मक निर्देशों के साथ इकाईवार परीक्षण किया गया ।
- **सिद्दीकी** (1994) ने अधिक व कम अधिगम बोझ महसूस करने वाले हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा पॉच में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समाजिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन किया । अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले अधिक अधिगम बोझ महसूस करने वाले विद्यार्थी, अधिक बोझ कम महसूस करने वालों की अपेक्षा चार समाजिक व्यवहार कम प्रदर्शित करते थे - मित्रों की कठिनाइयों पर ध्यान देना, शिक्षकों की आज्ञा का पालन, माता-पिता की आज्ञा का पालन व शिक्षकों का सम्मान प्राप्त करना । वे जिन व्यवहारों को अपेक्षाकृत अधिक प्रदशित करते थे वे हैं - शिक्षकों से कम बात करना, कक्षा में शान्त रहना, पड़ोसियों के घर न जाना तथा धार्मिक अनुष्टानों में भाग न लेना । हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से अधिक अधिगम बोझ महसूस करने वाले विद्यार्थी कम अधिगम बोझ महसूस करने वालों की अपेक्षा जिन व्यवहारों को कम प्रदर्शित करते है वे हैं - सहपाठियों से मधुर संबंध कायम रखना, सहपाठियों को मनाना ताकि गृहकार्य पूरा किया जा सके, नये मित्र बनाना तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेना । वे प्रतियोगिता की भावना में काम करने संबंधी व्यवहार को अपेक्षाकृत अधिक प्रदर्शित करते हैं ।
- **चन्द्रबोस** (1994) ने अपने लघुशोध में "उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 3 के विद्यार्थियों की न्यूनतम अधिगम स्तर के अन्तर्गत निर्धारित गणित की दक्षताओं का तुलनात्मक अध्ययन" किया । इन्होंने दक्षताओं के अध्ययन के लिए

न्यादर्श के रुप में 4 विद्यालयों का चयन किया और इनकी दक्षताओं का अध्ययन करते हुए काई वर्ग द्वारा इनकी तुलना की । इससे निष्कर्ष निकला कि लड़के और लड़कियों की दक्षता में सार्थक अन्तर है ।

- **ग्रेवाल (1995)** ने ''दक्षता आधारित शिक्षण में प्रयोग ''एक अध्ययन किया । इसके अन्तर्गत डेमोस्ट्रेशन विद्यालय के 14 अध्यापकों के समूह को जो कि न्यूनतम प्रपत्र(एन.सी.ई.आर.टी.1990) में उल्लेखित दक्षता आधारित उपागम द्वारा प्राथमिक विद्यालयी विषय के शिक्षण को लिया था । शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हिन्दी, अंग्रेजी (दूसरी भाषा के रुप में), गणित तथा पर्यावरण अध्ययन 1 और 2 पढ़ाये गये । इन 14 शिक्षकों को शिक्षण में न्यूनतम उपागम की जानकारी हेतु 1995 में आर.आइ.ई. के कैम्पस में तीन सप्ताह की कार्यशाला में सम्मिलित किया गया । 1995-96 के शैक्षिक सत्र में यह प्रयोग किया गया । सामान्य विद्यालय अवधि (प्रातः 8 से 1.30 मध्यान्ह) तक कक्षा 1 से 60 विद्यार्थियों (36 बालक तथा 24 बालिका) को सभी विषय पढ़ायें गये । पर्यावरण अध्ययन हेतु चार्ट, पिक्चर, वास्तविक वस्तुएं तथा दैनिक उपयोग में लायी जाने वाली शिक्षण-अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई गई । यह पाया गया कि पर्यावरण अध्ययन 1 तथा 2 में 73 प्रतिशत विद्यार्थी पारांगत हो गये तथा 27 प्रतिशत अपारंगत रहे । वे विद्यार्थी (अपरांगत विद्यार्थी) जिन्हे उपचारात्मक शिक्षण दिया गया उनमें से 58 प्रतिशत पारांगत हो गये ।
- **केसवानी, एस. (1995-96)** डेमोन्स्ट्रेशन विद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में प्राथमिक स्तर पर दक्षता आधारित अनुदेशन कार्यक्रम का अध्ययन किया । यह अध्ययन 1995-96 के शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 से 5 तक दक्षता आधारित अनुदेशन से प्राप्त उपलब्धि पर आधारित था । इनमें जिन पक्षों को सम्मिलित किया गया वे थे -शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएँ, विद्यार्थी उपलब्धियों का मूल्यांकन, उपचारात्मक उपायों का विकास तथा उपलब्धि परीक्षण । अन्य परिणामों के साथ यह पाया गया कि अपारांगत विद्यार्थी ''नान-मास्टर'' कक्षा 3 में अन्य कक्षाओं की

अपेक्षा अधिक है । चूंकि कक्षा तीन निम्न एवं उच्च कक्षाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती है, इसलिए अध्यापकों को इस कक्षा के विद्यार्थियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

- **पाण्डा, एस.सी.(1995)** ने अध्ययन में उड़ीसा राज्य द्वारा प्रस्तावित कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तकों से न्यूनतम अधिगम स्तर से संबंधित दक्षताओं को पहचाना तथा उन्हीं पुस्तको से उच्चतर अधिगम स्तर की दक्षताओं का चुनाव किया तथा विद्यार्थियों द्वारा उच्च अधिगम स्तर की दक्षताओं का चुनाव किया तथा विद्यार्थियों द्वारा उच्च अधिगम स्तर की प्राप्ति में दक्षता आधरित शिक्षण के प्रभाव को सुनिश्चित किया । इस अध्ययन में भुमनेश्वर, उड़ीसा के उडीया माध्यम के विद्यालय के कक्षा 4 के विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया । इसमें 2 समूह बनाये गये । एक समूह में 32 तथा दूसरे समूह में 32 विद्यार्थी थे । अध्ययन में प्री-टेस्ट, पोस्ट-टेस्ट व प्रायोगिक डिजायन का चुनाव किया गया । प्रत्येक बालक के बुद्धि परीक्षण हेतु ''कलर्ड रेयान प्रोगेसिव मैडिसेज'' का प्रयोग किया गया । इसे अतिरिक्त दक्षता निष्कर्ष संदर्भित अध्यापक निर्मित परीक्षण विकसित किया गया जो छात्रों के प्रारंभिक तथा अन्तिम व्यवहार का मापन कर सके । इस अध्ययन में पाया गया कि दोनों समूहों की उपलब्धि में सार्थक अन्तर है, जिसका कारण था विधि में अन्तर । दक्षता आधारित अनुदेशन से पारंपरिक विधि की अपेक्षा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए । प्रायोगिक समूह में 87.5 प्रतिशत ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये जबकि कन्ट्रोंल समूह में केवल 27.75 प्रतिशत विद्यार्थी ही 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सके । इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि दक्षता आधारित अनुदेशन अधिक प्रभावशाली है ।

- **भद्र, सुशान्ति (1995-96)** ने पर्यावरण अध्ययन मे दक्षता आधारित शिक्षण से प्राप्त परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया । इसके लिए डी.एम.एस. विद्यालय भुमनेश्वर के कक्षा 5 से 90 विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया । 45-45 विद्यार्थियों के दो समूह बनाये गये । एक समूह में दक्षता आधरित उपागम का प्रयोग कर पढ़ाया गया तथा दूसरे समूह के बच्चों को पारंपरिक शिक्षण दिया

गया । इस अध्ययन में पाया गया कि शिक्षण निर्मित परीक्षण पर विद्यार्थियों के अधिक अंक है जिन्हे दक्षता आधरित प्रशिक्षण दिया गया ।

- **शर्मा, जिबेश(1997)** ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन किया । अध्ययन के लिए असम राज्य के सोनितपुर जिले के विश्वनाथ चरिअली विकासखंण्ड के 40 विद्यालयों को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन पिछड़ी जाति के बच्चों का नामांकन सामान्य जाति की तुलना में अच्छा नहीं पाया गया । बालिकाओं का ठहराव नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काफी बढ़ा है ।

- **सरोज(1997)** ने अपने शोध में ''न्यूनतम अधिगम स्तर पर प्राथमिक स्तर के बालको की पर्यावरण में उपलब्धि'' पर अध्ययन किया । इन्होंने न्यादर्श के रुप में प्रायोगिक स्कूल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर का चयन किया । जिसमे 36 बालक कक्षा 3, 34 बालक कक्षा 4 तथा 47 बालक कक्षा 5 के न्यादर्श के रुप में चुने गये । इनकी दक्षता की उपलब्धि का मूल्यांकन शिक्षण के आधार पर किया गया । इससे परिणाम निकले कि उन विद्यार्थियों में से 30 प्रतिशत विद्यार्थी दक्षता अर्जित कर पायें, जबकि कक्षा अध्यापक द्वारा 94 प्रतिशत दक्षता अर्जित कर चुके थे । इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण के द्वारा इन शिक्षार्थियों में सार्थक अन्तर पाया गया ।

- **अली, ए.एन.एम; इरसाद और अहमद, यास्मिन (1997)** ने प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन किया । इसके लिए न्यादर्श के रूप में आंध्रप्रदेश राज्य के दर्रान्ग जिले के 17 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, बच्चों एवं उनके अभिभावकों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि औसतन प्रत्येक परिवार में 6.2 व्यक्ति है । कम उम्र में शादी करना, रूढ़िवादी नेतत्व, भौगोलिक कारक, रहन-सहन आदि बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है ।

* **जार्ज, डी.; सिंह, देवेन्द्र और आनंद, जी.(1997)** ने सामाजिक प्रगति का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य के भिवनी, गुढ़गॉव और महेन्द्रगढ़ जिलों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि तीनों जिलों में 40 प्रतिशत लड़कियां घरेलू कार्य, 25 प्रतिशत आर्थिक स्थिति तथा 18 प्रतिशत विद्यालय में संसाधनों की कमी के कारण विद्यालय में नामांकित नहीं है । तीनों जिलों में बालिकाओं के ठहराव की समस्या पायी गई । लड़कियों का उपलब्धि स्तर विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्र में कम पाया गया । विभिन्न प्रोत्साहन योजना के कारण अनुसूचित जाति के बच्चों की सहभागिता विद्यालय में अच्छी पाई गई ।
* **मोहन, नरेन्द्र; सिंघल, आर.सी. और लाल, रतन(1998)** ने प्राथमिक स्तर की उपलब्धि का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य के जिंद, हिसार, कैथल एवं सिरसा जिलों के कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों को लिया गया । बच्चों के उपलब्धि का मूल्यांकन भाषा एवं गणित विषय में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 1 से 5 में हिसार एवं सिरसा जिलों का नामांकन उच्च तथा जिंद एवं कैथल जिलों में कम पाया गया । सबसे अधिक अनुसूचित जाति के बच्चे सिरसा जिले में (43.2 प्रतिशत) नामांकित पाये गये । हिसार जिले में अनुसूचित जाति की लड़कियों का नामांकन लड़कों की तुलना में अधिक पाया गया । हिसार जिले में लड़कियों का ठहराव लड़कों की तुलना में अधिक पाया गया । शेष तीनों जिलों में ऐसा नहीं पाया गया, लेकिन लड़कियों का ड्रापआउट लड़कों की तुलना में अधिक पाया गया ।
* **प्रभा, स्नेह(1998)** ने नामांकन एवं ठहराव की स्थिति का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए एक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से अच्छादित तथा एक गैर अच्छादित जिले को लिया गया । अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य के रोहतक एवं हिसार जिले के एक-एक विकासखंण्ड को लिया गया । अध्ययन में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से अच्छादित जिले में बच्चों का नामांकन एवं ठहराव अन्य जिले से अधिक पाया गया ।

- **छुरिया, जगदआनंद और मोहन्ती, अराधना(1998)** ने बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के लिए लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए नयादर्श के रूप में उड़ीसा राज्य के बोलनगिर जिले के पुनिनतला विकासखंण्ड के 10 विद्यालयों से विभिन्न स्तर की जानकारी प्राप्त की । अध्ययन में पाया गया कि बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के लिए शिक्षक एवं ग्राम शिक्षा समिति द्वारा समुदाय को प्ररित किया गया है । शिक्षक, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायी बनाया है तथा हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम संचालित किये गये है ।
- **नायक, के. बी. और पुजारी, एम.(1998)** ने अनुसूचित जन जाति के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के बढ़ानें में आ रही समस्याओं का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए उड़ीसा राज्य के बोलनगिर कस्बे के बत्रापारा गंदी बस्ती को लिया । अध्ययन में पाया गया कि अभिभावकों में चेतना का आभाव है । वे बच्चों को छोटे भाइयों के देखभाल एवं मजदूरी जैसे कार्य में लगा देते है । उच्च कक्षाओं (कक्षा 4 एवं कक्षा 5) में ड्रापआउट अधिक पाया गया । अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के गरीब बच्चों की उपस्थिति मे अन्तर नहीं पाया गया ।
- **राजपूत, ऊषा (1998)** ने "कक्षा 4 के विद्यार्थियों में सामाजिक ज्ञान की चयनित दक्षताओं का मूल्यांकन" के अन्तर्गत निर्धारित समाजिक ज्ञान की दक्षताओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेंर में किया । जिसमे न्यादर्श के रूप में राजस्थान राज्य के अजमेंर जिले के केकड़ी पंचायत समिति के जिला परिषद द्वारा संचालित 10 विद्यालयों तथा लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा संचालित अराई पंचायत समित के 10 विद्यालयों के 175 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो कक्षा 4 में अध्ययनरत थे । जिसमे 117 बालक एवं 58 बालिकाये थी । इन्होंने मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक अध्ययन की 5 दक्षताये चुनी, जिन पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया । मूल्यांकन द्वारा बालक एवं बालिकाओं पर अन्तर ज्ञात करने के लिए काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया । जिसके परिणामों में पाया गया कि अधिकांश दक्षताओं में बालक व बालिकाओं की सामाजिक अध्ययन की दक्षताओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं है । यह भी पाया गया कि लोक-जुम्बिश

परियोजना द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी जिला परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों से दक्षता अर्जन में आगे थे ।

- **मलहोत्रा, सुधा (1998)** ने प्रोत्साहन योजना का बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में क्या प्रभाव पड़ता है, का अध्ययन किया, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के 5 विकास खण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि जिन विद्यालयों में इन्सेन्टिव योजना (पोषाहार एवं अनुसूचित जाति को छात्र वृत्ति) लागू थी, वहाँ पर बच्चों का नामांकन, उपस्थिति एवं नियमितता उन विद्यालयों से काफी अधिक थी जहां इन्सेन्टिव योजना लागू नहीं है । बालकों का नामांकन बालकाओं के अपेक्षा अधिक पाया गया । जाति के आधार पर नामांकन में अंतर नहीं पाया गया । पिछड़ी जाति के बच्चों के नामांकन का प्रतिशत शेष जाति की अपेक्षा काफी अधिक पाया गया ।
- **भंडारी, सुधेशना (1998)** ने बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर मध्याह्न भोजन के प्रभाव का अध्ययन किया । इसके लिए सीतापुर जनपद के तीन विकास खण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू है वहाँ पर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के परिणाम बहुत अच्छे है ।
- **मेनन, प्रमिला (1998)** ने ग्राम शिक्षा समिति की नामांकन एवं ठहराव में कार्य प्रणाली का अध्ययन किया । इसके लिये हरियाणा राज्य के हिसार एवं जिंद जिलों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सभी जगह शिक्षा समितियां गठित है । गठित समितियां राज्य सरकार के मार्गदर्शी नियम के अनुसार नामांकन एवं ठहराव में सहयोग करती है । समिति में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी है ।
- **दस्तगीर, गुलाम (1998)** ने समुदाय एवं अन्य घटक का मुस्लिम बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में भूमिका का अध्ययन किया । इसके लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद विकास खण्ड का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि मोहल्ला शिक्षा समितियॉं पालकों को बच्चों को

(मुख्य रूप से लड़कियों) विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करती है । मौलवी भी मुस्लिम लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करते है ।

- **वर्गिश, एन.व्ही.; संजीव, के.यस. और बिजूलाल, एम.व्ही.(1998)** ने बच्चों के सीखने के स्तर का अध्ययन किया । अध्ययन दिल्ली राज्य में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 2 में मलयालम विषय का उपलब्धि स्तर उच्च तथा गणित विषय का मलयालम की तुलना में निम्न पाया गया । अर्न्तविकास खण्ड कक्षा 2 में अन्तर कम पाया गया । जबकि कक्षा 4 में मलयालम के उपलब्धि स्तर में काफी अन्तर पाया गया । कक्षा 4 के 60 प्रतिशत बच्चों का उपलब्धि स्तर उत्तीर्ण (40 प्रतिशत) तथा भाषा में 29 प्रतिशत पाया गया । कक्षा 2 एवं 4 में बच्चों के ट्राजीशन होने के साथ उपलब्धि स्तर में गिरावट पायी गई । प्रबंधन आदि का बच्चों के उपलब्धि स्तर पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला ।
- **जमन, रफिकुर और ठाकुर, जी.सी.(1998)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय के जिलों में सामाजिक प्रगति का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए असम राज्य के बोरपेटा, बोनगैगॉव, गोलपारा, कोकराझांर और सोनीतपुर जिलों के 50 गॉव के 10-10 परिवारों को यादृच्छिक विधि से लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि सामान्य श्रेणी के बच्चों का नामांकन अनुसूचित जाति के बच्चों की तुलना में काफी अधिक है । लगभग 44.7 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते है । लगभग 38 प्रतिशत अभिभावक स्वयं के विश्वास एवं 14.6 प्रतिशत अधिकार युक्त बनाने के लिए लड़कियों को शिक्षित करते है ।
- **वर्गिश, एन.व्ही. एवं मेहता, अरुण सी.(1998)** ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया । अध्ययन के लिए 16 राज्य से न्यादर्श का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1996-97 में महिला शिक्षकों की संख्या 36 प्रतिशत पायी गई तथा लगभग 88 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित पाये गये । बालिकाओं का सकल नामांकन

अनुपात बहुत ही कम पाया गया । शाहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की तुलना में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है । वर्ष 1950-51 से 1989-90 के बीच प्रति बच्चा खर्च में 21 गुने की वृद्धि हुई है । वृद्धि प्राथमिक स्तर पर 17 गुना तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 13 गुना तथा सेकण्डरी स्तर पर 6 गुना पायी गई । विकसित जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की लागत 22 से 32 लाख, मध्यम विकसित जिले में 14 से 20 लाख तथा आंशिक विकसित जिले में 4 से 12 लाख के बीच पाई गई ।

- **अग्रवाल, यस.(1999)** ने प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन एवं ठहराव के ट्रेन्डस का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये 14 राज्यों के 119 जिलो को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि सकल नामाकन अनुपात एवं ठहराव में सभी जिलों में बृद्धि हूई है । अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में भी वृद्धि हुई है ।
- **सैकिया, तुलाधर(1999)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों का नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव का अध्ययन किया । इसके लिए असम राज्य के दर्रान्ग जिले के डलगॉव एवं उदलगुरी विकासखण्ड के 60 विद्यालयों को यादृच्छिक विधि से लिया गया । अध्ययन में संकुल समन्वयक, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक से जानकारी प्राप्त की गई । अध्ययन में पाया गया कि 1995 से 1998 के बीच नामांकन में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा नियमित उपस्थिति में 3 प्रतिशत बढ़ी है । ठहराव दर बढ़ी है तथा ड्रापआउट दर में काफी कमी आई है ।
- **कौर, हरविंदर (1999)** ने अभिभावकों के प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अनुभव संबंध में प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टि कोण का अध्यन किया । इसके लिए न्यादर्श के रूप में पंजाब राज्य के रोपेर जिले के 400 अभिभावको को जिसमें 200 अशाकीय विद्यालय तथा 200 शासकीय विद्यालय के अभिभावक थे को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि अशासकीय विद्यालय के बच्चों के अभिभावक अधिकतर संख्या में समस्या का अनुभव शैक्षिक अमले, प्रशासन एवं

परीक्षा प्रणाली से करते है, जबकि शासकीय विद्यालय के बच्चों के अभिभावक अधिकतर संख्या में समस्या का अनुभव समाजिक आर्थिक कारकों का प्रेरणा और मनोविनोदात्मक गतिविधियों को पृथक-पृथक करने में करते है । उच्च आय वाले अभिभावक अधिक मात्र में समस्याओं का अनुभव शैक्षिक अमले `, प्रशासनिक दृष्टि कोण एवं परीक्षा प्रणाली से करते है । जबकि कम आय वाले अभिभावक अधिक मात्रा में समस्याओं का अनुभव भैतिक संसाधनों की उपलब्धता से करते है । अशासकीय विद्यालयों के बच्चों के अभिभावक, जो उच्च आय वर्ग और उच्च शैक्षिक स्तर के है, वे अधिक भाग में समस्याओं का अनुभव शैक्षिक अमले, प्रशासनिक दृष्टि कोण, परीक्षा प्रणाली जो सामाजिक अभिप्रेरणा तथा मनोरंजन गतिविधियों का अनुगमन करते है । जबकि शासकीय विद्यालय के बच्चेां के अभिभावक जिनके बच्चे कम आय वर्ग तथा शैक्षिक योग्यता रखते है वे अधिकतर समस्याओं का अनुभव भौतिक सुविधा के क्षेत्र में करते है । अशासकीय विद्यालय के बच्चों के अभिभावक जो उच्च आय एवं उच्च शैक्षिक योग्यता के है वे उच्च गुणवता की प्राथमिक शिक्षा चाहते है, जबकि शासकीय विद्यालय के बच्चों के अभिभावक जो कम आय एवं योग्यता को रखते है । वे आधार भूत सुविधाओं को शासकीय विद्यालय में चाहते है ।

- **अग्रवाल, यस. (1999)** ने दिल्ली की प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया । अध्ययन के लिऐ दिल्ली राज्य के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय का चयन किया । अध्ययन में पाया गया कि विद्यालयों में उपलब्ध अनुदेशात्मक सामग्री में से 15-20 प्रतिशत सामग्री कार्य योग्य नहीं थी और असंचालित है तथा अनुदेशात्मक कार्य में उपयेाग नहीं होता है । कक्षा 1 के बच्चों के सभी बच्चों का भाषा में माध्य प्राप्तांक 80.2 प्रतिशत तथा गणित में 78.2 प्रतिशत है । गणित में हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के प्रतिशत प्राप्तांक में सार्थक अंतर पाया गया । लड़कियों का गणित में माध्य प्रतिशत बहुत कम पाया गया । अनुसूचित जाति के बच्चों का माध्य प्राप्तांक सामान्य जाति के बच्चों से 8 से 10 प्रतिशत कम पाया गया । जेंडर के आधार पर माध्य प्राप्तांक में भाषा एवं

गणित में साफ अंतर देखने को मिला । उपस्थिति दर एम.सी.डी. विद्यालयों में कम (80प्रतिशत - 82प्रतिशत) पाई गई जबकि अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 87-88 प्रतिशत पाई गई । शिक्षक की अनुपस्थिति विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है । जो बच्चे नर्सरी शिक्षा प्राप्त की है, उनका उपलब्धि स्तर नर्सरी शिक्षा न प्राप्त करने वाले बच्चों की तुलना में अधिक पाया गया । सिर्फ 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति बच्चे गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकित है । जबकि एम.सी.डी. के विद्यालय में 26.5 प्रतिशत बच्चे नामांकित है । 13 प्रतिशत बच्चे शिक्षक की भाषा को समझने में कठिनाई महसूस करते है । अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चें का भाषा में 47.8 प्रतिशत तथा गणित में 49.7 प्रतिशत माध्य प्राप्तांक पायें गये । अर्द्ध शासकीय विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार वे विगत 5 वर्षो में किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । हिन्दी माध्यम के विद्यालय में गणित पढ़ाने वाले 63 प्रतिशत शिक्षक कक्षा 10 सें अधिक गणित नहीं पढ़ी है । अशासकीय विद्यालयों में भी यह स्थिति अलग नहीं है ।

- **शास्त्री, व्ही.एन.व्ही.के.(1999)** ने आदिवासी बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा की समस्या का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए आंध्रप्रदेश राज्य के बैरांगल, कुरनूल एवं विजयनगर जिलों के 32 विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि, आदिवासी बच्चों के नामांकन में काफी अधिक वृद्धि हुई है । ड्रापआउट, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुनः नामांकित हुए है । मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से बच्चों का ठहराव बढ़ा है । खेती के समय बच्चों की अनुपस्थिति काफी बढ़ जाती है । ड्रापआउट का कारण बच्चों की आर्थिक स्थिति, शिक्षक अनुपस्थिति एवं शिक्षा का स्थानीय भाषा का उपयोग न करना पाया गया । बच्चेां का उपलब्धि स्तर संतोष जनक स्तर का नहीं पाया गया ।

* **अग्रवाल, यस. (2000)** ने पहुच एवं ठहराव के झुकाव का अध्ययन किया। इसके लिये 13 प्रदेश के 127 जिला प्रथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों को लिया गया। अध्ययन में पाया गया कि पहुॅच एवं ठहराव में सार्थक वृद्धि पाई गई है। वर्ष 1997-98 से 1998-99 के बीच कुछ गिरावट नामांकन में पाई गई और असम में ज्यादा पाई गई। कक्षा 1 के नामांकन में सार्थक गिरावट जिलों में पाई गई। सकल नामांकन अनुपात दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से अच्छादित प्रथम चरण के जिलों के राज्य हरियाण एवं तमिलनाडू तथा दूसरे चरण के जिलों के राज्य असम, बिहार हरियाणा में तुलनात्मक रूप में कम पाया गया। शुद्ध नामांकन अनुपात दर 53 जिलों में 75 से कम तथा 32 जिलों में 95 से अधिक पाई गई। प्रथम चरण 40 जिलों में से 40 में शुद्ध, नामांकन अनुपात 95 से अधिक पाया गया। जबकि द्वितीय चरण के 19 प्रतिशत जिलों में शुद्ध नामांकन अनुपात 95 प्रतिशत से आधिक पाया गया। वर्ष 1999-2000 के अनुसार औसतन शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रथम चरण के जिलों में 38.3 तथा द्वितीय चरण के जिलों में 48.4 पाया गया। सबसे अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात (60.0 से अधिक)उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल एवं सबसे कम (लगभग 28) केरल में पाया गया। वर्ष 1999-2000 के आंकडो के अनुसार औसतन कक्षा विद्यार्थी अनुपात प्रथम चरण के जिलों में 39.9 तथा द्वितीय चक्र के जिलों मे 51.8 पाया गया। महिला शिक्षिकायें सबसे कम (15.8 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल एवं सबसे अधिक (73.6 प्रतिशत) द्वितीय चरण के जिलों केरल में पाई गई। औसतन प्रथम चरण के जिलों में 34.9 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण के जिलों में 30.9 प्रतिशत महिलायें पायी गयी। वर्ष 1997-98 और 98-99 के अनुसार सभी के रिपीटीशन दर में 6.4 से 5.9 प्रतिशत की कमी प्रथम चरण में तथा 9.1 से 8.4 की कमी द्वितीय चरण के जिलों में पाई गई। सबसे अधिक सभी की रिपिटीशन दर (10.0) असम, गुजरात, बिहार, हरियाणा और हिमांचल प्रदेश के जिलों मे पाई गई। वर्ष 1999-00 मे प्रथम चरण के 29 जिलों तथा द्वितीय चरण के 56 जिलों में जेण्डर संवेदी सूचकांक 95 से अधिक

पाया गया । वर्ष 1999-2000 में प्रथम चरण के 72 जिलों में 50 तथा द्वितीय चरण के 37 जिलों मे से 16 में अनुसूचित जाति का सामाजिक संवेदी सूचकांक 105 से अधिक पाया गया । समग्र रूप मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य के प्रथम चरण के जिलों मे प्रगति धनात्मक पाई गई जबकि द्वितीय चरण के जिलों में संतोष जनक स्तर की नहीं पाई गयी ।

- **जोसेफ, याजली (2000)** ने आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन एवं ठहराव की स्थिति का अध्ययन किया (ई.सी.सी.ई.केन्द के संदर्भ में) । अध्ययन के लिए महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों का चयन किया गया । अध्ययन में मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रेरित पाये गये । वे छोटे-छोटे बैग विद्यालय ले जाते है । महाराष्ट्र में कम उम्र के बच्चो की देखभाल के लिए संचालित केन्द्र अच्छा कार्य कर रहे है । अभिभावकों के अनुसार लड़कियों के लिए संचालित ई.सी.सी.ई. से शिक्षा में बदलाव आया है । उनके अनुसार केन्दो में और सुधार करने की आवश्यकता है । निरीक्षणकर्ता के अनुसार समुदाय का इन केन्दो के लिए विभिन्न रूप में सहयोग मिलता है । शिक्षक की अनुपस्थिति अध्ययन में लिये गये केन्दो में अधिक पाये जाने के कारण अभिभावक अपने लड़कियों को विद्यालय भेजने में डरते हैं ।
- **ठाकुर, एस0एल0 (2000)** ने प्राथमिक स्तर पर अभिभावकों की गुणवत्ता पसन्द का अध्ययन किया । इसके लिये हिमांचल प्रदेश के 4 डी0पी0ई0पी0 एवं नांन डी0पी0ई0पी0 जिले का चयन किया गया । अध्ययन में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को लिया गया । अभिभावकों के अनुसार वे अपने बच्चों को अशासकीय विद्यालय में नामांकित कराना चाहते है । क्योकि उनके पास अच्छा विद्यालय भवन, सुविधायें, शिक्षक, अनुशासन जैसी सुविधा देते है । अभिभावकों के अनुसार शासकीय विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है । नये शिक्षक की शिक्षण के प्रति नया दृष्टिकोण है । वे नई शिक्षण विधा को अपनाते है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बाद इस क्षेत्र में बदलाव आया है ।

- **वासवी, ए0आर0 और कामराज, कत्यायनी** (2000) ने प्राथमिक विद्यालय प्रक्रम में क्षेत्र व समुदाय के आर्थिक, पारिस्थितिक और समाजिक परिवेश के प्रभाव का अध्ययन किया । इस अध्ययन के लिए कर्नाटक राज्य के 5 जिलों का चयन किया गया । अध्ययन से वे कारक जो विद्यालय के संचालन को प्रभावित करते है में विद्यालय की स्थापना की समस्या, समुदाय विद्यालय समय सारणी ,काम काजी बच्चे, शहर आधारित शैक्षिंक अवसर, धार्मिक अल्पसंख्यता , समय आधारित पलायन तथा शैक्षिक प्रशासन, शिक्षक तथा ग्राम शिक्षा समिति का दृष्टिकोण आदि पाये गये ।
- **बनर्जी, पी0** (2000) ने बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि के लिये जवाबदेह कारकों और शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय चर के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश के धार एवं छतरपुर जिलों को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में 48 प्राथमिक विद्यालय धार के एवं 24 प्राथमिक विद्यालय छतरपुर के लिये गये । अध्ययन में पाया गया कि आधारित सुविधा दोनों जिलो में बहुत ही ठीक पायी गयी । अधिकतर विद्यालयों में प्रर्याप्त शिक्षण अधिगम सामग्री एवं आधारित सुविधा पाई गई । विद्यालय अनुदान राशि के उपयोग से समूह चर्चा में लोग संतुष्ट नहीं पाये गये । मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना बच्चों में उत्साह जागृत करने तथा उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं पायी गयी । धार जिले में सभी बच्चों का कक्षा 5 में प्रतिशत माध्य उपलब्धि भाषा में 40.4 प्रतिशत, गणित में 35.5 एवं पर्यावरण अध्ययन में 37.7 प्रतिशत जबकि छतरपुर जिले में भाषा में 28.8, गणित में 26.2 और पर्यावरण अध्ययन में 24.0 प्रतिशत पायी गयी । कक्षा 2 के बच्चों का प्रतिशत माध्य उपलब्धि धार जिले में गणित में 22.10 प्रतिशत तथा छतरपुर में 10 प्रतिशत पाई गई । जबकि हिन्दी में धार जिले में 36.0 प्रतिशत तथा छतरपुर जिले में 31.6 प्रतिशत पाई गई । दोनों जिलों के आधे से अधिक विद्यार्थी अपने गृह कार्य में अभिभावकों का सहयेाग नहीं पाते हैं । जो बच्चे घर में गृह कार्य में अभिभावकों का सहयोाग प्राप्त करते है उनका उपलब्धि स्तर

सहयोग न पाने वाले बच्चो से अधिक पाया गया । जिन विद्यालयों में शिक्षक स्नातक/ स्नातकोत्तर थे वहां के बच्चों का उपलब्धि स्तर हाई स्कूल उत्तीर्ण शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया । धार जिले में हाई स्कूल से कम उत्तीर्ण शिक्षक होते हुए भी बच्चों की उपलब्धि स्तर आश्चर्यजनक रूप में अच्छी पायी गई ।

- **योगेन्द्र, के. और अरोरा, आर. पी.; हुरिया, ए.आर.; दया किशन** (2000) ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मिड टर्म अध्ययन किया । अध्ययन के लिये हरियाणा राज्य के गुढ़गॉव, मोहिन्दरगढ़ और भिवानी जिले का चयन किया गया । अध्ययन में 50 विद्यालयों (40 ग्रामीण एवं 10 नगरीय) से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि भाषा में कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों का उपलब्धि स्तर का परास 56.62 प्रतिशत से 64.87 प्रतिशत तथा समग्र रूप में 62.03 प्रतिशत पाया गया । इसी प्रकार गणित में औसतन उपलब्धि 62.22 प्रतिशत पायी गई । कक्षा 4 एवं 5 के बच्चो का माध्य प्राप्तांक प्रतिशत शब्द ज्ञान में 54.67 प्रतिशत से 56.82 प्रतिशत एवं औसतन 55.62 प्रतिशत पाया गया और पढ़ने की दक्षता में 37.24 प्रतिशत से 41.28 प्रतिशत एवं औसतन 40.34 प्रतिशत पाया गया । भाषा शिक्षण की समझ का मिला जुला प्राप्तांक 37.24 प्रतिशत से 41.28 प्रतिशत एवं औसतन 40.34 प्रतिशत पाया गया । गणित में औसतन माध्य प्रतिशत 38.33 प्रतिशत पाया गया । जिलेवार प्रतिशत माध्य का परास 36. 44 प्रतिशत से 40.84 प्रतिशत पाया गया । बेस लाइन सर्वे के आधार एवं मिडटर्म सर्वे में कक्षा 1 एवं 2 में भाषा एवं गणित की उपलब्ध स्तर में सार्थक वृद्धि पाई गयी । इसी कारण कक्षा 4 एवं 5 में भी भाषा एवं गणित के उपलब्धि स्तर में सार्थक वृद्धि पाई गई ।

- **राज्य परियोजना कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कर्नाटक** (2000) ने प्राथमिक स्तर के नामांकन के सापेक्ष कोहार्ट अध्ययन के लिये कर्नाटक राज्य के 16 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों को चिन्हित किया गया । अध्ययन से चार वर्ष में प्राथमिक शिक्षा सफलता पूर्वक पूरा करने वाले बच्चों का प्रतिशत

67.5 प्रतिशत एवं Drop out Rate 17.9 प्रतिशत पाया गया । प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों में जेण्डर गैप में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया । अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति का प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर सामान्य की तुलना में कम पायी गयी ।

- **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश (2000)** ने बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन किया । अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना की प्रगति को जानना था । इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन प्रदेश के 12 बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित जिलों में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि 10 जिलों के कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक है । शहरी, ग्रामीण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के उपलब्धि स्तर एवं अन्य बच्चों के उपलब्धि स्तर के बीच का अन्तर 5 प्रतिशत से कम पाया गया तथा बालक एवं बालिकाओं दोनों का उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया ।

- **राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) (2000)** ने बेसिक शिक्षा परियोजना के 6 जनपदों में ड्रापआउट का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उधमसिंह नगर, सहारनपुर, अलीगढ़, बाँदा, इलाहाबाद एवं बाराबंकी का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सभी जिलों के कोहार्ट ड्राप आउट दर में कमी आई है । सभी 6 जिलों में बालक एवं बालिकाओं के कोहार्ट ड्राप आउट में कोई खास अन्तर देखने को नहीं मिला । अनुसूचित जाति एवं अन्य जाति के बच्चों के बीच ड्राप आउट में कोई खास अन्तर देखने को नहीं मिला । कक्षा 1 में रिपीटीशन दर सबसे अधिक तथा कक्षा 5 में सबसे कम पाई गई । जाति वार रिपीटीशन दर में खास अन्तर नहीं पाया गया । लड़कों का सकल नामांकन अनुपात लड़कियों की तुलना में अधिक पाया गया ।

- **श्रीवास्तव, टी.के.; अहूजा, सुनीशा; गुप्ता, प्रतिभा दास एवं झा, प्रभात (2000)** ने वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के चार जिलों मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थ नगर का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि बालशाला और आवासीय शिविरों

में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सका है । वैकल्पिक केन्द्रों में अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का भरपूर अवसर प्रदान किया गया है । एक बड़ी संख्या में इन केन्द्रों से बच्चे औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं । पूर्वोल्लिखित चार जनपदों से तीन हजार बच्चे औपचारिक विद्यालयों में आ चुके हैं । इनका नामांकन कुल बच्चों का 16 प्रतिशत है ।

- **कुमार, योगेन्द्र और अरोरा, आर.पी.; चौधरी, ममता (2000)** ने बालिकाओं के ड्राप आउट की घटना एवं कारकों का अध्ययन किया । इसके लिये हरियाणा राज्य के सिरसा जिले के 3 गाँव का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सबसे अधिक ड्राप आउट कक्षा 3 एवं 5 में पाया गया । जिसमें सबसे अधिक ड्राप आउट का प्रतिशत अनुसूचित जाति की बालिकाओं में पाया गया । अधिकतर ड्राप आउट होने वाली लड़कियाँ 9 से 12 वय वर्ग की पाई गयी । अधिकतर ड्राप आउट लड़कियों के अभिभावक निरक्षर है । बालिकाओं के ड्राप आउट का मुख्य कारण घर में कार्य करना तथा बच्चों की देखभाल करना पाया गया । कम उम्र में शादी हो जाना भी ड्राप आउट का कारण पाया गया । परिवार की आर्थिक स्थिति भी ड्राप आउट का कारण पाया गया ।

- **सीथारमन, निर्मला (2000)** ने आन्ध्रप्रदेश के कामकाजी बच्चों पर अध्ययन किया । इसके लिये खतरनाक उद्योगों, कृषि मजदूरी, घरेलू कार्य, मजदूरी आदि में लगे प्रदेश के 19 जिलों पर किया गया । अध्ययन में पाया गया कि 33 प्रतिशत पिछडी जाति, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 18 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति एवं 27 प्रतिशत अन्य जाति के अभिभावकों के अनुसार 69 प्रतिशत बच्चे कृषि कार्य से संलग्न है । 76 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार वे बिना किसी प्रोत्साहन राशि के भी विद्यालय भेजना चाहते है । 55 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार प्रोत्साहन राशि बच्चों को विद्यालय भेजने के लिये अभिभावकों को प्रोत्साहित करती है तथा वे घर की वित्तीय समस्या को कम करने में सहयोग प्रदान करती है । अधिकतर विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों के अनुसार वे गरीबी के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते । 85 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार

बच्चों को विद्यालय भेजने से उनके जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने की बात कहते है, जबकि 63 प्रतिशत अभिभावक प्रोत्साहन राशि के बारे में जानते ही नहीं है । कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में बच्चों का नामांकन कम है ।

- **कौर, रंदीप और देका, यू. (2000)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये असम राज्य के दरंग और मोरिगाँव जिलों का चयन किया गया । अध्ययन 63 विद्यालय के 1045 बच्चों पर किया गया । अध्ययन में पाया गया कि विद्यालयों में सामग्री की उपलब्धता के बावजूद शिक्षण अधिगम सामग्री का विद्यालय में उपयोग नहीं होता है, शिक्षक कक्षाकक्ष में जाने के पूर्व किसी प्रकार की योजना नहीं बनाते है, उपलब्धि स्तर लक्ष्य से काफी कम पाया गया, गणित शिक्षण की विधि पारम्परिक तथा शिक्षक केन्द्रित है, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन शिक्षण को पुस्तक के माध्यम से कराया जाता है ।

- **बोरा, एच. के. (2000)** ने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की शिक्षण विधि की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । इसके लिये मोरी गाँव जिले के 2 विकास खण्ड के 9 संकुल स्रोत केन्द्र के 30 विद्यालयों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि अधिकतर शिक्षक पर्यावरण अध्ययन की नई शिक्षण विद्या के प्रति धनात्मक विचार रखते है तथा बच्चे प्रकृति अध्ययन के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि रखते है ।

- **अली, मो. अहमद, जाफर (2000)** ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये असम राज्य के बोनगैगाँव जिले के 5 विकासखण्ड के 41 विद्यालयों के 1000 विद्यार्थियों का चयन किया । अध्ययन कक्षा 2 एवं 4 के विद्यार्थियों पर किया गया । कक्षा 4 के 464 विद्यार्थियों में से 260 बालक एवं 204 बालिकायें तथा कक्षा 2 के 646 विद्यार्थियों में से 309 बालक तथा 337 बालिकायें थी । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 2 की बालिकाओं का उपलब्धि स्तर अक्षर एवं शब्द पढ़ने में बालकों की तुलना में सार्थक अधिक पाया गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों का अक्षर एवं

शब्द पढ़ने में उपलब्धि स्तर अच्छा पाया गया, बालक एवं बालिकाओं का प्राप्तांक, नम्बर पहचानने, जोड़ एवं घटाने में समान पाया गया , अनुसूचित जाति के बच्चों का प्राप्तांक, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की तुलना में अच्छा पाया गया । जबकि कक्षा 4 में बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया । ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के आधार पर भी उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया, बालकों के उपलब्धि का प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में अधिक था, लेकिन अन्तर सार्थक नहीं पाया गया , लगभग 80 प्रतिशत शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के उपलब्धि का प्राप्तांक उत्तीर्ण अंक तक ही पाया गया ।

- **चौधरी, बी.पी. (2000)** ने आनंददायी सिखाने का कक्षा 1 के विद्यार्थियों की उपस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन गुजरात राज्य के 225 विद्यालयों पर किया गया । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1994 के नामांकन के सापेक्ष 1997 में 20 प्रतिशत अधिक नामांकन हुआ । 72 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार आनंददायी शिक्षण बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है ।

- **बेहुरी, दीप्ति बंदना (2000)** ने प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रवृत्ति परीक्षा की उपलब्धि के कारकों का अध्ययन किया । इसके लिये हरियाणा राज्य के 4 जिलों कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार और गुड़गाँव का चयन किया गया । प्रत्येक जनपद से 10 विद्यालयों को लिया गया जिसमें 5 विद्यालय उच्च उपलब्धि के (''ए'' कोटि) तथा 5 विद्यालय निम्न उपलब्धि (''बी'' कोटि) के थे । अध्ययन में पाया गया कि जो बच्चे कक्षा 5 के विभागीय परीक्षा में बैठे उनमें से ''ए'' कोटि के विद्यालय के बच्चे मैरिट में आये तथा उनको छात्रवृत्ति दी गई जबकि 'बी'' कोटि के बच्चे मेरिट में चिन्हित नहीं हुये । ''ए'' कोटि के अधिकतर विद्यालयों में भौतिक संसाधन, वाहन सुविधा बहुत अच्छी है । अधिकतर कक्षा में वर्ग है । शिक्षक डायरी लिखते है तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था करते है । ''ए'' कोटि के अधिकतर विद्यालय शहरी क्षेत्रों में है जिनका प्रभावी प्रबंधन है । प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कार्य दक्षता उच्चकोटि की है । ''ए''

कोटि के विद्यालयों के बच्चों की योग्यता ''बी'' कोटि के विद्यालयों से बहुत अच्छी है ।

- **दवे, अंजली; मेहरोत्रा, निशी; रस्तोगी, राधा एवं भटनागर, सुमन (2001)** ने आदर्श संकुल विकास उपागम के प्रभाव का अध्ययन किया । इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बदायूँ, गोण्डा एवं बाराबंकी जनपद का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि आदर्श संकुल विकास उपागम के माध्यम से समुदाय एवं शिक्षा विभाग में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव देखने को मिला, बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव में दोगुनी वृद्धि हुई । आदर्श संकुल विकास उपागम को सफल बनाने में समुदाय के साथ-साथ महिला प्रेरक समूहों की प्रभावशाली भूमिका रही है तथा अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है ।

- **शर्मा, निर्मला; नाथ, एन.; ककोत्य; यस. फूकनम और गोस्वामी, जी. (2001)** ने कक्षा 1 में नामांकन के ह्रास के कारणों का अध्ययन किया । इसके लिये असम राज्य के मोरिगाँव जिले के 40 विद्यालयों के 40 गाँव के 400 घरों से तथा 110 शिक्षकों से जानकारी अध्ययन हेतु एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1997-98 की तुलना में नामांकन का ह्रास 2000 में अधिक हुआ । कक्षा 4 के 40-60 प्रतिशत शिक्षक, शिक्षण-अधिगम सामग्री का निर्माण करते है, जबकि कुछ ही शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते है । 60-70 प्रतिशत शिक्षक एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते है । 50-70 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण में उपस्थित होने में रुचि नहीं लेते है और 30-50 प्रतिशत सहयोग एवं नियमित उपस्थिति के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण रखते है ।

- **बिन्दु(2001)** ने आदिवासी शिक्षा के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये केरल राज्य के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित 3 जिलों कर्सोगुड, पलक्काड़ और वयनाड़ का चयन किया गया । अध्ययन में प्रश्नावली एवं सर्वे विधि का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि आदिवासी जाति के

बच्चों के घर का वातावरण उनके विकास के लिये सौहार्दपूर्ण नहीं है । उनके अधिकतर अभिभावक निरक्षर हैं । सिर्फ 1/10 आदिवासी जाति के बच्चे पाठ्यसहगामी क्रियाओं में उच्च स्तर पर प्रतिभाग करते हैं तथा 2/3 निम्न स्तर पर प्रतिभाग करते हैं । आदिवासी बच्चों एवं उनके अभिभावकों का शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षा बहुत ही निम्न स्तर की पायी गयी । नया पाठ्यक्रम आदिवासी बच्चों के लिए रुचिकर पाया गया ।

- **नायक, ए0एल0 (2001)** ने भील बच्चो के माइग्रेशन का शिक्षा में प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि आदिवासियों की अच्छी कृषि जमीन न होने तथा अनियमित तथा पर्याप्त वर्षा न होने के कारण वे जहां अच्छी मजदूरी मिलती है बच्चो के साथ माइग्रेट हो जाते है । अधिकतर भील परिवार अधिक धन की कमाई तथा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये नियमित आधार पर माइग्रेट होते रहते हैं । माइग्रेशन के उपरान्त कमाई राशि को उधारी वापस करने तथा शादी आदि में उपयोग करते है । वे 5-6 माह तक साल भर में बाहर रहते है । अभिभावकों के लौटने के बाद भी कुछ महीने बाद तक बच्चे विद्यालय नहीं आते । माइग्रेशन के बाद जो बच्चे विद्यालय आते है वे बहुत कमजोर होते हैं, जिस कारण से वे विद्यालय से ड्रापआउट हो जाते हैं ।
- **डायट, कसर्गोड, इडुक्की (2001)** ने प्राथमिक विद्यालयों में जेण्डर आधारित गतिविधि एवं कक्षा-कक्ष अभ्यास का अध्ययन किया । अध्ययन केरल राज्य के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित जिलों में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि बालक एवं बालिकायें अलग अलग पंक्ति में कक्षा में बैठते हैं । शिक्षक, लड़कों को अधिकतर निर्देश देते है जब कि लड़कियों को बहुत कम । लेकिन प्रश्न आदि पूछने या समझाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं । शिक्षक द्वारा बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से प्रोत्साहित करते हैं । विद्यालय का नेतृत्व हमेशा बालक द्वारा किया जाता है । जब कि कक्षा मानीटर में लड़कियां भी प्रतिनिधित्व करती हैं । विद्यालय आधारित कार्य अधिकतर बालकों को

दिये जाते हैं । लड़कियों को सभा एवं विद्यालय उत्सव मनाने जैसे दायित्व दिये जाते है । कक्षा-कक्ष में बालक एवं बालिकाएं समान रूप से प्रतिभाग करते हैं, लेकिन दायित्व लड़कों को ही दिये जाते हैं । बालक एवं बालिकायें अलग-अलग समूहों में अलग-अलग खेल खेलते हैं । वे एक दूसरे के खेल खेलने का दायित्व नहीं देते हैं । सफाई सम्बन्धी कार्य बालिकाओं को ही दिये जाते हैं । मारने एवं डाटने का कार्य बालकों के साथ तथा चिकोटी का कार्य लड़कियों के साथ किया जाता है ।

- **जयलक्ष्मी, टी.के. (2002)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम के जिलों का टर्मिनल एसेसमेन्ट सर्वे किया । इसके लिये कर्नाटक राज्य के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 4 जिलों बेलगौम, कोलर, मंडया एवं रैचुर का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 1 में भाषा में सभी का प्रतिशत माध्य प्राप्तांक बेसलाइन सर्वे में 55.49 प्रतिशत, मिड़टर्म सर्वे में 70.75 प्रतिशत एवं टर्मिनल सर्वे में 73.25 प्रतिशत पाया गया । जबकि गणित में बेसलाइन सर्वे में 49.08 प्रतिशत मिड़टर्म सर्वे में 70.0 प्रतिशत एवं टर्मिनल सर्वे में 71.70 प्रतिशत पाया गया । कक्षा 3 में भाषा में सभी का प्रतिशत माध्य प्राप्तांक बेसलाइन सर्वे में 35.67 प्रतिशत, मिड़टर्म सर्वे में 46.65 प्रतिशत एवं टर्मिनल सर्वे में 51.25 प्रतिशत तथा गणित में बेसलाइन सर्वे में 39.75 प्रतिशत, मिड़टर्म सर्वे में 44.56 प्रतिशत एवं टर्मिनल सर्वे में 45.56 प्रतिशत पाया गया ।
- **राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) 2002** ने नामांकन, ठहराव तथा अधिगम सम्प्राप्ति में परिवार तथा समुदाय की भूमिका का अध्ययन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के दो जनपदों, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर का चयन किया गया । इस अध्ययन में कुछ मुख्य परिणाम संकेत देते हैं कि यदि अभिभावक शिक्षित हो या शिक्षा के प्रति रुचि रखते हों तो वे निस्सन्देह अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, उनके सम्प्राप्ति-स्तर के लिए बराबर अध्यापकों से सम्पर्क बनाए रखेगें । बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं- इन सब पर ध्यान देंगे । अभिभावकों से वार्ता के द्वारा ज्ञात हुआ कि 86 प्रतिशत अभिभावकों का यह मानना है कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है । वे

रोज विद्यालय जाना चाहते हैं । 93 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय जाकर अध्यापकों से विचार-विनिमय करते हैं और बच्चों की प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं । अध्ययन के बीच, साक्षात्कार के माध्यम से अभिभावकों की शंकाओं पर भी दृष्टि गई जैसे अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं पर यह शंका उनके मन में सदा बनी रहती है कि क्या शिक्षा उनके बच्चों को कुछ बना पायेगी । अध्ययन के समय देखा गया कि अशिक्षित अभिभावकों की शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है और यही कारण है कि वे किसी न किसी बहाने कभी घर के काम काज को लेकर और कभी गरीबी की दुहाई देकर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं ।

- **श्रीवास्तव, मयंक (2002)** ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण का नामांकन एवं ठहराव पर क्या प्रभाव पड़ा का अध्ययन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के एटा एवं रामपुर जनपद का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरणोरान्तर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है । बालिकाओं के नामांकन में बालकों की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई । पिछड़े गाँवों में पाठ्यपुस्तक के वितरण का प्रभाव अन्य गाँव की तुलना में अधिक देखने को मिला । अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई । सामाजिक दृष्टि से पिछड़े गाँव के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण से नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है, बच्चों का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा है तथा अभिभावक खुश है ।

- **मिश्र, करुणा शंकर (2002)** ने बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों की पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के बौद्धिक प्रक्रियाओं पर कक्षा अन्तर्क्रियाओं, अधिगम दबाव व विद्यालयी सुविधाओं के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन इलाहाबाद जनपद के 281 विद्यार्थियों पर किया गया । अध्ययन में ग्रामीण बच्चों की बौद्धिक प्रक्रियाएं अधिगम दबाव से नकारात्मक रूप से संबंधित पाई गई, सुविद्याहीन विद्यालयों की कक्षाओं में शिक्षक व विद्यार्थी संज्ञानात्मक अन्तर्क्रियाओं का प्रयोग कम करते हैं । ग्रामीण व नगरीय विद्यार्थियों की प्रात्यक्षिक विभेदन योग्यता अधिगम दबाव से नकारात्मक रूप संबंधित पाई गई तथा

नगरीय विद्यार्थियों की संरक्षण योग्यता उनके द्वारा प्रत्यक्षीकृत कक्षा वातावरण से संबंधित नहीं पाई गई ।

- **विनायक (2003)** ने विद्यालय प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 32 जिलों में से 4 जिलों को भौगोलिक दृष्टिकोण से चयन किया गया । इन चारों जिलों (आगरा, अम्बेड़कर नगर, कानपुर देहात तथा झाँसी) से दो-दो विकास खण्डों का चयन किया गया । प्रत्येक विकासखण्ड से 4-4 संकुल स्त्रोत केन्दों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि जहाँ भी ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय है वहाँ छात्रों के नामांकन उपस्थिति तथा ठहराव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । विद्यालय समय से खुलते है तथा शिक्षण अधिगम में सुधार हुआ है । शिक्षकों तथा अध्यापकों का समय से विद्यालय आना शुरू हो गया है । शिक्षक अभिभावक बैठकों तथा माता-शिक्षक संघ की मीटिंग के फलस्वरूप समुदाय की सहभागिता बढ़ी है ।

- **ओ.आर.जी. (2005)** ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षण की स्थिति का अध्ययन किया । अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उत्तरप्रदेश के 5 जिलों (सुल्तानपुर, ललितपुर, महराजगंज, बहराइच, मुजफ्फरनगर) से 150 विद्यालयों का चयन किया गया । अध्ययन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में धनात्मक स्थिति पाई गई । प्राथमिक विद्यालयों में समग्र ड्रापआउट 22 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14 प्रतिशत पाया गया तथा विद्यालय की भैातिक एवं शैक्षिक स्थिति में काफी सुधार पाया गया ।

- **ओ.आर.जी. (2005)** ने कक्षा 2 के बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन शिक्षामित्र एवं नियमित शिक्षकों के कक्षा शिक्षण के संदर्भ में किया । इसके लिए उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लगभग 1000 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि शिक्षामित्र द्वारा पढ़ायें गये विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर, नियमित शिक्षकों द्वारा पढ़ायें गये विद्यार्थियों से काफी अच्छा पाया गया ।

* **ओ.आर.जी. (2005)** ने विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों के ड्रापआउट का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के 5 जिलों (रायबरेली, झांसी, आजमगढ़ बुलंदशहर एवं फैजाबाद) के 15 विकासखण्ड के 150 विद्यालयों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि ड्रापआउट में पूर्व की तुलना में काफी कमी आई है । प्रथम दो कक्षाओं (कक्षा 1 एवं 2) में ड्रापआउट दर अधिक पाई गई तथा बड़ी कक्षाओं में ड्रापआउट दर में क्रमशः कमी पाई गई ।

* **गोयल, सलोनी (2005)** ने विद्यालय परिवेश के सुधार एवं बच्चों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने में विद्यालय ग्रेड़िग प्रणाली की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के 5 जिलों (भदोही, फैजाबाद, उन्नाव, हमीरपुर एवं मथुरा) का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि विद्यालय ग्रेड़िग के कारण विद्यालय के भौतिक परिवेश में काफी सुधार आया है तथा बच्चों की उपलब्धि में काफी प्रगति हुई है ।

अध्याय तृतीय

शोध समस्या, प्रविधि एवं प्रक्रिया

अध्याय-तृतीय

शोध समस्या, प्रविधि एवं प्रक्रिया

3.01.0 भूमिका

बिना किसी शोध समस्या के इधर-उधर की निरूद्देश्य क्रियाओं से कभी-कभी चमत्कारिक परिणाम अवश्य प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु अधिकांश स्थितियों में कोई सार्थक सामान्यीकरण नहीं हो सकता । शोध का प्रथम चरण समस्या है । बिना समस्या के शोध सम्भव नहीं है । समस्या एक प्रश्न है जिसका समाधान ढूँढ़ना होता है । समस्या के माध्यम से हम दो या दो से अधिक चरों में क्या संबंध है का पता करते है । शोधकर्ता अपनी समस्या को सही प्रकार से जब ही समझ एवं प्रस्तुत कर सकता है जबकि उसे समस्या से संबंधित व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक जानकारी हो । इसके लिये शोधकर्ता इन कठिनाइयों को अपने दिमाग में रखते हुए एक आधारभूत सिद्धान्त का परिपालन करना होता है । इस प्रकार अगर समस्या का समाधान करना हो तो यह सामान्यतः जानना आवश्यक है कि समस्या क्या है ? अनुसंधान को दिशा प्रदान करने के लिये किसी शोध समस्या का होना नितांत आवश्यक है । शोध समस्या के लिये हमें किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा यह शोधकर्ता को जानना अत्यन्त आवश्यक है ।

शोध समस्या के चयन के ठीक बाद शोध प्रारूप तैयार करते हैं जो न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होती है । शोध प्रारूप एक योजना होती है, जो शोधकर्ता को उद्देश्य के वास्तविक लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करती है । इसके अन्तर्गत शोध उद्देश्य, न्यादर्श-प्रविधि तथा उसका आकार, शोधविधि, प्रदत्तों के संकलन, परीक्षण तथा प्रदत्तों के विश्लेषण की प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है । इस प्रकार शोध प्रारूप के अन्तर्गत उन सभी क्रियाओं में प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके तथा परिकल्पनाओं की पुष्टि हो सके । शोधकर्ता को समस्या के चयन से निष्कर्षों तक क्रियाओं को पहचानना होता है । शोध-प्रविधि में अनुसंधान की क्रियाओं को वैज्ञानिक ढंग से वैध रूप में नियोजन

किया जाता है । शोध विधि में प्रकरण तथा प्रविधियों को दिया जाता है, जिससे समस्या का समाधान ज्ञात किया जाता है । शोध प्रक्रिया एवं प्रविधियों को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है । शोधकर्ता को प्रकरणों तथा प्रविधियों का ज्ञान होना जरुरी है, तभी वह उनका समुचित प्रयोग कर सकता है । शोध विधि में समस्या सम्बन्धी सामान्य क्रियाओं को किया जाता है तथा सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा की सहायता से परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है । उनकी पुष्टि के लिए प्रकरणों, परीक्षणों का चयन किया जाता है तथा प्रदत्तों का संकलन किया जाता है । अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन उक्त सभी विधियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है । प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मंडल के हमीरपुर, महोबा, बॉदा एवं चित्रकूट जिलेां के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय में उपस्थित, ठहराव एवं लेखन दक्षता पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इसके लिये प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया गया है -

1. शोध प्रारूप
2. न्यादर्श
3. शोध उपकरण
4. शोध उपकरणों का प्रशासन एवं प्रदत्तों का संकलन ।
5. प्रयुक्त सांख्यिकी प्राविधियां ।
6. निष्कर्ष एवं व्याख्या

3.02.0 शोध का शीर्षक

प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मंडल के हमीरपुर, महोबा, बॉदा एवं चित्रकूट जिलेां के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय में उपस्थित, ठहराव एवं लेखन दक्षता पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । प्रस्तुत शोध अध्ययन का शीर्षक निम्नानुसार है -

''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने वाले
विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन''

3.03.0 शोध के चर :

वैज्ञानिक शोध कार्यों में चरों को ही महत्व दिया जाता है । चरों कि प्रकृति परिमाणात्मक होती है । गुणात्मक विशेषताओं को कम महत्व दिया जाता है । परिकल्पना चरों की भूमिकाओं को निर्धारित करती है । शोध के अनुसार चरों की भूमिकायें बदलती रहती है । चर से तात्यपर्य वस्तु, घटना, चीज के गुणों से होता है, जिसे मापा जा सकता है । चरों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि समान परिस्थिति के विभिन्न न्यादर्श लेने पर एक ही निष्कर्ष प्राप्त हो सकेंगे तथा जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाये उनके अर्थ की विश्वसनीयता बनी रहे । प्रस्तुत शोध कार्य में निम्न चरों का उपयोग किया गया है -

स्वतंत्र चर :-

लिंगगत	छात्र, छात्रायें
जाति	सामान्य, पिछडा तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
विद्यालय की स्थिति	शहरी एवं ग्रामीण
परिवार की आय	उच्च, मध्यम एवं निम्न आय
परिवार का आकार	छोटा, मध्यम एवं बड़ा परिवार
परिवार का व्यवसाय	नौकरी एवं व्यवपार, कृषक तथा मजदूर
परिवार की शिक्षा	प्राथमिक से ऊपर, प्राथमिक तक एवं निरक्षर

आश्रित चर

शैक्षिक उपलब्धि स्तर, उपस्थित, लेखन दक्षता, ठहराव आदि ।

3.04.0 शोध में प्रयुक्त चरेां का स्तर या समूह

किसी भी शोध कार्य में परिकल्पनाओं के प्रतिपादन के पूर्व सर्वप्रथम स्वतंत्र, आश्रित आदि चरो को निर्धारित करना पड़ता है । बिना चरो के निर्धारण किये परिकल्पनाओं के निर्धारण करने में परिकल्पनाओं एवं संकलित आंकड़ों के बीच किसी प्रकार का संबंध न होने से शोध निर्थक हो जाता है । प्रस्तुत शोध अध्ययन में

उपयोग किये गये स्वतंत्र एवं आश्रित चरों को निम्नानुसार समूह में विभक्त किया गया है -

लिंग

लिंग को दो समूहों में विभक्त किया गया है । समूह -1 छात्रों के लिये तथा समूह- 2 छात्राओं के लिये । अर्थात

समूह -1 छात्र

समूह - 2 छात्रा

जाति

जाति को भी दो समूहों में विभक्त किया गया है । समूह -1 सामान्य जाति, समूह- 2 में पिछडी जाति एवं समूह- 3 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी शामिल किये गये हैं । अर्थात

समूह - 1 सामान्य

समूह - 2 पिछडी जाति

समूह - 3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

विद्यालय की स्थिति

विद्यालय की स्थिति को भी दो समूहों में विभक्त किया गया है । समूह -1 शहरी विद्यालयों को एवं समूह- 2 में ग्रामीण विद्यालयों को शामिल किये गये हैं । अर्थात

समूह - 1 शहरी

समूह - 2 ग्रामीण

परिवार का आकार

परिवार के आकार को तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह 1 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 6 से कम है । इसे छोटा आकार समूह कहा गया है । समूह- 2 में ऐसे परिवारों को

शामिल किया गया है, जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 7 या 6 है । इसे मध्यम आकार समूह कहा गया है । समूह - 3 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है । इसे बड़ा आकार समूह कहा गया है । अर्थात

समूह - 1 = सदस्यों की संख्या 6 से कम = छोटा परिवार

समूह - 2 = सदस्यों की संख्या 7 या 6 = मध्यम परिवार

समूह - 3 = सदस्यों की संख्या 7 से अधिक = बड़ा परिवार

परिवार की आय

परिवार की आय को तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह 1 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें परिवार की मासिक आय पॉच हजार या उससे अधिक है । इसे उच्च आय समूह का परिवार कहा गया है । समूह 2 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें परिवार की मासिक आय 5 हजार से कम तथा 3 हजार से अधिक है । इसे मध्यम आय समूह का परिवार कहा गया है । समूह 3 में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें परिवार की मासिक आय तीन हजार या उससे कम है । इसे निम्न आय समूह का परिवार कहा गया है । अर्थात

समूह 1 - मासिक आय 5000 या अधिक = उच्च आय परिवार

समूह 2 - मासिक आय 5000 से कम तथा 3000 से अधिक = मध्य आय परिवार

समूह 3 - मासिक आय 3000 या कम = निम्न आय परिवार

परिवार का व्यवसाय

परिवार के व्यवसाय को तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह 1 में व्यापारी एवं नौकरी वर्ग के परिवार को लिया गया है, समूह 2 में कृषक वर्ग के परिवार को तथा समूह 3 में मजदूर वर्ग के परिवार को लिया गया है । अर्थात

समूह - 1 = व्यापारी एवं नौकरी वर्ग परिवार

समूह - 2 = कृषक वर्ग परिवार

समूह - 3 = मजदूर वर्ग परिवार

परिवार की शिक्षा

परिवार की शिक्षा को तीन समूहों में विभक्त किया गया है । समूह 1 में प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार को लिया गया है, समूह 2 में प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त परिवार को तथा समूह 3 में निरक्षर परिवार को लिया गया है । अर्थात

समूह - 1 = प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार

समूह - 2 = प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त परिवार

समूह - 3 = निरक्षर परिवार

3.05.0 शोध समस्या की सीमाएं

किसी भी प्रकार की अनुसंधान की रूपरेखा तैयार करते समय उसकी सीमाओं का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि यदि सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया तो अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करने में कठिनाई आती है और पूरा अध्ययन कई स्थानों पर बिखरा- बिखरा दृष्टिगत होता है । सीमाओं का निर्धारण न होने पर अध्ययन पर नियंत्रण स्थापित करने में परेशानी का अनुभव होता है । अतः शोधकार्य में आँकड़ों के संकलन करने के पूर्व शोधकार्य की सीमाओं का निर्धारण कर लेना आवश्यक है । इस अध्ययन के लिये भी शोधकर्ता ने कुछ सीमाओं का निर्धारण किया है जो निम्नलिखित है -

- भौगोलिक दृष्टि से इसे उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मंडल के हमीरपुर, महोबा, बॉदा एवं चित्रकूट जिलों के प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित रखा गया ।
- अध्ययन प्राथमिक स्तर के विद्यालयो पर किया गया ।
- अध्ययन में शासकीय विद्यालयों को लिया गया ।

- अध्ययन में शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार के विद्यालयों को लिया गया ।
- अध्ययन में प्रत्येक जिले से 30 विद्यालयों को लिया गया ।
- अध्ययन में बच्चों के नामांकन ठहराव, लेखन दक्षता एवं गुणवत्तापरक शिक्षा पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारको तक सीमित रखा गया ।

3.06.0 शोध न्यादर्श

किसी भी अनुसंधानकर्ता को अपने शोधरूपी भवन को बनाने के लिये न्यादर्श रूपी आधार शिला की आवश्यकता होती है । यह आधार शिला जितनी मजबूत होगी, शोध कार्य भी उतना सुदृढ़ होगा । आधुनिक युग में अधिकांश अनुसंधान प्रतिचयन विधि या न्यादर्श रीति द्वारा किये जाते हैं । सांख्यिकीय विधि का विश्वास है कि किसी क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से चुनी गई न्यादर्श इकाईयों में वे सभी विशेषताएं पायी जाती हैं, जो पूरी जनसंख्या में अन्तर्निहित होती है । हमारे अधिकांश निर्णय चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों न हों, इसी तथ्य पर आधारित होते हैं । अतः यथेष्ठ इकाईयों का प्रतिदर्श चुनकर सम्पूर्ण क्षेत्र की विशेषताओं का अनुमान लगाया जाता है ।

व्यावहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोध कार्यों में न्यादर्श के बिना शोधकार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है । यद्यपि विज्ञान के विषयों में भी न्यादर्श का प्रयोग होता है, परन्तु न्यादर्श के चयन की समस्या नहीं होती है । जनसंख्या को जो भी अंश उपलब्ध होता है वही जनसंख्या का शुद्ध रूप में प्रतिनिधितव करता है, परन्तु सामाजिक विषयों में न्यादर्श के चयन में प्रमुख समस्या होती है कि किस प्रकार न्यादर्श की इकाइयों का जनसंख्या में से चयन किया जाय जो उसका प्रतिनिधित्व कर सके । सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना कठिन होता है तथा कभी-कभी असम्भव भी होता है । न्यादर्श प्रविधि शोध कार्य को व्यावहारिक तथा समय, धन-शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बना देती है । न्यादर्श के प्रयोग से शोध परिणामों को अधिक शुद्ध एवं मितव्ययी बनाया जाता है ।

अनुसंधान के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है । एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या सम्बन्धी सम्पूर्ण

सूचनाओं को दिया जाता है । शोध के निष्कर्षों का सामान्यीकरण वास्तव में न्यादर्श का आकार तथा उसकी प्रविधि पर निर्भर होता है । एक शुद्ध रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले न्यादर्श से शोध के सामान्यीकरण के बारे में अधिक से अधिक सूचनायें प्रस्तुत करता है । सामाजिक विषयों, व्यावहारिक विज्ञानों के शोधकार्यों एवं सांख्यिकीय विधियों के लिए न्यादर्श मूल आधार होता है । यदि न्यादर्श का चयन समुचित नहीं किया गया तब कोई सांख्यिकीय विधि परिणामों एवं निष्कर्षों को नहीं सुधार सकती है । वास्तव में न्यादर्श, शोध की प्रमुख प्रविधि है । शोधकर्त्ता को इसके ज्ञान तथा कौशल की आवश्यकता होनी चाहिए । न्यादर्श के चयन में ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है कि जनसंख्या से चयन की गई इकाइयाँ प्रतिनिधित्व कर सकें । प्रत्येक इकाई को न्यादर्श में सम्मिति होने का समान अवसर दिया जाय । सही न्यादर्श के चयन से समय एवं धन की बचत होती है, तथा अधिक सत्यता का ज्ञान होता हैं । शोध के निष्कर्षो का सामान्यीकरण न्यादर्श के आधार तथा प्रविधि पर निर्भर करता है । यह शोध कार्य एवं सांख्यिकीय विधियों में मूल आधार का काम करता है । प्रस्तुत शोध में न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया -

- अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मंडल के हमीरपुर, महोबा, बॉदा एवं चित्रकूट जिलों को लिया गया ।
- प्रत्येक जिले से 30-30 प्राथमिक विद्यालयों का चयन भी यादृच्छिक विधि से किया गया ।
- प्रत्येक विद्यालय से 10-10 विद्यार्थियों को चयनित किया गया ।अर्थात कुल 1200 बच्चों को न्यादर्श के रूप में लिया गया ।

न्यादर्श में सम्मिलित कक्षा 5 के विद्यार्थियों की लिंग एवं जातिवार संख्या

क्र.	जाति	छात्र	छात्रा	योग	प्रतिशत
1.	सामान्य	214	200	414	34.6 %
2	पिछड़ी जाति	211	195	406	33.8 %
3.	अनुसूचित जाति/जन जाति	199	181	380	31.6 %
	योग	624	576	1200	-
	प्रतिशत	52 %	48 %	-	100 %

3.07.0 प्रस्तुत शोध की विधि

प्रस्तुत शोध में चयनित जिलेां से 30-30 विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया । इन विद्यालयों के बच्चों के संबंध में शिक्षक एवं अभिभावकों से निर्धारित उपकरण के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई । इसके अलावा बच्चों की लेखन दक्षता का मूल्यांकन किया गया । फिर इस जानकारी को उददेश्यवार सारणीकरण के उपरान्त सांख्यिकी विधियों से उददेश्यवार विश्लेषित कर परिकल्पनाओं का सत्यापन किया गया । अंन्त में परिणामों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत किए गये तथा भावी शोध हेतु समस्यायें प्रस्तुत की गई ।

3.08.0 शोध उपकरण

किसी शोध कार्य को करते समय वैज्ञानिक विधि से नवीन प्रदत्तों को संकलित करने हेतु कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है । सफल अनुसंधान के लिये उपयुक्त उपकरणों का चयन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । किसी शोध कार्य में उपकरणों का विकास तथा कुशलतापूर्वक प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि एक मैकेनिक को इंजन या मशीन को ठीक करने के लिये उन्ही उपकरणों का उपयोग करना, जो मशीन को ठीक कर सके । एक अनुसंधानकर्ता को एक ऐसे वैज्ञानिक उपकरण या प्रक्रिया का चयन करना पड़ता है जिसके आधार पर शोध अध्ययन समस्या का समुचित उत्तर उपलब्ध हो सके, विश्वसनीय परीक्षण प्राप्त हो, परीक्षण वैध हो, वस्तुपरक परिणाम प्राप्त हो तथा अध्ययन में कम से कम खर्च लगे ।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी उपकरण ऐसा होना चाहिये जिसके द्वारा अध्ययन में विशेष सुविधा रहे । उत्तरदाताओं से मैत्री की भावना बनी रहे तथा अनुमति लेने में कठिनाई न हो तथा जिसकी प्रक्रिया बहुत कठिन व असुविधाजनक न हो । इस शोधकार्य में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया गया है जिनका विवरण निम्नासार है -

- शैक्षिक उपलब्धि एवं उपस्थित स्तर जानने के लिए शिक्षक के लिए जानकारी संकलन प्रपत्र का उपयोग किया गया ।

- विद्यार्थियों के परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक स्थिति जानने के लिए अभिभावक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया ।
- भाषा लेखन दक्षता जानने के लिए कक्षा 5 की भाषा पुस्तक की दक्षता पर आधरित उपकरण का निर्माण किया गया ।
- बच्चों के ठहराव एवं ड्रापआउट को जानने के लिए विद्यालय रजिस्टर से जाति, लिंग, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय आदि के अनुसार जानकारी प्राप्त की गई ।

3.09.0 शोध उपकरणों का प्रशासन एवं फलांकन

शोध उपकरणों का प्रशासन अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है । इसके माध्यम से ही अनुमानों, परिकल्पनाओं की सत्यता की जांच की जाती है । अतः उपकरणों के प्रशासन में उददेश्य ध्यान में रखते हुए सही न्यादर्श लेना चाहिये, जिससे वास्तविक परिणाम प्राप्त किये जा सके तथा वह पूरे समष्टि का प्रतिनिधित्व करे । अधिकांश शैक्षिक अनुसंधानो में प्रदत्तों का संकलन या तो प्रमाणिक परीक्षणों के द्वारा या स्वयं निर्मित अनुसंधान उपकरणों द्वारा किया जाता है । इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रदत्त प्राप्त हो जाते है, जिसके द्वारा एक अध्ययन में सही परिणाम तक पहॅुचा जा सके । परीक्षण उपकरणों के प्रशासन से पहले शोधकर्ता ने अपना परिचय तथा अपने आने के उद्देश्य को बताया । प्रारम्भ में 10-15 मिनट सामान्य चर्चा की । बाद में परीक्षण से सम्बन्धित कुछ सामान्य चर्चा की एवं परीक्षण से संबंधित निर्देश विद्यार्थी को दिये गये जो निम्नलिखित है -

- परीक्षण का उनकी वार्षिक परीक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः पूछे गये प्रश्न का उत्तर निःसंचोक बिना डर, भय के दें । परीक्षा परिणाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- प्रदत्त जानकारी का उपयोग केवल अनुसंधान कार्य में ही किया जाएगा ।
- प्रदत्त जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा ।

- उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम, जाति, लिंग, उम्र, विद्यालय, कक्षा, दिनांक आदि आवश्यक जानकारी की पूर्ति के लिये कहा गया ।
- समय-सीमा का कोई खास बंधन नहीं है ।
- परीक्षण समाप्ति पर उपकरण को वापस करने के लिए कहा गया ।

शोधकर्ता द्वारा उपकरणों के प्रशासन करते समय भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा गया । जो निम्नलिखित है -

- सभी विद्यार्थी कक्षा में आराम से सामान्य वातावरण में बैठकर परीक्षण देने की व्यवस्था की गई ।
- उत्तर पत्रक की प्रारम्भिक जानकारियों को यथास्थान पर पूर्ती कराया गया ।
- निर्देश विद्यार्थियों को समझ में न आने पर पुनः समझाया गया ।
- शोधकर्ता द्वारा निर्देशों को स्पष्ट रूप से उपयुक्त आवाज में पढ़ा गया ।

मापनी के प्रशासन के लिए प्रत्येक विद्यालय से 10-10 विद्याथियों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया । परीक्षण में विद्यार्थियों को उचित निर्देश देकर सुलेख, श्रुतलेख व निबंध लिखवाये गये । इसके अतिरिक्त शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रश्नावली के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पालकों से जानकारी प्राप्त की गई ।

न्यादर्श में सम्मिलित सभी इकाइयों पर शोध उपकरण के प्रशासन के द्वारा उत्तर प्राप्त कर लिए गए । इसके पश्चात् इन उत्तर परीक्षण के विभिन्न कारकों के अलग-अलग प्राप्तांक प्राप्त किये गए । भाषा लेखन दक्षता की प्रत्येक दक्षता (सुलेख, श्रुतलेख, निबंध) के लिए 10-10 अंक निर्धारित किए गये और कुल योग 30 रखा गया । इसके अतिरिक्त शिक्षक एवं अभिभावको से बच्चों की विषयवार योग्यता तथा सामाजिक एवं आर्थिक कारको जिनके अन्तर्गत जाति, लिंग, परिवार की शिक्षा, परिवार का व्यवसाय, परिवार की आय, परिवार में सदस्यो की संख्या आदि की जानकारी संकलन के पश्चात उसको सारणीकृत किया गया ।

3.10.0 प्रदत्तों का सारणीयन :

सारणीयन, प्रदत्तों को क्रमबद्ध, स्पष्ट, संक्षिप्त व बोधगम्य क्रम प्रदान करता है । ताकि उसके सांख्यिकीय विश्लेषण व विवेचन में विशिष्ट सुविधा उपलब्ध हो सके । करलिंगर (1954) के अनुसार ''सारणीयन विभिन्न प्रकार के प्रत्युत्तरों की संख्याओं के प्रकारों को उनके उपयुक्त संवर्गों में अभिलेखित किये जाने को ही कहते हैं'' संवर्गीकृत सामग्री के सारणीयन के पश्चात ही सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है । सारणीयन में आंकड़ों को स्तम्भों तथा पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि शोध अध्ययन की समस्या में उठाये गये प्रश्नों के समुचित उत्तर उपलब्ध हो सकें । अनुसन्धान कार्य केवल तथ्यों को संकलित करने तक की ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ तो तब ही होता है, जबकि हम तथ्यों को संग्रह कर चुके होते हैं तथा उन आँकड़ों को प्रदर्शन योग्य बनाने के लिए हमें वर्गीकरण करना होता है । प्रारम्भिक संकलित तथ्यों का रूप बड़ा ही विस्तृत व उलझा हुआ होता है, वर्गीकरण अर्थात् मूल या प्रारम्भिक सामग्री को दो या दो से अधिक वर्गों में प्रस्तुतीकरण किये बिना न तो विश्लेषण ही सम्भव है और न ही कोई वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता निश्चित निष्कर्ष ही ज्ञात कर सकता है । वर्गीकरण प्रक्रिया, संकलित सामग्री या प्रदत्तों को व्यवस्थित व संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें समान व असमान लक्षणों से युक्त सामग्री को पृथक-पृथक करके विभिन्न संवर्गों में रखा जाता है । इस प्रक्रिया को अनुसंधान में उपयोग करने से, विश्लेषण, परिणामों व निष्कर्षों के सामान्यीकरण की क्रिया में सरलता के साथ वैज्ञानिकता के गुण का भी समावेश हो जाता है । शोध अध्ययन की समस्या को ध्यान में रखते हुये विभिन्न हस्ताक्षेपों को ध्यान में रखते हुय तथा आवश्यकतानुसार जाति, लिंग, परिवार की शिक्षा, परिवार का व्यवसाय, परिवार की आय, परिवार में सदस्यो की संख्या, विद्यालय के प्रकार के आधार पर सारणी का निर्माण किया गया ।

शोध कार्य के उद्‌देश्यों को पूर्ण करने के लिये बनायी गई उदद्‌ेश्यवार परिकल्पनाओं के अनुसार विद्यार्थियों को प्राप्त प्राप्तांकों के भिन्न- भिन्न समूहों में सारणीबद्ध किया जिनका क्रम निम्नानुसार रखा गया है -

- भिन्न- भिन्न जाति, लिंग, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार की आय, परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति, लेखन दक्षता एवं ठहराव को वर्गीकृत किया गया ।

3.11.0 प्रदत्तों के संकलन में उत्पन्न कठिनाईयां

एक अनुसंधानकर्ता को यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि कितना और किस प्रकार के प्रदत्तो का संकलन किस सीमा पर और कब किया जाये । अनुसंधानकर्ता को इस बात का भी ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है, कि किस प्रकार के प्रदत्तों के संकलन के लिए किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जाय जिससे सही-सही न्यादर्श प्राप्त हो सके । प्रदत्तों के संकलन में निम्नांकित कठिनाईयां आई

- विद्यार्थी उत्तर लिखने में अधिक समय ले रहे थे ।
- कुछ विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं दिये थे, तो उन्हें पुनः प्रश्नावली वापस कर उत्तर देने को कहा गया ।
- विभिन्न स्तरों से आंकड़ों के संकलन करने के कारण अधिक समय लगा ।
- अधिकतर अभिभावकों के निरक्षर होने के कारण उनसे जानकारी एकत्र करने में अधिक समय लगा ।
- कुछ प्रधानाध्यापक जानकारी देने में इधर-उधर कर रहे थे, इसलिये उन्हें लगातार समझाकर जानकारी प्राप्त करने में अधिक समय लगा ।
- जब अभिभावकों के बीच जाकर जानकारी एकत्र की गई तो वे जानकारी देने के बजाय अपनी समस्यायें बताने लगे ।
- यह जानकारी किस लिए ली जा रही है के बारे में समझाने में काफी समय लगा ।
- कुछ जगह एक साथ कई सदस्यों के आ जाने से भी जानकारी लेने में असुविधा हुई ।

3.12.0 प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियां

प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मण्डल के महोबा, चित्रकूट, बॉदा एवं हमीरपुर जिलो से 120 (प्रत्येक जिले से 30 विद्यालय) विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया । प्रत्येक विद्यालय से 10 बच्चों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया । फिर शोध में उपयोग में किये जाने वाले उपकरणों की सहायता से बच्चों को प्रश्नावली का उपयोग कराकर जानकारी एकत्र की । इसके अलावा उनके अभिभावक से संबंधी जानकारी एकत्रित की गई । स्कूल पंजी के द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थित एवं वार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर उनका शैक्षिक स्तर का पता लगाया । शोध समस्या से संबंधित संकलित प्रदत्तों के सारणीयन करने के उपरान्त, उददेश्यवार परिकल्पनाओं का सत्यापन कर उनसे उचित परिणाम प्राप्त करने के लिये उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है । प्रस्तुत अध्ययन में ''माध्य'', ''प्रसरण विश्लेषण'' ('F' परीक्षण) परीक्षण एवं मनोवा ('MANOVA') सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है ।

अध्याय चार

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

अध्याय-चतुर्थ

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1.0 प्रस्तावना

प्रत्येक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता उपकरणों का प्रयोग करके सूचनायें एकत्र करता है । एकत्रित सूचनाओं को सुव्यवस्थित व उपयुक्त प्रारुप में प्रदर्शित करने से अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के उददेश्यों की प्राप्ति तो होती है, उसे परिकल्पनाओं के सत्यापन में भी सहायता प्राप्त होती है । अतः प्रदत्तों का विश्लेषण, सारणीयन व निर्वचन अनुसंधान का महत्वपूर्ण चरण है । इससे प्रदत्तों को सार्थक बनाया जाता है । अनुसंधान में सामग्री के संकलन के बाद उसके व्यवस्थिति विश्लेषण-सम्पादन, गुण-स्थान, वर्गीकरण, संकेतीकरण एवं सारणीयन का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । तथ्यों या सामग्री का मात्र संकलन करना अनुसंधान में कोई महत्व नहीं रखता है, जब तक कि उनका कमबद्ध एवं तार्किक कार्य-कारण संम्बन्धों के अनुसार विश्लेषण एवं सामान्यीकरण नहीं किया जाता है । अर्थात अनुसंधान में आंकड़ों के संकलन, सारणीयन के पश्चात सामग्री का विश्लेषण अति महत्वपूर्ण कार्य है । सामग्री के विश्लेषण से अनुसंधान के प्रारम्भ में प्रतिपादित प्रश्नों या परिकल्पनाओं के उत्तर दिये जाते है । प्रस्तुत अध्याय में विद्यार्थियों कि शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति, लेखन दक्षता एवं ठहराव पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार के व्यवसाय, परिवार की शिक्षा, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया का प्रभाव देखा गया है ।

प्रथम अध्याय में शोध का औचित्य, उद्देश्य एवं परिकल्पना सहित दिये गये हैं । अनुसंधान की प्रविधि का वर्णन अध्याय तीन में किया गया है । इसी अध्याय में प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाई गई सांख्यिकी विधियों का भी उल्लेख किया गया है । वर्तमान अध्याय में प्रदत्तों के विश्लेषण के पश्चात् प्राप्त परिणामों की

उद्देश्यवार व्याख्या निम्न विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत की गई है ।

- शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।

4.02.0 उद्देश्यवार परिकल्पनाओं का सत्यापन

किसी शोध समस्या के चयन के उपरान्त उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है । शोध उद्देश्य के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्धारण किया जाता है । परिकल्पनाओं के सत्यापन के लिये चयनित न्यादर्श के संकलन के पश्चात उनका सारणीयन करते है, तदोपरान्त विभिन्न सांख्यिकी विधियों की सहायता से परिकल्पनाओं का सत्यापन करते है । शोध अध्ययन में लिए गये उद्देश्य के आधार पर परिकल्पनाओं का सत्यापन निम्नानुसार किया गया है -

4.02.1 शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का प्रथम उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें लिंग के दो स्तर, जाति एवं परिवार की आय के तीन-तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुए प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 3 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.1 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.1 : विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 3 x 3 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
लिंग (A)	1	261.09	261.09	7.22**
जाति (B)	2	185.09	92.54	2.56
परिवार की आय (C)	2	469.33	234.66	6.49**
A x B	2	553.03	276.52	7.65**
A x C	2	3.18	1.59	0.04
B x C	4	980.12	245.03	6.78**
A x B x C	4	930.28	232.57	6.43**
त्रुटि	1182	42734.39	36.15	
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता   * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.1 से ज्ञात होता है कि लिंग के लिए 'F' का मान 7.22 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की

जाती है । विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि, लड़कियों का शैक्षिक उपलब्धि माध्य 56.94 (n = 576) है, जो कि लड़कों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य (माध्य का मान 56.00, n = 624) अंक की तुलना में अधिक है । अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.1 से ज्ञात होता है कि जाति के लिए 'F' का मान 2.56 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सामान्य जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य 56.99 (n = 414) है, जबकि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि माध्य क्रमशः 56.38 (n = 406) एवं 56.03 (n = 380) है । अर्थात माध्यों में सार्थक अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है । अतः कहा जा सकता है कि जाति का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.1 से ज्ञात होता है कि परिवार की आय के लिए 'F' का मान 6.49 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की आय का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पड़ता है । विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के माध्यों को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं-

क्र.	परिवार की आय	शैक्षिक उपलब्धि माध्य	पदों की संख्या
1	उच्च आय परिवार (मासिक आय 5000 या अधिक)	56.90	346
2	मध्य आय परिवार (मासिक आय 5000 से कम तथा 3000 से अधिक)	56.90	416
3	निम्न आय परिवार (मासिक आय 3000 या कम)	55.60	438

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य 56.90 है, जबकि निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य 56.60 है । अर्थात निम्न आय वर्ग परिवार तथा मध्यम एवं उच्च आय वर्ग परिवार के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य में सार्थक अंतर है ।

तालिका क्रमांक 4.1 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 7.65 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.1 से) । इसका अर्थ है कि लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, निरस्त की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.1 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.04 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.1 से) । इसका अर्थ है कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों

के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.1 से ज्ञात होता है कि जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 6.78 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.1 से) । इसका अर्थ है कि जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, निरस्त की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.1 से ज्ञात होता है कि लिंग, जाति एवं परिवार के आय के लिए 'F' का मान 6.43 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.1 से) । इसका अर्थ है कि लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, निरस्त की जाती है । अतः हम यह कह सकते है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति एवं परिवार के आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

निष्कर्षः-

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.1 से) -

- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	लिंग (A)	जाति (B)	आय (C)	A x B	A x C	B x C	A x B x C
F	7.22	2.56	6.49	7.65	0.04	6.78	6.43
सार्थकता	**	NS	**	**	NS	**	**

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर लिंग, परिवार की आय और लिंग एवं जाति, जाति एवं परिवार की आय तथा लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि जाति तथा लिगं एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.2 विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार के तीन-तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 3 x 3 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.2 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.2 : विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रसरण विश्लेषण की 3x 3 x 3 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
परिवार की शिक्षा (A)	2	749.33	374.66	10.35**
परिवार का व्यवसाय (B)	2	1038.60	519.03	14.34**
परिवार का आकार (C)	2	160.95	80.48	2.22
A x B	4	180.92	45.23	1.25
A x C	4	224.82	56.20	1.55
B x C	4	274.10	68.53	1.89
A x B x C	8	393.84	49.23	1.36
त्रुटि	1173	42449.33	36.19	
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.2 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा के लिये 'F' का मान 10.35 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.2से) । इसका

अर्थ है कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि, परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । परिवार की शिक्षावार विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्र.	परिवार की शिक्षा	शैक्षिक उपलब्धि माध्य	पदो की संख्या
1	प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार	57.80	351
2	प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त परिवार	56.07	495
3	निरक्षर परिवार	55.69	354

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार के विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, जबकि निरक्षर परिवार के विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि स्तर माध्य सबसे कम है । अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.2 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय के लिए 'F' का मान 14.34 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के व्यवसाय का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । परिवार के व्यवसायवार विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्रमांक	परिवार का व्यवसाय	शैक्षिक उपलब्धि माध्य	पदो की संख्या
1	व्यापारी एवं नौकरी वर्ग परिवार	57.95	298
2	कृषक वर्ग परिवार	56.27	442
3	मजदूर वर्ग परिवार	55.34	460

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि नौकरी एवं व्यापारी परिवार के विद्यार्थियों कि शैक्षिक उपलब्धि माध्य 57.95 है, जो कि कृषक परिवार के विद्यार्थियों के माध्य शैक्षिक उपलब्धि माध्य (माध्य का मान 56.27) अंक से अधिक है । जबकि मजदूर परिवार के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य 55.34 है, जो उपर्युक्त दोनें माध्य से कम है । अतः कहा जा सकता है शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.2 से ज्ञात होता है कि परिवार के आकार के लिए 'F' का मान 2.22 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के आकार का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । परिवार के आकार के आधार पर विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के माध्यों को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं-

क्रमांक	परिवार का आकार	शैक्षिक उपलब्धि माध्य	पदों की संख्या
1	छोटा आकार समूह (सदस्यों की संख्या 6 से कम है)	57.00	514
2	मध्यम आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 या 6 है)	56.15	430
3	वड़ा आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है)	56.41	256

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि छोटे आकार परिवार के विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर माध्य, मध्यम एवं बड़े आकार परिवार के विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर माध्य से अधिक है । मध्यम एवं बड़े आकार परिवार के विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर लगभग समान है । अर्थात अंतर सार्थक नहीं है । अतः हम कह सकते है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.2 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 1.25 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.2 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.2 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 1.55 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.2 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.2 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 1.89 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.2 से) । इसका अर्थ है कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक

प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.2 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के लिए 'F' का मान 1.36 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.2 से) । इसका अर्थ है परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः हम यह कह सकते है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

निष्कर्षः-

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.2 से) -

- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	परिवार की शिक्षा (A)	परिवार का व्यवसाय (B)	परिवार का आकार (C)	A x B	A x C	B x C	A x B x C
F	10.35	14.34	2.22	1.25	1.55	1.89	1.36
सार्थकता	**	**	NS	NS	NS	NS	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता, * 0.05 स्तर पर सार्थकता, NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर परिवार की शिक्षा और परिवार के व्यवसाय का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि परिवार के आकार और परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.3 विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के दो स्तर (शहरी एवं ग्रामीण) तथा विद्यालय की जिलेवार स्थिति के चार स्तर (अध्ययन में चयनित चारों जिले) है । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 4 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.3 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.3 : विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 4 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) (A)	1	136.33	136.33	3.57*
विद्यालय की जिलेवार स्थिति (B)	3	335.39	111.80	2.93*
A x B	3	16.94	5.65	0.15
त्रुटि	1192	45480.28	38.16	
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.3 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) के लिये 'F' का मान 3.57 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.3 से) । इसका अर्थ है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण)

का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के अनुसार विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

कमांक	विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे	शैक्षिक उपलब्धि माध्य	पदों की संख्या
1	शहरी विद्यालय के बच्चे	56.89	400
2	ग्रामीण विद्यालय के बच्चे	56.17	800

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के बच्चों का उपलब्धि स्तर माध्य 56.89 ($n = 400$), ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य (माध्यमान = 56.17, $n = 800$) से अधिक है।

तालिका क्रमांक 4.3 से ज्ञात होता है कि विद्यालय कि जिलेवार स्थिति के लिए 'F' का मान 2.93 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है। इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय कि जिलेवार स्थिति का सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना विद्यालय कि जिलेवार स्थिति का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है। विद्यालय की जिलेवार स्थिति के अनुसार विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

कमांक	जिलेवार स्थिति विद्यालय	शैक्षिक उपलब्धि माध्य	पदों की संख्या
1	चित्रकूट	57.38	300
2	महोबा	56.39	300
3	बाँदा	56.54	300
4	हमीरपुर	55.81	300

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यालय कि जिलेवार स्थिति के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि माध्य अलग-अलग है।

तालिका क्रमांक 4.3 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.15 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.3 से) । इसका अर्थ है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार की स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.3 से) -

- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीणं) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) (A)	विद्यालय की जिलेवार स्थिति (B)	A x B
F	3.57	2.93	0.15
सार्थकता	*	*	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता, * 0.05 स्तर पर सार्थकता, NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.4 विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें लिंग के दो स्तर, जाति एवं परिवार की आय के तीन-तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुए प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 3 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.4 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.4 : विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 3 x 3 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
लिंग (A)	1	528.74	528.74	9.47**
जाति (B)	2	71.42	35.71	0.64
परिवार की आय (C)	2	589.16	294.58	5.28**
A x B	2	190.60	95.30	1.71
A x C	2	956.21	478.10	8.57**
B x C	4	525.08	131.27	2.35*
A x B x C	4	939.23	234.81	4.21**
त्रुटि	1182	65978.82	55.82	
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.4 से ज्ञात होता है कि लिंग के लिए 'F' का मान 9.47 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना

कि लिंग का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि लड़कियों का उपस्थिति माध्य 82.34 (n = 576) है, जो कि लड़कों के उपस्थिति माध्य (माध्य का मान 81.01, n =624) अंक की तुलना में अधिक है । अतः कहा जा सकता है विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.4 से ज्ञात होता है कि जाति के लिए 'F' का मान 0.64 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सामान्य जाति के विद्यार्थियों के उपस्थिति माध्य 81.34 (n = 414) है, जबकि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों का उपस्थिति माध्य क्रमशः 81.75 (n = 406) एवं 81.93 (n = 380) है । अर्थात माध्यों में सार्थक अन्तर दिखाई नहीं पड़ता है । अतः कहा जा सकता है कि जाति का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति में सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.4 से ज्ञात होता है कि परिवार की आय के लिए 'F' का मान 5.28 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की आय का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पड़ता है । विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति के माध्यों को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं-

क्र.	परिवार की आय	उपस्थिति माध्य	पदो की संख्या
1	उच्च आय परिवार (मासिक आय 5000 या अधिक)	82.47	346
2	मध्य आय परिवार (मासिक आय 5000 से कम तथा 3000 से अधिक)	81.80	416
3	निम्न आय परिवार (मासिक आय 3000 या कम)	80.76	438

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उच्च आय वर्ग के विद्यार्थियों की उपस्थिति माध्य 82.47 है, जो मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के उपस्थिति माध्य से अधिक है। निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों का उपस्थिति माध्य सबसे कम पायी गयी।

तालिका क्रमांक 4.4 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 1.71 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.4 से)। इसका अर्थ है कि लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका क्रमांक 4.4 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 8.57 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.4 से)। इसका अर्थ है कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, निरस्त की जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

तालिका क्रमांक 4.4 से ज्ञात होता है कि जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 2.35 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.4 से) । इसका अर्थ है कि जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, निरस्त की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.4 से ज्ञात होता है कि लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया के लिए 'F' का मान 4.21 हैं, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.4 से) । इसका अर्थ है कि लिंग, जाति एवं परिवार के आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, निरस्त की जाती है । अतः यह कह सकते है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.4 से) -

- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	लिंग (A)	जाति (B)	आय (C)	A x B	A x C	B x C	A x B x C
F	9.47	0.64	5.28	1.71	8.57	2.35	4.21
सार्थकता	**	NS	**	NS	**	*	**

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर लिंग, परिवार की आय और लिगं एवं परिवार की आय, जाति एवं परिवार की आय तथा लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि जाति और लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.5 विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार के तीन-तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 3 x 3 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.5 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.5 : विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति के लिए प्रसरण विश्लेषण की 3x 3 x 3 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
परिवार की शिक्षा (A)	2	120.73	60.36	1.03
परिवार का व्यवसाय (B)	2	194.46	97.23	1.66
परिवार के आकार (C)	2	24.97	12.48	0.21
A x B	4	61.16	15.29	0.26
A x C	4	96.05	24.01	0.41
B x C	4	255.99	64.00	1.09
A x B x C	8	100.49	12.56	0.21
त्रुटि	1173	68856.66	58.70	
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.5 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा के लिये 'F' का मान 1.03 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.5 से) । इसका अर्थ है

कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि, परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । परिवार की शिक्षावार विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्र.	परिवार की शिक्षा	उपस्थिति माध्य	पदो की संख्या
1	प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार	81.65	351
2	प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त परिवार	82.07	495
3	निरक्षर परिवार	81.26	354

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के परिवार के बच्चों के उपस्थिति माध्य में सार्थक अन्तर दिखाई नहीं देता है ।

तालिका क्रमांक 4.5 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय के लिए 'F' का मान 1.66 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के व्यवसाय का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । परिवार के व्यवसायवार विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्रमांक	परिवार का व्यवसाय	उपस्थिति माध्य	पदो की संख्या
1	व्यापारी एवं नौकरी वर्ग परिवार	82.23	298
2	कृषक वर्ग परिवार	81.13	442
3	मजदूर वर्ग परिवार	81.63	460

विद्यार्थियों के परिवार के व्यवसाय के आधार पर विद्यालय में उपस्थिति के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि नौकरी एवं व्यवसायी परिवार के

विद्यार्थियों की उपस्थिति माध्य 82.23 है, जबकि कृषक परिवार के विद्यार्थियों के उपस्थिति माध्य (माध्य का मान 81.13) एवं मजदूर परिवार के विद्यार्थियों के उपस्थिति माध्य 81.63 है । अर्थात कृषक एवं मजदूर परिवार के बच्चों के उपस्थिति माध्य में सार्थक अन्तर दिखाई नहीं देता है ।

तालिका क्रमांक 4.5 से ज्ञात होता है कि परिवार के आकार के लिए 'F' का मान 0.21 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के आकार का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । परिवार के आकार के आधार पर विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति के माध्यों को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं-

क्रमांक	परिवार का आकार	उपस्थिति माध्य	पदों की संख्या
1	छोटा आकार समूह (सदस्यों की संख्या 6 से कम है)	81.46	514
2	मध्यम आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 या 6 है)	81.78	430
3	बड़ा आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है)	81.73	256

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तीनों प्रकार के परिवार के बच्चों के उपस्थिति माध्य लगभग एक जैसे है । अर्थात सार्थक अंतर दिखाई नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.5 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.26 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.5 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं

परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.5 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.41 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.5 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.5 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 1.09 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.5 से) । इसका अर्थ है कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.5 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के लिए 'F' का मान 0.21 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.5 से) । इसका अर्थ है परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

निष्कर्षः-

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.5 से) -

- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नही पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	परिवार की शिक्षा (A)	परिवार के व्यवसाय (B)	परिवार के आकार (C)	A x B	A x C	B x C	A x B x C
F	1.06	1.66	0.21	0.26	0.41	1.09	0.21
सार्थकता	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता, * 0.05 स्तर पर सार्थकता, NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार और परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

4.02.6 विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति, एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के दो स्तर (शहरी एवं ग्रामीण) तथा विद्यालय की जिलेवार स्थिति के चार स्तर (अध्ययन में चयनित चारों जिले) है । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 4 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.6 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.6 : विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 4 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति (शहरी/ग्रामीण) (A)	1	64.03	64.03	1.18
जिलेवार विद्यालय की स्थिति (B)	3	4287.56	1429.19	26.35**
A x B	3	740.86	246.95	4.55**
त्रुटि	1192	64655.37	54.24	
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.6 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) के लिये 'F' का मान 1.18 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.6 से) । इसका अर्थ है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता हैं । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के अनुसार विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क.	विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे	उपस्थिति माध्य	पदों की संख्या
1	शहरी विद्यालय के बच्चे	81.91	400
2	ग्रामीण विद्यालय के बच्चे	81.42	800

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के उपस्थिति माध्य में सार्थक अन्तर दिखाई नहीं देता है ।

तालिका क्रमांक 4.6 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की जिलेवार स्थिति के लिए 'F' का मान 26.35 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यालय की जिलेवार स्थिति का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यालय की जिलेवार स्थिति का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा, निरस्त की जाती है । विद्यालय की जिलेवार स्थिति के आधार पर विद्यार्थियों के उपस्थिति माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्रमांक	जिलेवार विद्यालय की स्थिति	उपस्थिति माध्य	पदों की संख्या
1	चित्रकूट	78.85	300
2	महोबा	80.92	300
3	बाँदा	84.24	300
4	हमीरपुर	82.63	300

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है, कि बॉदा जिले के विद्यार्थियों का उपस्थिति माध्य सबसे अधिक तथा चित्रकूट जिले के विद्यार्थियों का उपस्थिति माध्य सबसे कम है । सभी जिलों के उपस्थिति माध्य में सार्थक अन्तर दिखाई देता है ।

तालिका क्रमांक 4.6 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 4.55 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.6 से) । इसका अर्थ है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, निरस्त की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.6 से) -

- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

* विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	**विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) (A)**	**विद्यालय की जिलेवार स्थिति (B)**	**A x B**
F	1.18	26.35	4.55
सार्थकता	NS	**	**

** 0.01 स्तर पर सार्थकता, * 0.05 स्तर पर सार्थकता, NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति तथा विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.7 विद्यार्थी की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें लिंग दो स्तर(बालक एवं बालिका), जाति के तीन स्तर(सामान्य जाति, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति) एवं परिवार की आय के तीन स्तर(उच्च, मध्यम एवं निम्न आय परिवार) है । इसको ध्यान में रखते हुए प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 3 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.7 में दिये है ।

तालिका क्रमांक 4.7 : विद्यार्थियों की लेखन दक्षता के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 3 x 3 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
लिंग (A)	1	1008.16	214.96	17.93**
जाति (B)	2	429.92	109.96	3.82*
परिवार की आय (C)	2	219.92	16.19	1.96
A x B	2	32.37	31.72	0.29
A x C	2	63.45	3.22	0.56
B x C	4	12.88	54.80	0.06
A x B x C	4	219.22	56.24	0.98
त्रुटि	1182	66470.43		
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.7 से ज्ञात होता है कि लिंग के लिए 'F' का मान 17.93 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की लेखन

दक्षता पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । विद्यार्थियों की लेखन दक्षता के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि लड़कियों का लेखन दक्षता माध्य 63.54 (n = 576) है, जो कि लड़कों के लेखन दक्षता माध्य (माध्य का मान 61.69 , n = 624) अंक की तुलना में अधिक है । अतः कहा जा सकता है विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.7 से ज्ञात होता है कि जाति के लिए 'F' का मान 3.82 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । विद्यार्थियों की लेखन दक्षता के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सामान्य जाति के विद्यार्थियों का लेखन दक्षता माध्य 63.46 (n = 624) है, जबकि पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों का लेखन दक्षता माध्य क्रमशः 62.16 (n = 406) एवं 62.23 (n = 380) है । अर्थात माध्यों में सार्थक अन्तर दिखाई पड़ता है । अतः कहा जा सकता है कि जाति का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता में सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.7 से ज्ञात होता है कि परिवार की आय के लिए 'F' का मान 1.96 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की आय का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । विद्यार्थियों की लेखन दक्षता के माध्यों को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते हैं-

क्र.	परिवार की आय	लेखन दक्षता माध्य	पदों की संख्या
1	उच्च आय परिवार (मासिक आय 5000 या अधिक)	63.24	346
2	मध्य आय परिवार (मासिक आय 5000 से कम तथा 3000 से अधिक)	62.26	416
3	निम्न आय परिवार (मासिक आय 3000 या कम)	62.34	438

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि मध्यम आय एवं निम्न आय परिवार के विद्यार्थियों के लेखन दक्षता माध्य लगभग समान है, जबकि उच्च आय परिवार के विद्यार्थियों का लेखन दक्षता माध्य दोनो आय परिवार के विद्यार्थियों से थोड़ा अधिक है ।

तालिका क्रमांक 4.7 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.29 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.7 से) । इसका अर्थ है कि लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.7 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.56 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.7 से) । इसका अर्थ है कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.7 से ज्ञात होता है कि जाति एवं परिवार के आय की बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.06 है जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.7 से) । इसका अर्थ है कि जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.7 से ज्ञात होता है कि लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया के लिए 'F' का मान 0.98 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.7 से) । इसका अर्थ है कि लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.7 से) -

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तक्रिया का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	लिंग (A)	जाति (B)	आय (C)	A x B	A x C	B x C	A x B x C
F	17.93	3.82	1.96	0.29	0.56	0.06	0.98
सार्थकता	**	**	NS	NS	NS	NS	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर लिंग तथा जाति का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि परिवार की आय; लिंग एवं जाति, लिंग एवं परिवार की आय, जाति एवं परिवार की आय तथा लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तक्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.8 विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार के तीन-तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 3 x 3 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.8 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.8 : विद्यार्थियों की लेखन दक्षता के लिए प्रसरण विश्लेषण की 3x 3 x 3 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
परिवार की शिक्षा (A)	2	1360.12	680.06	12.26**
परिवार का व्यवसाय (B)	2	316.60	158.30	2.85*
परिवार का आकार (C)	2	22.88	11.44	0.21
A x B	4	713.32	178.33	3.22**
A x C	4	115.01	28.75	0.52
B x C	4	210.68	52.67	0.95
A x B x C	8	697.86	87.23	1.57
त्रुटि	1173	65051.29	55.46	
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.8 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा के लिये 'F' का मान 12.26 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.8 से) ।

इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि, परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । परिवार की शिक्षावार विद्यार्थियों की लेखन दक्षता माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्र.	परिवार की शिक्षा	लेखन दक्षता माध्य	पदों की संख्या
1	प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार	64..34	351
2	प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त परिवार	62.27	495
3	निरक्षर परिवार	61.37	354

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार के विद्यार्थियों का लेखन दक्षता माध्य सबसे अधिक (माध्य = 64.34, n = 351) है, जबकि प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त एवं निरक्षर परिवार के विद्यार्थियों का लेखन दक्षता माध्य क्रमशः 62.27 (n = 495) तथा 61.37 (n = 354) है । अर्थात लेखन दक्षता माध्य में सार्थक अंतर दिखाई देता है ।

तालिका क्रमांक 4.8 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय के लिए 'F' का मान 2.85 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के व्यवसाय का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । परिवार के व्यवसायवार विद्यार्थियों की लेखन दक्षता माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्रमांक	परिवार का व्यवसाय	लेखन दक्षता माध्य	पदों की संख्या
1	व्यापारी एवं नौकरी वर्ग परिवार	63.38	298
2	कृषक वर्ग परिवार	62.66	442
3	मजदूर वर्ग परिवार	61.93	460

विद्यार्थियों के परिवार के व्यवसायवार लेखन दक्षता के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि नौकरी एवं व्यवसायी परिवार के विद्यार्थियों की लेखन दक्षता माध्य 63.38 है (n = 298), जो कि कृषक परिवार के विद्यार्थियों के माध्य लेखन दक्षता माध्य (माध्य का मान 62.66, n = 442) अंक से अधिक है । जबकि मजदूर परिवार के विद्यार्थियों के लेखन दक्षता माध्य 61.93 (n = 460) है, जो उपर्युक्त दोनेां माध्य से कम है । अतः कहा जा सकता है विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.8 से ज्ञात होता है कि परिवार के आकार के लिए 'F' का मान 0.21 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के आकार का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । परिवार का आकार के आधार पर विद्यार्थियों की लेखन दक्षता के माध्यों को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं-

कमांक	परिवार का आकार	लेखन दक्षता माध्य	पदो की संख्या
1	छोटा आकार समूह (सदस्यों की संख्या 6 से कम है)	62.57	514
2	मध्यम आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 या 6 है)	62.86	430
3	बड़ा आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है)	62.54	256

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के परिवार के विद्यार्थियों के उपस्थिति माध्य में सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । अतः कहा जा सकता है कि परिवार के आकार का विद्यार्थियों के लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.8 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 3.22 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.8 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, निरस्त की जाती है । अतः हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.8 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.52 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.8 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.8 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.95 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.8 से) । इसका अर्थ है कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर कोई सार्थक प्रभाव

नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.8 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया के लिए 'F' का मान 1.57 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.8 से) । इसका अर्थ है परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.8 से) -

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	परिवार की शिक्षा (A)	परिवार के व्यवसाय (B)	परिवार के आकार (C)	A x B	A x C	B x C	A x B x C
F	12.26	2.85	0.21	3.22	0.52	0.95	1.57
सार्थकता	**	*	NS	**	NS	NS	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता, * 0.05 स्तर पर सार्थकता, NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय तथा परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तक्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि परिवार के आकार और परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.9 विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति, एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के दो स्तर (शहरी एवं ग्रामीण) तथा विद्यालय की जिलेवार स्थिति के चार स्तर (अध्ययन में चयनित चारों जिले है) है । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 4 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.9 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.9 : विद्यार्थियों की लेखन दक्षता के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 4 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) (A)	1	376.04	376.04	6.63**
जिलेवार विद्यालय की स्थिति (B)	3	378.43	126.14	2.23
A x B	3	113.47	37.82	0.67
त्रुटि	1192	67572.38	56.69	
योग	1199			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.9 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) के लिये 'F' का मान 6.63 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.9 से) । इसका अर्थ है कि विद्यालय की क्षेत्रवार

स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के अनुसार विद्यार्थियों की लेखन दक्षता माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क.	विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी	लेखन दक्षता माध्य	पदों की संख्या
1	शहरी विद्यालय के विद्यार्थी	63.34	400
2	ग्रामीण विद्यालय के विद्यार्थी	62.16	800

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों का लेखन दक्षता 63.34 ($n = 400$) है, जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लेखन दक्षता माध्य (माध्य = 52.1, $n = 400$) से अधिक है ।

तालिका क्रमांक 4.9 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की जिलेवार स्थिति के लिए 'F' का मान 2.23 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यालय की जिलेवार स्थिति का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । विद्यालय की जिलेवार स्थिति के आधार पर विद्यार्थियों की लेखन दक्षता माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है -

क्रमांक	विद्यालय की जिलेवार स्थिति	लेखन दक्षता माध्य	पदो की संख्या
1	चित्रकूट	62.48	300
2	महोबा	63.08	300
3	बॉदा	61.93	300
4	हमीरपुर	63.50	300

उपरोक्त तालिका में जिलेवार दिये गये विद्यार्थियों के लेखन दक्षता माध्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की जिलेवार लेखन दक्षता माध्य लगभग आस-पास है । हमीरपुर एवं महोबा जिलों के विद्यार्थियों की लेखन दक्षता माध्य लगभग समान है । अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता माध्य में विद्यालय की जिलेवार स्थिति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.9 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.67 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.9 से) । इसका अर्थ है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति (शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.9 से) -

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) (A)	विद्यालय की जिलेवार स्थिति (B)	A x B
F	6.63	2.23	0.67
सार्थकता	**	NS	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता, * 0.05 स्तर पर सार्थकता, NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि विद्यालय की जिलेवार स्थिति तथा विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.10 विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें लिंग के दो स्तर, जाति एवं परिवार की आय के तीन-तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुए प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 3 x 3 Factorial Design MANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.10 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.10 : विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 3 x 3 की Factorial Design MANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	आश्रित चर	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
लिंग (A)	भाषा	1	199.31	199.31	5.64**
	गणित	1	260.70	260.70	6.57**
	पर्यावरण अध्ययन	1	310.20	310.20	8.07**
जाति (B)	भाषा	2	57.85	28.93	0.82
	गणित	2	148.29	74.15	1.87
	पर्यावरण अध्ययन	2	217.07	108.53	2.83
परिवार की आय (C)	भाषा	2	215.35	107.67	3.05*
	गणित	2	849.81	424.90	10.70**
	पर्यावरण अध्ययन	2	362.95	181.47	4.72**
A x B	भाषा	2	526.23	263.12	7.44**
	गणित	2	286.22	143.11	3.60*
	पर्यावरण अध्ययन	2	190.75	95.37	2.48
A x C	भाषा	2	326.76	163.38	4.62**
	गणित	2	188.03	94.02	2.37
	पर्यावरण अध्ययन	2	113.76	56.88	1.48
B x C	भाषा	4	849.49	212.37	6.01**

	गणित	4	1680.00	420.00	10.58**
	पर्यावरण अध्ययन	4	1120.48	280.12	7.29**
A x B x C	भाषा	4	673.34	168.34	4.76**
	गणित	4	1000.09	250.02	6.30**
	पर्यावरण अध्ययन	4	827.81	206.95	5.39**
त्रुटि	भाषा	1181	41764.81		
	गणित	1181	46890.02		
	पर्यावरण अध्ययन	1181	45376.53		
योग	भाषा	1198			
	गणित	1198			
	पर्यावरण अध्ययन	1198			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.10 से ज्ञात होता है कि लिंग के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 5.64, 6.57 एवं 8.07 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । विद्यार्थियों की लिंग के आधार पर विषयवार उपलब्धि स्तर के माध्यों का अवलोकन करने से हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं -

क्रमांक	लिंग	विषयवार उपलब्धि माध्य					
		भाषा		गणित		पर्यावरण	
		माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या
1	बालक	56.52	624	54.24	624	57.20	624
2	बालिका	57.34	576	55.17	576	58.23	576
	सम्मिलित	56.93	1200	54.71	1200	57.71	1200

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों विषयों (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन) में लड़कियों का उपलब्धि स्तर माध्य लड़कों की तुलना में अधिक है । विषयवार उपलब्धि स्तर माध्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लड़कों

एवं लड़कियों दोनों का पर्यावरण अध्ययन में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, फिर भाषा विषय का उपलब्धि स्तर माध्य है । गणित विषय का उपलब्धि स्तर माध्य दोनों विषयों के उपलब्धि स्तर माध्य से कम है ।

तालिका क्रमांक 4.10 से ज्ञात होता है कि जाति के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 0.82, 1.87 एवं 2.83 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । विद्यार्थियों की जाति के आधार पर विषयवार उपलब्धि स्तर के माध्यों का अवलोकन करने से हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं -

क्रमांक	जाति	विषयवार उपलब्धि माध्य					
		भाषा		गणित		पर्यावरण	
		माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या
1	सामान्य	57.22	414	55.05	414	58.23	414
2	पिछड़ी जाति	56.70	406	54.22	406	57.74	406
3	अनु./जन जाति	56.88	380	54.84	380	57.18	380
	सम्मिलित	56.93	1200	54.71	1200	57.71	1200

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों विषयों (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन) के उपलब्धि स्तर माध्य में सामान्य, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचितजाति/जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों दोनों का पर्यावरण अध्ययन में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, फिर भाषा विषय का उपलब्धि स्तर माध्य है । गणित विषय का उपलब्धि स्तर माध्य दोनों विषयों के उपलब्धि स्तर माध्य से कम है, जबकि जातिवार उपलब्धि स्तर माध्य में सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । अतः हम कह सकते है कि जाति के आधार पर विषयवार उपलब्धि स्तर माध्य में सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.10 से ज्ञात होता है कि परिवार की आय के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 3.05, 10.70 एवं 4.72 है, जो कि क्रमशः 0.01, 0.01 एवं 0.05 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की आय का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । विद्यार्थियों की परिवार के आय के आधार पर विषयवार उपलब्धि स्तर के माध्यों का अवलोकन करने से हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं -

क्रमांक	परिवार की आय	विषयवार उपलब्धि माध्य					
		भाषा		गणित		पर्यावरण	
		माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या
1	उच्च आय परिवार (मासिक आय 5000 या अधिक)	57.52	346	55.64	346	58.08	346
2	मध्य आय परिवार (मासिक आय 5000 से कम तथा 3000 से अधिक)	56.81	416	54.88	416	58.11	416
3	निम्न आय परिवार (मासिक आय 3000 या कम)	56.47	438	53.59	438	56.95	438
	सम्मिलित	56.93	1200	54.71	1200	57.71	1200

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों विषयों (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन) के उपलब्धि स्तर माध्य में उच्च, मध्यम एवं निम्न आय परिवार के विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, फिर भाषा विषय का उपलब्धि स्तर माध्य है । गणित विषय का उपलब्धि स्तर माध्य दोनों विषयों के उपलब्धि स्तर माध्य से कम है, जबकि परिवार की आय के आधार पर विषयवार उपलब्धि स्तर माध्य में सार्थक अंतर दिखाई देता है । इस प्रकार हम कह सकते है कि विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की आय सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.10 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा एवं गणित के लिए 'F' का मान क्रमशः 7.44, 3.64 है, जो कि क्रमशः 0.01 एवं 0.05 स्तर पर सार्थक है, जबकि पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान 2.48 है जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की भाषा एवं गणित की उपलब्धि स्तर पर लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि पर्यावरण अध्ययन पर लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, में भाषा एवं गणित विषय के लिए, 'निरस्त' तथा पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए, 'मान्य' की जाती है ।

तालिका क्रमांक 4.10 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा के लिए 'F' का मान 4.62 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है, जबकि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 2.37 एवं 1.48 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की भाषा की उपलब्धि स्तर पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन पर लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, में भाषा विषय के लिए 'निरस्त' तथा गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए 'मान्य' की जाती है ।

तालिका क्रमांक 4.10 से ज्ञात होता है कि जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 6.01, 10.58 एवं 7.29 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है ।

इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । अतः हम कह सकते है कि जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.10 से ज्ञात होता है कि लिंग, जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 4.76, 6.30 एवं 5.39 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.10 से) -

- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का भाषा एवं गणित विषय सार्थक प्रभाव पड़ता है जबकि पर्यावरण अध्ययन विषय पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का भाषा विषय पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय पर सार्थक प्रभाव नहीं पडता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

विषय	मूल्य	लिंग (A)	जाति (B)	आय (C)	A x B	A x C	B x C	A x B x C
भाषा	F	5.64	0.82	3.05	7.44	4.62	6.01	4.76
	सार्थकता	**	NS	*	**	**	**	**
गणित	F	6.57	1.87	10.70	3.60	2.37	10.58	6.30
	सार्थकता	**	NS	**	*	NS	**	**
पर्यावरण अध्ययन	F	8.07	2.83	4.72	2.48	1.48	7.29	5.39
	सार्थकता	**	NS	**	NS	NS	**	**

** 0.01 स्तर पर सार्थकता   * 0.05 स्तर पर सार्थकता   NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति, परिवार की आय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर -

- भाषा विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय तथा लिंग एवं जाति, लिंग एवं परिवार की आय, जाति एवं परिवार की आय; लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि जाति पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।
- गणित विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय तथा लिंग एवं जाति, जाति एवं परिवार की आय; लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि जाति तथा लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।
- पर्यावरण अध्ययन विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय तथा जाति एवं परिवार की आय; लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि जाति तथा लिंग एवं जाति, लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.11 विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार के तीन-तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 3 x 3 x 3 Factorial Design MANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.11 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.11 : विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर के लिए प्रसरण विश्लेषण की 3x 3 x 3 की Factorial Design MANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	आश्रित चर	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
परिवार की शिक्षा (A)	भाषा	1	518.98	259.49	7.32**
	गणित	1	1419.81	709.91	17.58**
	पर्यावरण अध्ययन	1	714.77	357.38	9.24**
परिवार के व्यवसाय (B)	भाषा	2	843.05	421.53	11.89**
	गणित	2	898.13	449.06	11.12**
	पर्यावरण अध्ययन	2	857.00	428.50	11.08**
परिवार का आकार (C)	भाषा	2	26.07	13.03	0.37
	गणित	2	186.36	93.18	2.31
	पर्यावरण अध्ययन	2	103.01	51.51	1.33
A x B	भाषा	4	125.89	31.47	0.89
	गणित	4	199.97	49.99	1.24
	पर्यावरण अध्ययन	4	75.01	18.75	0.49
A x C	भाषा	4	205.19	51.30	1.45
	गणित	4	25.48	6.37	0.16
	पर्यावरण अध्ययन	4	187.89	46.97	1.22

B x C	भाषा	4	566.74	141.69	4.00**
	गणित	4	204.77	51.19	1.27
	पर्यावरण अध्ययन	4	334.56	83.64	2.16
A x B x C	भाषा	8	301.59	37.70	1.06
	गणित	8	519.16	64.90	1.61
	पर्यावरण अध्ययन	8	247.92	30.99	0.80
त्रुटि	भाषा	1172	41539.94		
	गणित	1172	47338.14		
	पर्यावरण अध्ययन	1172	45318.29		
योग	भाषा	1198			
	गणित	1198			
	पर्यावरण अध्ययन	1198			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.11 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 7.32, 17.58 एवं 9.24 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । विद्यार्थियों की परिवार की शिक्षा के आधार पर विषयवार उपलब्धि स्तर के माध्यों का अवलोकन करने से हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं -

क्रमांक	परिवार की शिक्षा	विषयवार उपलब्धि माध्य					
		भाषा		गणित		पर्यावरण	
		माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या
1	प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार	58.05	351	56.39	351	59.05	351
2	प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त परिवार	56.48	495	54.52	495	57.52	495
3	निरक्षर परिवार	56.41	354	53.31	354	56.91	354
	सम्मिलित	56.98	1200	54.74	1200	57.82	1200

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों विषयों (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन) में प्राथमिक से ऊपर शिक्षा प्राप्त परिवार के विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, जबकि निरक्षर परिवार के विद्यार्थियों का विषयवार उपलब्धि स्तर सबसे कम है। विषयवार उपलब्धि स्तर माध्य के अवलोकन से ज्ञात होता है, सभी परिवार के विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, फिर भाषा विषय का उपलब्धि स्तर माध्य है। गणित विषय का उपलब्धि स्तर माध्य दोनों विषयों के उपलब्धि स्तर माध्य से कम है।

तालिका क्रमांक 4.11 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 11.89, 11. 12 एवं 11.08 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के व्यवसाय का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है। विद्यार्थियों के परिवार के व्यवसाय के आधार पर विद्यार्थियों के विषयवार उपलब्धि स्तर के माध्यों का अवलोकन करने से हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं -

कमांक	परिवार का व्यवसाय	विषयवार उपलब्धि माध्य					
		भाषा		गणित		पर्यावरण	
		माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या
1	व्यापारी एवं नौकरी वर्ग परिवार	58.09	298	56.01	298	298	298
2	कृषक वर्ग परिवार	57.09	442	54.63	442	442	442
3	मजदूर वर्ग परिवार	55.76	460	53.57	460	460	460
	सम्मिलित	56.98	1200	54.73	1200	57.82	1200

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तीनों विषयों (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन) के उपलब्धि स्तर माध्य में व्यापारी एवं नौकरी, कृषक तथा मजदूर वर्ग

परिवार के विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, फिर भाषा विषय का उपलब्धि स्तर माध्य है । गणित विषय का उपलब्धि स्तर माध्य दोनों विषयों के उपलब्धि स्तर माध्य से कम है । यदि परिवार के व्यवसाय के आधार पर देखा जाय तो व्यापारी एवं नौकरी वर्ग परिवार के बच्चों का सभी विषय में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, जबकि मजदूर वर्ग परिवार के बच्चों का सभी विषय में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे कम है ।

तालिका क्रमांक 4.11 से ज्ञात होता है कि परिवार के आकार के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 0.37 2.31 एवं 1.33 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के आकार का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । विद्यार्थियों के परिवार के आकार के आधार पर विषयवार उपलब्धि स्तर के माध्यों का अवलोकन करने से हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं -

क्रमांक	परिवार का आकार	विषयवार उपलब्धि माध्य					
		भाषा		गणित		पर्यावरण	
		माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या
1	छोटा आकार समूह (सदस्यों की संख्या 6 से कम है)	57.15	514	55.15	514	58.16	514
2	मध्यम आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 या 6 हैं)	57.04	430	54.22	430	57.47	430
3	बड़ा आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है)	56.74	256	54.84	256	57.85	256
	सम्मिलित	56.98	1200	54.74	1200	57.83	1200

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों विषयों (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन) में छोटे, मध्ययम एवं बड़े आकार के परिवार के विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, फिर भाषा विषय का उपलब्धि स्तर माध्य है । गणित विषय का उपलब्धि स्तर माध्य दोनों विषयों के उपलब्धि स्तर माध्य से कम है । परिवार के आकार के आधार पर उपलब्धि स्तर माध्य में सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है, अर्थात माध्य लगभग समान है ।

तालिका क्रमांक 4.11 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 0.89, 1.24 एवं 0.49 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है ।

तालिका क्रमांक 4.11 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण विषय के लिए के लिए 'F' का मान क्रमशः 1.45, 0.16 एवं 1.22 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है ।

तालिका क्रमांक 4.11 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 4.00, 1.27 एवं 2.16 है । अर्थात भाषा के लिए 0.01 स्तर पर सार्थक है, जबकि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की भाषा विषय उपलब्धि स्तर पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय के उपलब्धि स्तर पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.11 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 1.06, 1.61 एवं 0.80 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.11 से) -

- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पडता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया के आधार पर भाषा विषय के उपलब्धि स्तर में सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषयके उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

विषय	मूल्य	परिवार की शिक्षा (A)	परिवार का व्यवसाय (B)	परिवार का आकार (C)	A x B	A x C	B x C	A x B x C
भाषा	F	7.32	11.89	0.37	0.89	1.45	4.00	1.06
	सार्थकता	**	**	NS	NS	NS	**	NS
गणित	F	17.58	11.12	2.31	1.24	0.16	1.27	1.61
	सार्थकता	**	**	NS	NS	NS	NS	NS
पर्यावरण अध्ययन	F	9.24	11.08	1.33	0.49	1.22	2.16	0.80
	सार्थकता	**	**	NS	NS	NS	NS	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर -

- भाषा विषय के उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय और परिवार के व्यवसाय एवं आकार के बीच अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि परिवार के आकार और परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- गणित विषय के उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा और परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि परिवार के आकार और परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है ।
- पर्यावरण अध्ययन विषय के उपलब्धि स्तर पर में परिवार की शिक्षा और परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि परिवार के आकार और परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार का आकार के बीच की अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

4.02.12 विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार (शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के दो स्तर (शहरी एवं ग्रामीण) तथा विद्यालय की जिलेवार स्थिति के चार स्तर (अध्ययन में चयनित चारों जिले) है । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 4 Factorial Design MANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.12 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.12 : विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 4 की Factorial Design MANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	आश्रित चर	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति (A)	भाषा	1	22.76	22.76	0.61
	गणित	1	12.20	12.20	0.29
	पर्यावरण अध्ययन	1	80.14	80.14	1.99
जिलेवार विद्यालय की स्थिति (B)	भाषा	3	92.65	30.88	0.83
	गणित	3	82.25	27.42	0.64
	पर्यावरण अध्ययन	3	368.38	122.79	3.05*
A x B	भाषा	3	147.01	49.00	1.32
	गणित	3	170.00	56.67	1.32
	पर्यावरण अध्ययन	3	34.07	11.36	0.28
त्रुटि	भाषा	1191	44123.08		
	गणित	1191	51009.22		
	पर्यावरण अध्ययन	1191	47976.69		
योग	भाषा	1198			
	गणित	1198			
	पर्यावरण अध्ययन	1198			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.12 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के आधार पर भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान क्रमशः 0.61, 0.29 एवं 1.99 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के आधार पर विद्यार्थियों के विषयवार उपलब्धि स्तर के माध्यों का अवलोकन करने से हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं -

क्रमांक	विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति	विषयवार उपलब्धि माध्य					
		भाषा		गणित		पर्यावरण	
		माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या
1	शहरी क्षेत्र के विद्यालय	57.08	400	54.75	400	58.04	400
2	ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय	56.78	800	54.54	800	57.49	800
	सम्मिलित	56.93	1200	54.65	1200	59.77	1200

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों विषयों (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन) के विषयवार उपलब्धि स्तर माध्य मेंविद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का सार्थक अन्तर दिखाई नहीं देता है । दोनों क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण)के विद्यालयों के विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, फिर भाषा विषय के उपलब्धि स्तर माध्य है । गणित विषय का उपलब्धि स्तर माध्य दोनों विषयों के उपलब्धि स्तर माध्य से कम है ।

तालिका क्रमांक 4.12 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की जिलेवार स्थिति के आधार पर भाषा एवं गणित के लिए 'F' का मान क्रमशः 0.83 एवं 0.64 है, जो कि सार्थक नहीं है । जबकि पर्यावरण अध्ययन के लिए 'F' का मान 3.05 है , जो

कि 0.05 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का भाषा एवं गणित विषय में सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि पर्यावरण अध्ययन विषय में सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यालय की जिलेवार स्थिति का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, में भाषा एवं गणित विषय के लिए 'मान्य' की जाती है, जबकि पर्यावरण अध्ययन बिषय के लिए, निरस्त की जाती है । विद्यालय की जिलेवार स्थिति के आधार पर विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर के माध्यों का अवलोकन करने से हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं -

कमांक	जिलेवार विद्यालय की स्थिति	विषयवार उपलब्धि माध्य					
		भाषा		गणित		पर्यावरण	
		माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या	माध्य	पदों की संख्या
1	चित्रकूट	57.42	300	54.77	300	58.56	300
2	महोबा	56.78	300	54.57	300	57.74	300
3	बाँदा	56.88	300	54.24	300	57.86	300
4	हमीरपुर	56.64	300	55.00	300	56.91	300
	सम्मिलित	56.93	1200	54.65	1200	57.77	1200

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि भाषा एवं गणित के उपलब्धि स्तर माध्य चारों जिले के विद्यालयों के विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर माध्य में कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है, जबकि पर्यावरण अध्ययन में दिखाई देता है । चारों जिले के विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन में उपलब्धि स्तर माध्य सबसे अधिक है, फिर भाषा विषय का उपलब्धि स्तर माध्य है । गणित विषय का उपलब्धि स्तर माध्य देानों विषयों के उपलब्धि स्तर माध्य से कम है ।

तालिका क्रमांक 4.12 से ज्ञात होता है कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा एवं गणित के

लिए 'F' का मान क्रमशः 1.32, 1.32 एवं 0.28 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है ।

निष्कर्ष: विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार (शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.12 से) -

- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का भाषा एवं गणित विषय में सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि पर्यावरण अध्ययन विषय में सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश : विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार (शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

विषय	मूल्य	विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति (A)	विद्यालय की जिलेवार स्थिति (B)	A x B
भाषा	F	0.61	0.83	1.32
	सार्थकता	NS	NS	NS
गणित	F	0.29	0.64	1.32
	सार्थकता	NS	NS	NS
पर्यावरण अध्ययन	F	1.99	3.05	0.28
	सार्थकता	NS	*	NS

विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार (शहरी/ग्रामीण), विद्यालय की जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । विद्यार्थियों की जिलेवार स्थिति में भाषा एवं गणित विषय में सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया, जबकि पर्यावरण अध्ययन विषय में सार्थक प्रभाव पाया गया । विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।

4.02.13 विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव पर लिंग, जाति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव पर लिंग, जाति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें लिंग के दो एवं जाति के तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 2 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.13 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.13 : विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 3 की Factorial Desig ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
लिंग (A)	1	25.87	25.87	10.24**
जाति (B)	2	37.51	18.76	7.43**
A x B	2	2.62	1.31	0.52
त्रुटि	234	591.15		
योग	239			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.13 से ज्ञात होता है कि लिंग के लिए 'F' का मान 10.24 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । विद्यार्थियों के ठहराव के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि लड़कियों का ठहराव माध्य 88.56, (n = 120) है, जो कि लड़कों के ठहराव माध्य (माध्य का मान 87.91, n = 120) अंक की तुलना में अधिक है । अत: कहा जा सकता है विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.13 से ज्ञात होता है कि जाति के लिए 'F' का मान 7.43 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के ठहराव पर जाति का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जाति का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नही पड़ता, निरस्त की जाती है । विद्यार्थियों के ठहराव के माध्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सामान्य जाति के विद्यार्थियों के ठहराव माध्य 88.79 (n = 80) है, जबकि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों का ठहराव माध्य क्रमशः 8.04,(n = 80) एवं 87.88, (n = 80) है । अर्थात माध्यों में सार्थक अन्तर दिखाई पड़ता है । अतः कहा जा सकता है कि जाति का विद्यार्थियों की ठहराव में सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.13 से ज्ञात होता है कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 0.52 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.13 से) । इसका अर्थ है कि लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

निष्कर्षः-

विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग, जाति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.13 से) -

- विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर जाति का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	लिंग (A)	जाति (B)	A x B
F	10.24	7.43	0.52
सार्थकता	**	**	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग, जाति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर लिंग और जाति का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.14 विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के तीन-तीन स्तर है । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 3 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.14 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.14 : विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव के लिए प्रसरण विश्लेषण की 3x 3 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
परिवार की शिक्षा (A)	2	16.19	8.09	3.22*
परिवार का व्यवसाय (B)	2	80.60	40.30	16.01**
A x B	4	4.45	1.11	0.44
त्रुटि	351	883.51		
योग	360			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.14 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा के लिये 'F' का मान 3.22 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है (तालिका क्रमांक 4.14 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि, परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'निरस्त' की जाती है । अतः हम यह कह सकते हैं कि परिवार की शिक्षा का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव पड़ता

है । परिवार की शिक्षावार विद्यार्थियों के ठहराव माध्य के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक से ऊपर की शिक्षा प्राप्त परिवार के विद्यार्थियों का ठहराव माध्य दर सबसे अधिक (माध्य = 88.26, n = 120) है, जबकि निरक्षर परिवार के विद्यार्थियों का ठहराव माध्य सबसे कम (माध्य = 87.75, n = 120) है ।

तालिका क्रमांक 4.14 से ज्ञात होता है कि परिवार के व्यवसाय के लिए 'F' का मान 16.01 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के व्यवसाय का विद्यार्थियों ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, निरस्त की जाती है । परिवार के व्यवसायवार विद्यार्थियों के ठहराव माध्य का अवलोकन करने से ज्ञात होता है, कि नौकरी एवं व्यवसायी परिवार के विद्यार्थियों का ठहराव माध्य 88.51 (n = 120) है, जो कि कृषक परिवार के विद्यार्थियों के माध्य ठहराव (माध्य का मान 88.04, n = 120) अंक से अधिक है । जबकि मजदूर परिवार के विद्यार्थियों के ठहराव माध्य 87.36, (n = 120) है, जो उपर्युक्त दोनेां माध्य से कम है । अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.14 से ज्ञात होता है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तक्रिया के 'F' का मान 0.44 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.14 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तक्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तक्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नही पड़ता है ।

निष्कर्ष:-

विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.14 से) -

- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	परिवार की शिक्षा (A)	परिवार के व्यवसाय (B)	A x B
F	3.22	16.01	0.44
सार्थकता	*	**	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता, * 0.05 स्तर पर सार्थकता, NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर परिवार की शिक्षा और परिवार के व्यवसाय का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव दिखाई देता है, जबकि परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.02.15 विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव पर परिवार की आय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ।

इस शोध कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव पर परिवार की आय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना है । इसमें परिवार के आय एवं परिवार के आकार के तीन-तीन स्तर हैं । इसको ध्यान में रखते हुये प्रदत्तों का विश्लेषण 3 x 3 Factorial Design ANOVA सांख्यिकी विधि के द्वारा किया गया है । इसके परिणाम तालिका क्रमांक 4.15 में दिये हैं ।

तालिका क्रमांक 4.15 : विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2x 3 की Factorial Design ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
परिवार की आय (A)	2	8.70	4.35	2.02
परिवार का आकार (B)	2	0.58	0.29	0.14
A x B	4	15.19	3.80	1.77
त्रुटि	351	754.25		
योग	359			

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 4.15 से ज्ञात होता है कि परिवार की आय के लिये 'F' का मान 2.02 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.15 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की आय का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि, परिवार की आय का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि परिवार की आय का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । परिवार के आय के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न आय परिवार के विद्यार्थियों का ठहराव माध्य क्रमशः 84.11,(n = 120); 88.45, (n = 120) तथा 88.14, (n = 120)

है । अर्थात माध्यों में अंतर सार्थक दिखाई नहीं देता है । अतः हम कह सकते है कि परिवार की आय का विद्यार्थियों के ठहराव में सार्थक अंतर नहीं पड़ता है ।

तालिका क्रमांक 4.15 से ज्ञात होता है कि परिवार के आकार के लिए 'F' का मान 0.14 है, जो कि सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार के आकार का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, 'मान्य' की जाती है । परिवार के आकार के आधार पर विद्यार्थियों के ठहराव के माध्यों को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं-

कमांक	परिवार का आकार	शैक्षिक उपलब्धि माध्य	पदों की संख्या
1	छोटा आकार समूह (सदस्यों की संख्या 6 से कम है)	88.23	120
2	मध्यम आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 या 6 है)	88.19	120
3	बड़ा आकार समूह(सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है)	88.29	120

उपरोक्त सारणी के अवलोकन करने पर छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के परिवार के विद्यार्थियों का टहराव माध्य क्रमशः 88.23, 88.19 तथा 88.29 है । अर्थात टहराव माध्य में सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है ।

तालिका क्रमांक 4.15 से ज्ञात होता है कि परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के 'F' का मान 1.77 है, जो कि सार्थक नहीं है (तालिका क्रमांक 4.15 से) । इसका अर्थ है कि परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है । इसके परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है,

'मान्य' की जाती है । अतः यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

निष्कर्षः-

विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की आय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए (तालिका क्रमांक 4.15 से) -

- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सारांश :

विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की आय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन सारांश नीचे तालिका में दिया गया है -

मूल्य	परिवार की शिक्षा (A)	परिवार का व्यवसाय (B)	A x B
F	2.2	0.14	1.77
सार्थकता	NS	NS	NS

** 0.01 स्तर पर सार्थकता, * 0.05 स्तर पर सार्थकता, NS सार्थक नहीं है

विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की आय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने पर परिवार की आय, परिवार के आकार तथा परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया का विद्यार्थियों के ठहराव पर सार्थक प्रभाव दिखाई नहीं देता है ।

4.03.0 शोध सार

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरप्रदेश राज्य के चित्रकूट मण्डल के जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय नियमितता(उपस्थिति), लेखन दक्षता, विषयवार उपलब्धि स्तर एवं ठहराव पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इसमें सामाजिक आर्थिक कारकों के अन्तर्गत लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार के व्यवसाय, परिवार की शिक्षा, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के प्रभाव को लिया गया है । अध्ययन में विद्यार्थियों की उपलब्धि, उपस्थिति, लेखन दक्षता एवं ठहराव पर विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव को देखा गया है । इस अध्ययन का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है -

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के प्रथम उददे्श्य में शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव के अध्ययन को लिया गया है । इस अध्ययन में शैक्षिक उपलब्धि से आशय कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रतिशत से लिया गया है । अध्ययन में पाया गया कि शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति, विद्यालय की जिलेवार स्थिति और लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया तथा लिंग, जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पाया गया, जबकि जाति, परिवार के आकार तथा लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के

आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर नहीं पाया गया ।

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के द्वितीय उद्देश्य में विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन लिया गया है । अध्ययन में उपस्थिति से तात्पर्य वार्षिक परीक्षा तक विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में उपस्थिति दिनों की संख्या के प्रतिशत से लिया गया है । इसमें उपस्थिति को कक्षा 5 में विद्यार्थी कितने दिन विद्यालय आया है, के प्रतिशत से लिया गया है । अध्ययन में पाया गया कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, परिवार की आय, विद्यालय की जिलेवार स्थिति और लिंग एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया, लिंग जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया तथा विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति और लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर नहीं पड़ता है ।

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के तृतीय उददेश्य में विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन लिया गया है । अध्ययन में लेखन दक्षता से आशय है कि विद्यार्थी द्वारा भाषा की लेखन दक्षता के लिए बनाये गये उपकरण के आधार पर कितने अंक प्राप्त किए के प्रतिशत से लिया गया है । अध्ययन में पाया गया कि विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति तथा परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि परिवार की आय, परिवार के आकार, विद्यालय की जिलेवार स्थिति तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया, लिग जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

विद्यार्थियों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव

शोध के चतुर्थ उददेश्य में विद्यार्थियों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन किया गया है । विषयवार उपलब्धि के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय में प्राप्त अंक के प्रतिशत से लिया गया है । अध्ययन में पाया गया कि -

- भाषा विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया तथा लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि जाति, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति, विद्यालय की जिलेवार स्थिति और परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, तथा विद्यालय की जिलेवार एवं विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- गणित विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया और लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि जाति, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थित, विद्यालय की जिलेवार स्थिति तथा लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- पर्यावरण अध्ययन विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, विद्यालय की जिलेवार स्थिति तथा जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया और लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि जाति, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति और लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार का आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

विद्यार्थियों के ठहराव पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के पंचम उद्देश्य में बच्चों के ठहराव पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन किया गया है । अध्ययन में पाया गया कि विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग, जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि परिवार की आय, परिवार के आकार तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

अध्याय – पंचम

शोधसार, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय-पंचम

शोधसार, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.01.0 परिचय

शोधसार में सम्पूर्ण अनुसंधान का प्रारम्भ से लेकर अन्त तक का संक्षिप्त लिखित विवरण दिया जाता है । शोधसार में अनुसंधान की समस्या या परिकल्पना का परिचय, अवधारणाओं का विवरण एवं परिभाषा, शोध में प्रयुक्त की गई प्रविधियाँ एवं स्रोत, सामग्री का संकेतीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन, परिकल्पना की सत्यता की जाँच आदि को क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं बोधगम्य विवरण सरल भाषा में दिया जाता है । यह अनुसंधान का अंतिम चरण है । इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों तक अध्ययन का सम्पूर्ण परिणाम पहुँचाना है । शोधसार की सहायता से सम्पूर्ण शोध की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है, उसे पूरे शोध अध्ययन से होकर नहीं गुजरना पड़ता है । शोधसार सम्पूर्ण शोध अध्ययन का संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें शोध कार्य के प्रारम्भ से अंत तक अपनाई गई प्रत्येक गतिविधि तथा उससे प्राप्त परिणामों को एक क्रम में संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाता है । शोधसार के साथ ही अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को क्रम से दिया जाता है । इन निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ता अपनी तरफ से सुझाव प्रस्तुत करता है । अंत में अपने शोध कार्य के अनुभव के आधार पर भावी शोध हेतु समस्याये प्रस्तुत करता है । इस प्रकार शोधसार सम्पूर्ण शोध अध्ययन का एक सक्षिप्त रूप होता है । कभी-कभी कुछ शोधकर्ता शोध अध्ययन के प्रारम्भ में ही लिखते है । इससे शोध प्रतिवेदन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है । प्रस्तुत अध्ययन में शोध सार को अंतिम अध्ययय के रूप में दिया गया है, ।

शोधकर्ता ने "विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति, लेखन दक्षता, एवं ठहराव पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन" किया है । अध्ययन के माध्य से उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मंडल के हमीरपुर,

महोबा, बॉदा एवं चित्रकूट जिलेां के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थिति, लेखन दक्षता एवं ठहराव आदि पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, परिवार की शिक्षा, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति, विद्यालय की जिलेवार स्थिति आदि का प्रभाव देखने का प्रयास किया गया है ।

5.02.0 संक्षेपिका

सम्पूर्ण शोध प्रबंध को पॉच अध्यायों में विभक्त किया गया है । प्रथम अध्याय में शोध परिचय, द्वितीय अध्याय में शोध संबंधित अध्ययन, तृतीय अध्याय में शोध समस्या, प्रविधि एवं प्रक्रिया, चतुर्थ अध्याय में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या एवं पंचम अध्याय में शोध सार, निष्कर्ष एवं सुझाव तथा अंत में संदर्भ ग्रंथ एवं परिशिष्ट में उपयोग किये गये उपकरणों को लिया गया है । अध्यायवार संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है -

5.02.1 अध्याय प्रथम - शोध परिचय

प्रथम अध्याय में प्रस्तावना, प्रारम्भिक शिक्षा : विश्व स्तरीय प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्य, प्रारम्भिक शिक्षा : भारत देश में किये गये प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्य, प्रारम्भिक शिक्षा : उत्तर प्रदेश में किये गये प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्य, प्रारम्भिक शिक्षा : बालिका शिक्षा की प्रगति, प्रारम्भिक शिक्षा : विभिन्न आयोगों की संस्तुतियाँ, प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में भूमंडलीकरण की भूमिका, प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये संवैधानिक प्रावधान, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु उत्तरप्रदेश मे संचालित की गई विभिन्न परियोजनाएं, प्रारम्भिक शिक्षा की चुनौतियां, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु उत्तर प्रदेश में लगाये विभिन्न हस्तक्षेप, शोध अध्ययन हेतु चयनित

जिलों का परिचय, शोध अध्ययन हेतु चयनित जिलों की शैक्षिक प्रगति, प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता, शोध समस्या का कथन, शोध अध्ययन में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या, शोध अध्ययन के उददेश्य, शोध परिकल्पनाये आदि को दर्शाया गया है ।

शोध कथन

''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन''

शोध उद्देश्य

उत्तरप्रदेश राज्य के चित्रकूट मण्डल के जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय नियमितता(उपस्थिति), लेखन दक्षता, विषयवार उपलब्धि स्तर एवं ठहराव पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन के उददेश्य निम्न लिखित हैं-

- शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यार्थियों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।

- विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन ।

शोध कार्य में प्रयुक्त चर

विश्लेषण की सुविधानुसार शोध अध्ययन में चरों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है -

स्वतंत्र चर

लिंगगत	छात्र, छात्रायें
जाति	सामान्य, पिछडा तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
विद्यालय की स्थिति	शहरी एवं ग्रामीण
परिवार की आय	उच्च, मध्यम एवं निम्न आय
परिवार का आकार	बड़ा, मध्यम एवं छोटा परिवार
परिवार का व्यवसाय	नौकरी एवं व्यवपार , कृषक तथा मजदूर
परिवार की शिक्षा	प्राथमिक से ऊपर, प्राथमिक तक, निरक्षर

आश्रित चर

शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थित, लेखन दक्षता, ठहराव, आदि ।

शून्य परिकल्पना

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शून्य परिकल्पनायें निर्धारित की गई हैं -

- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति विद्यालय की जिलेवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता विद्यालय की जिलेवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तक्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार (भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय) शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर जाति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार की शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार के व्यवसाय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार की आय का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

शोध समस्या की सीमाएं

शोध में निम्नलिखित सीमाये निर्धारित की गई है -

- भौगोलिक दृष्टि से इसे उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मंडल के हमीरपुर, महोबा, बॉदा एवं चित्रकूट जिलों के प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित रखा गया ।
- अध्ययन प्राथमिक स्तर के विद्यालयो पर किया गया ।
- अध्ययन में शासकीय विद्यालयों को लिया गया ।
- अध्ययन में शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार के विद्यालयों को लिया गया ।
- अध्ययन में प्रत्येक जिले से 30 विद्यालयों को लिया गया ।
- अध्ययन में बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि, नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव तक सीमित रखा गया ।

5.02.2 अध्याय द्वितीय - शोध संबंधित साहित्य का अध्ययन

द्वितीय अध्याय में शोध समस्या से संबंधित पूर्व में देश एवं विदेश में किये गये अध्ययनों की जानकारी दी गई है ।

5.02.3 अध्याय तृतीय - शोध समस्या, प्रविधि एवं प्रकिया

तृतीय अध्याय में शोध समस्या प्रविधि, न्यायदर्श की विशेषताएं, शोध उपकरण, प्रदत्तों का सरणीयन, प्रदत्तों के संकलन में उत्पन्न कठिनाईयां, प्रयुक्त सांख्यिकी विधियां आदि की जानकारी दी गई है ।

न्यादर्श चयन प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया -

- अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मंडल के हमीरपुर, महोबा, बॉदा एवं चित्रकूट जिलों को लिया गया ।
- प्रत्येक जिले से 30-30 प्राथमिक विद्यालयों का चयन यादृच्छि विधि से किया गया ।
- प्रत्येक विद्यालय से 10-10 विद्यार्थियों को चयनित किया गया । अर्थात कुल 1200 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया ।

न्यादर्श में सम्मिलित विद्यार्थियों की लिंग एवं जातिवार संख्या

क्रमांक	जाति	छात्र	छात्रा	योग	प्रतिशत
1.	सामान्य	214	200	414	34.6
2	पिछड़ी जाति	211	195	406	33.8
3.	अनुसूचित जाति/जन जाति	199	181	380	31.6
	योग	624	576	1200	-
	प्रतिशत	52	48	-	100

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु "माध्य" एवं "प्रसरण विश्लेषण (ANOVA एवं MANOVA)" सांख्यिकी परीक्षणेां का उपयोग किया गया ।

5.02.4 अध्याय चतुर्थ - प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

चतुर्थ अध्याय में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या किया गया है । जिसमें शोध उद्देश्य के आधार पर शून्य परिकल्पनाओं की सार्थकता का अध्ययन किया गया है । प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर उददे्श्यवार शून्य परिकल्पनाओं की सार्थकता ज्ञात की गई, तदोपरान्त उसकी उददे्श्यवार व्याख्या की गई ।

5.02.5 अध्याय पंचम : शोधसार, निष्कर्ष एवं व्याख्या

पंचम अध्याय में शोध सारांश, निष्कर्ष, व्याख्या, सुझाव एवं भावी शोध हेतु समस्यायें दी गई है ।

5.02.6 संदर्भित ग्रंथ एवं परिशिष्ट

शोध के अंत में संदर्भित ग्रंथ एवं परिशिष्ट सूची दी गई है, जिसमे शोर्धकत्री द्वारा शोध में उपयोग किये गये उपकरणों तथा अध्ययन की गयी संदर्भ सामग्री की जानकारी दी गई है ।

5.03.0 शोध निष्कर्ष एवं संक्षिप्तसार

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के संकलन, सारणीयन एवं विश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष एवं उसकी व्याख्या निम्नानुसार है -

5.03.1 शोध निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंण्डल के जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय नियमितता (उपस्थिति), लेखन दक्षता, विषयवार शैक्षिक उपलब्धि स्तर, टहराव आदि पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इसमें सामाजिक आर्थिक कारकेां के अन्तर्गत लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, परिवार की शिक्षा, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति आदि को लिया गया है । इस अध्ययन से उद्‌देश्यवार परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए -

उदद्‌ेश्य 1 : शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने पर निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त हुए -

- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।

- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।

उददे्श्य 2 : विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने पर निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त हुए -

- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।

- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर जिलेवार विद्यालय की स्थिति का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।

उददे्श्य 3 : विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने पर निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त हुए -

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।

- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति(शहरी/ग्रामीण) एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।

उद्देश्य 4 : बच्चों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने पर निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त हुए -

- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर जाति का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव पाया गया ।

- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का भाषा एवं गणित विषय सार्थक प्रभाव पाया गया, जबकि पर्यावरण अध्ययन विषय पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का भाषा विषय पर सार्थक प्रभाव पाया गया है, जबकि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय पर सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया के आधार पर भाषा विषय के उपलब्धि स्तर में सार्थक प्रभाव पाया गया है, जबकि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।

- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया है ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की जिलेवार स्थिति का भाषा एवं गणित विषय में सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया, जबकि पर्यावरण अध्ययन विषय में सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि स्तर पर विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।

उददेश्य 5 : बच्चों के ठहराव पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने पर निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त हुए -

- विद्यार्थियों की ठहराव पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर जाति का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों की ठहराव पर लिंग एवं जाति के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की शिक्षा का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पाया गया ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की आय का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।

- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार के आकार का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।
- विद्यार्थियों के ठहराव पर परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया ।

5.03.2 शोध का संक्षिप्त सार

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरप्रदेश राज्य के चित्रकूट मण्डल के जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय नियमितता(उपस्थिति), लेखन दक्षता, विषयवार उपलब्धि स्तर एवं ठहराव पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इसमें सामाजिक आर्थिक कारकों के अन्तर्गत लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार के व्यवसाय, परिवार की शिक्षा, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के प्रभाव को लिया गया है । अध्ययन में विद्यार्थियों की उपलब्धि, उपस्थिति, लेखन दक्षता एवं ठहराव पर विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव को देखा गया है । इस अध्ययन का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है -

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के प्रथम उददेश्य में शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलेवार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव के अध्ययन को लिया गया है । इस अध्ययन में शैक्षिक उपलब्धि से आशय कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रतिशत से लिया गया है । अध्ययन में 'प्रसरण विश्लेषण' एवं 'माध्य' सांख्यिकी के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग ($F = 7.22, P = 0.01$), परिवार की आय ($F = 6.49, P = 0.01$), परिवार की शिक्षा ($F = 10.35, P = 0.01$), परिवार के व्यवसाय ($F = 14.34, P = 0.01$), विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति ($F = 3.57, P = 0.05$), विद्यालय की जिलेवार स्थिति ($F = 2.93, P = 0.05$) और लिंग एवं जाति के

बीच अन्तर्क्रिया (F = 7.65, P = 0.01), जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया (F = 6.78, P = 0.01) तथा लिंग, जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया (F = 6.43, P = 0.01) का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पाया गया, जबकि जाति, परिवार के आकार तथा लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर नहीं पाया गया ।

विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के द्वितीय उददे्श्य में विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन लिया गया है । अध्ययन में उपस्थिति से तात्पर्य वार्षिक परीक्षा तक विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में उपस्थिति दिनों की संख्या के प्रतिशत से लिया गया है । इसमें उपस्थिति को कक्षा 5 में विद्यार्थी कितने दिन विद्यालय आया है के प्रतिशत से लिया गया है । अध्ययन में 'प्रसरण विश्लेषण' एवं 'माध्य' सांख्यिकी के आधार पर विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग (F = 9.47, P = 0.01), परिवार की आय (F = 5.28, P = 0.01), विद्यालय की जिलेवार स्थिति (F = 26.35, P = 0.01) और लिंग एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया (F = 8.57, P = 0.01), जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया (F = 2.35, P = 0.05), लिंग जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया (F = 4.21, P = 0.01), तथा विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया (F = 4.55, P = 0.01) का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के

आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति, लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर नहीं पड़ता है ।

विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के तृतीय उद्देश्य में विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन लिया गया है । अध्ययन में लेखन दक्षता से आशय है कि विद्यार्थी द्वारा भाषा की लेखन दक्षता के लिए बनाये गये उपकरण के आधार पर कितने अंक प्राप्त किए के प्रतिशत से लिया गया है । अध्ययन में 'प्रसरण विश्लेषण' एवं 'माध्य' सांख्यिकी के आधार पर विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग ($F = 17.93, P = 0.01$), जाति ($F = 3.82, P = 0.01$), परिवार की शिक्षा ($F = 12.26, P = 0.01$), परिवार के व्यवसाय ($F = 2.85, P = 0.05$) विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति ($F = 6.63, P = 0.01$) तथा परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया ($F = 3.22, P = 0.01$) का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि परिवार की आय, परिवार के आकार, विद्यालय की जिलेवार स्थिति तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं विद्यालय की जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया, लिग जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

विद्यार्थियों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के चतुर्थ उद्देश्य में विद्यार्थियों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार, जिलावार स्थिति एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन किया गया है । विषयवार उपलब्धि के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय में प्राप्त अंक के प्रतिशत से लिया गया है । अध्ययन में 'प्रसरण विश्लेषण' एवं 'माध्य' सांख्यिकी के आधार पर -

- भाषा विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग ($F = 5.64, P = 0.01$), परिवार की आय ($F = 30.05, P = 0.05$), परिवार की शिक्षा ($F = 7.32, P = 0.01$), परिवार के व्यवसाय ($F =11.89, P = 0.01$) तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया ($F = 7.44, P = 0.01$), लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया ($F = 4.62, P = 0.01$), जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया ($F = 60.01, P = 0.01$), परिवार के व्यवसाय एवं आकार के बीच अन्तर्क्रिया($F =4.00, P = 0.01$) तथा लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया ($F = 4.76, P = 0.01$) का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि जाति, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति, विद्यालय की जिलेवार स्थिति और परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, तथा विद्यालय की जिलेवार एवं विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- गणित विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग ($F =6.57, P = 0.01$), परिवार की आय ($F =10.70, P = 0.01$), परिवार की शिक्षा ($F =17.58, P = 0.01$), परिवार के

व्यवसाय (F =11.12, P = 0.01) तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया (F =3.60, P = 0.05), जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया (F =10.58, P = 0.01) और लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया (F =6.30, P = 0.01) का सार्थक प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि जाति, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थित, विद्यालय की जिलेवार स्थिति तथा लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

- पर्यावरण अध्ययन विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग (F =8.07, P = 0.01), परिवार की आय (F =4.72, P = 0.01), परिवार की शिक्षा (F =9.24, P = 0.01), परिवार के व्यवसाय (F =11.08, P = 0.01), विद्यालय की जिलेवार स्थिति (F =30.05, P = 0.05) तथा जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया (F = 7.29, P = 0.01) और लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया (F =5.39, P = 0.01) का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि जाति, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति और लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, लिंग एवं परिवार की आय के बीच की अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया, विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया तथा परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार का आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

विद्यार्थियों के ठहराव पर सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव -

शोध के पंचम उद्देश्य में बच्चों के टहराव पर लिंग, जाति, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार एवं इनके बीच अन्तर्क्रिया के सार्थक प्रभाव का अध्ययन किया गया है । अध्ययन में 'प्रसरण विश्लेषण' एवं 'माध्य' सांख्यिकी के आधार पर विद्यार्थियों के ठहराव पर लिंग ($F = 10.24$, $P = 0.01$), जाति ($F = 7.43$, $P = 0.01$), परिवार की शिक्षा ($F = 3.22$, $P = 0.05$), परिवार के व्यवसाय ($F = 160.01$, $P = 0.01$) का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि परिवार की आय, परिवार के आकार तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया और परिवार की आय एवं परिवार के आकार के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

5.04.0 सुझाव

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम टहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर से विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से अनेक प्रयास किये गये है, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते हम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये है । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं -

- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिये अच्छा सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण तैयार किया जाये । इन विद्यार्थियों के लिये अच्छी विद्यालयीन सुविधायें, प्रभावशाली निर्देशन तथा सामाजिक भावनात्मक वातावरण बनाया जाये, ताकि इनका व्यक्तित्व सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो सके ।
- विद्यार्थियों में विभिन्न मूलभूत एवं संवैधानिक सुविधाओं के उपयोग के लिये जागरूक बनाया जाना चाहिये, ताकि इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके ।

- बच्चों में बाल अधिकार जीवन कौशलों का सही ढ़ंग से विकास किया जाये ताकि वे देश के सही नागरिक बन सके ।
- विद्यार्थियों की क्षमताओं को राष्ट्र के निर्माण एवं समाज के विकास के लिये पूर्ण उपयोग करने के लिये इनको पर्याप्त शैक्षणिक एवं आर्थिक सुविधायें उपलब्ध करवायी जाना चाहिये ।
- सर्वेक्षण एवं अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि, प्रायः सभी बच्चे हिन्दी भाषा जानते हैं । अतः इनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये हिन्दी भाषा में ही शिक्षण दिया जाए ।
- दूरदर्शन के माध्यम से इनकी शिक्षा में प्रेरणा के लिये प्रोग्राम चलाया जाए ।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय होना चाहिये, जिसमें पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ, इनसाइक्लोपीडिया, प्रतियोगी परीक्षाओं की पत्रिकायें, समाचार पत्र एवं बालउपयोगी कहानी, पत्रिकाए खुले में हों ।
- विद्यार्थियों को समय पर छात्रावृत्ति एवं पुस्तके दी जाए ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर को सुधारने के लिये प्रशासनिक एवं शैक्षिक सुविधाओं पर प्रशासन को चुस्त करना चाहिये ।
- विद्यालयों में कृषि, तकनीकी, व्यवसायिक आदि से संबंधित पाठ्यक्रम भी चलाया जाए ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिये समुदाय का सहयोग, पाठ्य सहगामी क्रियाओं, स्कूल के समय में लचीलापन, नियमित शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रभावी मॉनीटरिंग सहायक हो सकती है ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक विज्ञान/गणित का शिक्षक हो । साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम एक महिला शिक्षिका का होना आवश्यक है ।

- प्राथमिक स्तर पर पाठ्यसहगामी क्रियाओं को अधिक से अधिक स्थान दिया जाय ताकि बच्चे विद्यालय में आनंद की अनुभूति करते हुए विद्यालय की ओर आकर्षित हो सके ।
- प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा में कार्यानुभव की शिक्षा दी जाय ताकि बच्चे कार्यानुभव शिक्षा के माध्यम से भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षणेत्तर कार्य से अलग रखा जाय ताकि शिक्षक बच्चों को अधिक समय देते हुए उनमें गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित कर सके ।
- विद्यालयों से सूचनाओं का संकलन वर्ष में एक या दो बार किया जाय ताकि शिक्षक सूचनाओं का अपना ध्यान न देकर शिक्षण कार्य में दे सके ।
- बच्चों में पठन एवं लेखन क्षमता के बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर विद्यालय में बच्चों को उपलब्ध कराये जाय ।
- शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाय । सभी शिक्षकों को एक जैसा प्रशिक्षण न दिया जाय । प्रशिक्षण विषयवार तथा शिक्षकों की आवश्यकता पर आधारित हो ।
- समुदाय को उनके अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित कराते हुए विद्यालयीन शिक्षा में उनका अधिक से अधिक सहयेाग प्राप्त किया जाय ।
- विद्यालय का वातावरण आनंददायी, रुचिपूर्ण तथा भयमुक्त बनाया जाय ताकि बच्चे बिना भय के विद्यालय आये तथा अपनी समस्याओं को शिक्षकों के सामने रख सके ।
- न्याय पंचायत स्तर पर पुस्तकालय निर्माण किया जाय । जिसमें शिक्षकों एवं बच्चों के लिये उपयोगी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो ।
- शिक्षकों की कार्य क्षमता एवं उनके परिणाम के आधार पर स्थानान्तरण, प्रमोशन एवं समायोजन किया जाय ।

- प्रत्येक शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा से परिचित कराते हुए उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय ।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्र स्तर पर होने वाली शिक्षकों की बैठकों को अकादमिक बनाया जाय ।
- शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों का जिला एवं राज्य स्तर पर विश्लेषण के उपरान्त उनके आंकड़ों की रिपोर्ट विकासखण्ड, न्याय पंचायत एवं विद्यालय स्तर को उपलब्ध कराई जाय ताकि कमियों को दूर किया जा सके । राज्य स्तर पर भी कमियों का विश्लेषण करते हुए कमियों को दूर करने हेतु विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये जाय ।
- विभिन्न स्तर से होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा की शोध रिपोर्ट को विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से डिसेमिनेट कर प्राप्त कमियों को दूर करने के लिये विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये जाय ।
- सभी बच्चों को विद्यालय एक समान सुविधायें उपलब्ध कराई जाय ।
- विद्यालय में मिलने वाले पके पकाये मध्याह्न भोजन व्यवस्था को पौष्टिक एवं गुणवत्तापरक बनाया जाय, ताकि बच्चे दोपहर में भोजन के लिए घर न जाय ।
- प्रत्येक विद्यालय में गतिविधि केन्द्र बनाया जाय ताकि बच्चे खेल-खेल के माध्य से शिक्षण कर सके ।
- प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री, वाद्य यंत्र एवं अन्य पाठ्य सहगामी सामग्री होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिये विद्यालय की ओर आकर्षित हो ।
- बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एक बार में न देकर तीन-तीन माह में दिया जाय तथा दी जाने वाली राशि को बच्चों में उपयोग हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाय ।
- विभिन्न स्तर से होने वाली प्रशिक्षणों को प्रशिक्षणोपरान्त उसकी प्रभावकारिता कितनी रही का अध्ययन कराया जाय ।

- प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता कराया जाय ।
- शिक्षक, विद्यार्थी तथा कक्षा विद्यार्थी अनुपात की गणना जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर न करके विद्यालय स्तर पर करनी चाहिए । उसी के अनुसार शिक्षकों एवं कक्षा-कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए ।
- ग्राम शिक्षा समिति को उनके अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित कराते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में उनका आवश्यक सहयोग लेना चाहिए ।
- विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी स्वच्छता एवं पोषण का ध्यान रखना चाहिए ।
- विद्यालयों की मानीटरिंग विभिन्न शैक्षिक सूचकों के अंतर्गत करना चाहिए, ताकि सूचकवार कमियों को जानते हुए उनको दूर करने के उपाय ढूंढ़े जा सके ।
- बच्चों का नियमित डाक्टरी परीक्षण कराना चाहिए ।
- गरीब, विकलांग बच्चों के लिये समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आश्रम विद्यालयों में रखकर शिक्षित किया जाय ।
- विद्यालयीन सुविधा के बाद भी जो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय न भेजे तो उनसे आंशिक जुर्माना वसूला जाना चाहिए ।
- जिन गाँव के विद्यालय के बच्चों का उपलब्धि स्तर ठीक न हो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए उन पर उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।
- विद्यालय ग्रेडिंग प्रणाली को अधिक तर्कसंगत तथा अकादमिक बनाना चाहिए । विद्यालय ग्रेडिंग के अनुसार ही शिक्षकों को प्रमोशन तथा मनचाहा स्थानान्तरण देना चाहिए ।

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिये निर्धारित हस्ताक्षेपों को राज्य/जिला स्तर से निर्धारित न करके ग्राम के स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाय ।
- प्रारम्भिक स्तर पर अधिक से अधिक नवाचार को प्रोत्साहित किया जाय ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा के माध्य से शिक्षा को पारस्परिक बनाया जाय ताकि बच्चों का झुकाव विद्यालय की ओर बढ़े ।
- शिक्षक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहा कठिनाई महसूस करते है को जानते हुए दूर करने का उपाय करना चाहिए ।

5.05.0 भावी शोध हेतु समस्यायें

स्वतंत्रता के पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिशिचित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं । इन्ही प्रयासों के अन्तर्गत प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, प्रारम्भिक शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन, धारण तथा उपलब्धि को सुनिशिचित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किये गये है । जिनके अन्तर्गत विद्यालयीन सुविधा के साथ-साथ विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सभी 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चेां को नामांकित कराकर पॉच वर्ष की नियमित शिक्षा गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो सके तथा सभी बच्चे कक्षा 5 से 6 में नामांकित होकर कक्षा 8 तक की शिक्षा गुणवत्ता के साथ पूरी कर सके । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लगातार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रारंभिक चरण में शिक्षा सुविधाओं और नामांकन में काफी विस्तार हुआ है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्वशिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शोध कार्य जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर हुए है । लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर अभी भी इस क्षेत्र में काफी कार्य करने की आवश्यकता है ।

भविष्य के शोध हेतु प्रस्तावित समस्यायें इस दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन के

लिये दी जा सकती है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर अभी तक बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं। यदि इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाये तो अध्ययन परिणामों के आधार पर उनकी शिक्षा में सुधार लाने में सार्थक पहल हो सकेगी। इस दिशा में शोधकर्ता के अनुसार भावी शोध हेतु कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं इस प्रकार है।

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन।
- बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में मध्याह्न भोजन व्यवस्था की भूमिका का अध्ययन।
- प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर ट्राजीशन दर की स्थिति तथा उनके कारणों का अध्ययन।
- प्रारम्भिक शिक्षा के अनुश्रवण में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता का अध्ययन।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की प्रभावकारिता का अध्ययन करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की स्थिति तथा उसके कारणों का अध्ययन करना।
- सफल विद्यालय के निर्माण में विद्यालय ग्रेड़िग पद्वति की भूमिका का अध्ययन।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका का अध्ययन।
- प्रारम्भिक स्तर पर गणित के प्रति बच्चों में व्याप्त भय के कारणों तथा उसके उपचार का अध्ययन।

- प्रारम्भिक स्तर पर गणित विषय में बच्चों को लगने वाले कठिन बिन्दुओं का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में पाठ्यसहगामी क्रियाकलापों की भूमिका का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का अध्ययन ।
- बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जबाबदेह कारकों का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कार्य क्षमता का अध्ययन ।
- शिक्षकों को समय-समय पर दिये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए यूनीसेफ के सहयोग से किये जा रहे कार्यों की प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों का विज्ञान एवं गणित विषय के प्रति रुचि न लेने के कारणों का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर जेण्डर एवं सामाजिक अन्तराल को कम करने के लिए लगाई गई रणनीतियों की प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा की उपयोगिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा में पंचायती राज की भूमिका का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन, ठहराव की वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन ।
- बच्चों एवं उनके अध्यापकों की विद्यालय के प्रति कम होती रुचि के कारणों का अध्ययन ।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की व्यावसायिक रुचि का अध्ययन ।

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों की शिक्षा के प्रति दृष्टि कोण का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा की भूमिका का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा में महिला शिक्षक की आवश्यकता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों की गुणवत्ता अपेक्षिक स्तर की न होने के कारणों का अध्ययन ।
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मद में उपलब्ध कराई जा रही राशि की उपयोगिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका की वर्तमान स्थिति तथा उससे शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु संकुल एवं विकासखण्ड स्तर पर नियुक्त समन्वयकों की कार्यप्रणाली एवं उसकी प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का अध्ययन ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रयास तथा उसकी प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन ।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की बौद्धिक प्रक्रिया पर कक्षा अन्तःक्रिया, अधिगम दबाब व विद्यालयी सुविधाओं के प्रभाव का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत विभिन्न शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन ।

- शासकीय, अशासकीय एवं स्ववित्त पोषित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा वातावरण का अध्ययन ।
- बच्चों में परीक्षा के दौरान नकल के प्रति बढ़ती रुचि के कारणों का अध्ययन ।
- शासकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का अध्ययन ।
- गणित एवं विज्ञान शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन ।
- वर्तमान संदर्भ में विद्यालयीय पाठ्यक्रम की प्रशांगिकता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं अध्ययनरत् बच्चों के शैक्षिक पार्श्व चित्र का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा-कक्ष में प्रभाव का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करना ।
- मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा के प्रेात्साहन में समुदाय एवं अन्य कारकों का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालय पुस्तकालय की उपयोगिता का अध्ययन ।
- प्री-प्राथमिक के साथ प्राथमिक विद्यालय एवं बिना प्री-प्राथमिक के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों के उपलब्धि स्तर का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर मुस्लिम बालिकाओं के रिपीटीशन एवं ड्रापआउट के कारणों का अध्ययन ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जाने वाले विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान की प्रभावी उपयोगिता का अध्ययन ।

संदर्भ ग्रंथ

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, जी.सी. (1966) : एज्यूकेशनल रिसर्च इन इन्ट्रोडक्शन
- एकॉफ, आर.एल. (1953) : दि डिजाइन ऑफ स्पेशल रिसर्च शिकागो यूनिर्वसिटी ऑफ शिकागो प्रेस
- एडसिल, नई दिल्ली (2002) रिसर्च एब्सट्रक्ट इन प्राईमरी एजूकेशन, भाग प्रथम एवं द्वितीय, एडसिल नई दिल्ली
- करलिंगर, एफ.एन. (1973) : फाउडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च प्रिंसटनः हाल्ट राइनहार्ट एंड विस्टन
- कपिल, एच.के. (1990) : अनुसंधान की विधियां, हरप्रसाद भार्गव प्रकाशन आगरा
- कौशल, जे.पी. बस्ते के बोझ से मुक्त शिक्षा , एस. सी.ई.आर.टी. भोपाल
- कौर, कुलदीप (1985) : भारत में शिक्षा 1781-1985 तक (सेंटर फॉर रूरल रिसर्च एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट)
- गर्वमेंट ऑफ इंडिया : कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिय, गर्वमेंट प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली
- गर्वमेंट ऑफ इंडिया : न्यू एज्यूकेशन पॉलिसी मिनिट्री ऑफ हूमेन रिसोर्स डेवलपमेंट, गर्वमेंट प्रेासदिल्ली
- गैरिट, हेनरी ई. (1978) : शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी कल्याणी पब्लिशर्स
- अग्रवाल, जे.सी. (1994) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
- बेस्ट जान डब्ल्यूकहन जेम्स व्ही (1986) : रिसर्च इन एज्यूकेशन, प्रिंटस हाल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली
- बुच, एम.बी. (1979) : सेकण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, सोसायटी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च, बड़ौदा
- बुच, एम.बी. (1978-83) : थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, बड़ौदा
- एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली : फोर्थ एवं पंचम सर्वे ऑफ रिर्सच इन एजूकेशन
- सीमैंट,इलाहाबाद रिपोर्ट(2000) : रिर्सच इन बेसिक एजूकेशन

- भारत सरकार (1991) : सेंसेस ऑफ इंडिया (पेपर-2) मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन नई दिल्ली
- भारत सरकार (1991) : सेंसेस ऑफ इंडिया (सीरिज-2 एम.पी. हाउसहोल्ड पापुलेशन बाई रिलीजन), मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन नई दिल्ली
- भारत सरकार (2000) : सबके लिए शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली
- भारत सरकार(अगस्त 1995) : प्रोग्राम ऑफ एक्शन (ए पॉलिसी पार्सपेक्टिव), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
- राय, परासनाथ (1989) : अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा
- रायजादा, बी.एस. (1996) : शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान
- सिंह, अरुण कुमार (1992) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध प्रविधियां, मोती लाल बनारसी दास प्रकाशन नई दिल्ली
- शर्मा, आर.ए. (1993) : शोध प्रबंध लेखन, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस मेरठ
- शर्मा, हरस्वरूप (1990) : सांख्यिकी विधियॉ, राम प्रकाश एण्ड सन्स, अस्पताल रोड़, आगरा - 3
- शुक्ला, एस.एम. एवं शिवपूजन सहाय (1986) : सांख्यिकी के सिद्वान्त, साहित्य भवन आगरा
- सुखिया, एस.पी. एवं महरोत्रा (1979) : शैक्षिक अनुसंधान के मूलतत्व, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
- सरकार एवं मुनीर (1997) : भारत का संविधान संक्षिप्त टिप्पणियों सहित
- त्रिवेदी आर.एन. शुक्ला डी. पी. (1990) : रिसर्च मेथडालॉजी कॉलेज बुकडिपो जयपुर
- अग्रवाल, यस. (2000) : एन एस्समेंट ऑफ ट्रेडस इन एक्सेस एण्ड रिटेन्सन, नीपा नई दिल्ली
- लौकेश (1984) : शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली
- शर्मा, आर. ए. (1999.2000) : शिक्षा अनुसंधान, राज प्रिन्टर्स मेरठ
- सिन्हा, एच. पी. : शैक्षिक अनुसंधान
- तिवारी, गोविन्द : शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान

- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद : समाधान (2002)
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद : संकल्प (2002)
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद : सहयोग (2003)
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद : संवर्द्धन (2000)
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद : अभिनव, त्रैमासिक पत्रिका
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली (1986) : नई शिक्षा नीति
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन : मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
- प्रो. मदन मोहन, डॉ. मालती सारस्वत भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, विनोद प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद
- शिक्षा की प्रगति (2001-2004) : शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- वार्षिक आख्या, (1999-2000) : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- वार्षिक आख्या (2000-01) : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- वार्षिक आख्या (2002-03) : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी (1998-2003) : राज्य शिक्षा संस्थान, उ.प्र., इलाहाबाद(उ.प्र.)
- बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े (1998) : बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., इलाहाबाद
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (2002) : पहुंच एवं धारण रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (2002) : पहुंच एवं धारण रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।।
- स्टेप रिपोर्ट, शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (2003-04) : राज्य परियोजना कार्यालय, सभी के लिये शिक्षा, लखनऊ (उ.प्र.)
- प्रगति रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। (2001) : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
- प्रगति रिपोर्ट जिला प्राथमिक : उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना

शिक्षा कार्यक्रम ।।। (2001) परिषद, लखनऊ

- व्हेयर डू वी स्टैण्ड नीपा रिपोर्ट (2002-03) : राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
- रिसर्च एबस्ट्रेक्स (2001-04) : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ, उ.प्र.
- रिसर्च एबस्ट्रेक्स (1998-2003) : राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
- प्रो.एस. अग्रवाल (1998-2003) : प्रोग्राम टुअर्डस एक्सेस एण्ड रिटेनशन नीपा नई दिल्ली
- सबसे लिये शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट (2004) : संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को प्रकाशन
- मानव विकास रिपोर्ट (2004) : यूनाइटेड नेशन्स डवलपमेंट प्रोग्राम, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस
- इनोवेशन एण्ड एक्सेपरीमेंट इन जनशाला (2002) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
- बदलता परिदृश्य (2000) : राज्य परियोजना कार्यालय सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, लखनऊ
- लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें? : यूनीसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
- शालिग राम, (1999) : भारतीय शिक्षा का इतिहास राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- परिपेक्ष्य त्रैमासिक शैक्षिक पत्रिका के अंक : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
- पाठक, पी.डी. एवं जौहरी, बी.पी. (2000) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
- कौशल, जे.पी. बस्ते के बोझ से मुक्त शिक्षा, राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1993, एस.सी.ई. आर.टी. भोपाल
- मदन मोहन एवं सारस्वत, मालती भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याये, विनोद प्रकाशन मंन्दिर, इलाहाबाद
- सिंह, अरुण कुमार (1992) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध प्रविधिया, मोतीलाल बनारसीदास, नईदिल्ली

परिशिष्ट

साक्षात्कार अनुसूची (1)

1. विद्यार्थी का नाम .... पिता का नाम ....

खाने में सही का चिह्न (√) लगाये

2. विद्यालय की स्थिति

शहरी	ग्रामीण

3. जिले में विद्यालय की स्थिति

चित्रकूट	महोबा	बाँदा	हमीरपुर

4. लिंग

बालक	बालिका

5. वर्ग

सामान्य	पि.वर्ग	अनु. जाति/ जनजाति

6. शिक्षा

5वी के ऊपर	5 वी तक	निरक्षर

7. व्यवसाय

नौकरी/व्यवपार	कृषि	मजदूरी

8. परिवार की आय

रु.5000/- या अधिक	रु.5000/- से कम एवं रु.3000/- से अधिक	रु.3000/-या कम

9. परिवार में सदस्यों की कुल संख्या -

परिवार में सदस्यों की संख्या		
6 से कम	5 से अधिक एवं 8 से कम	7 से अधिक

भाषा दक्षता मापनी

प्रश्न-1 सुलेख (4)

गॉधी जी का असहयोग अंदोलन आरम्भ हुआ । लोग सरकारी नौकरी, स्कूल, कचेहरी आदि छोड़ कर आन्दोलन में भाग लेने लगे । गॉवों के किसान और मजदूर इस आन्दोलन में शामिल होने लगे । लाल बहादुर शास्त्री भी पढ़ाई छोड़कर आन्दोलन में कूद पड़े । आजादी की इस लड़ाई में उन्हें कई बार जेल की यातना सहनी पड़ी, किन्तु वे अपने लक्ष्य से नहीं डिगे ।

प्रश्न -2 श्रुतलेख

सरपंच किसे बनाया जाय, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा-सुनी हो गयी । अन्त में खाला बोलीं -"बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन । तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो ? लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ । जुम्मन शेख आनन्द से फूल उठे, परन्तु मन के भावों को छिपाकर बोले", " चलो,अलगू चौधरी ही सही " ।

प्रश्न -3 निबंध - दीपावली